# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
# जल शक्ति मंत्रालय
# (जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण)
# भारत सरकार

## वार्षिक रिपोर्ट
## 2021–22

नई दिल्ली

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
# जल शक्ति मंत्रालय
# (जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण)
# भारत सरकार

## वार्षिक रिपोर्ट
## 2021–22

## नई दिल्ली

## महानिदेशक की ओर से

वर्ष 2021–22 के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। रिपोर्ट में जल संसाधन विकास के क्षेत्र में राजविअ के कार्यों और उपलब्धियों का व्यापक अवलोकन किया गया है, विशेष रूप से अंतर–बेसिन और अंतः–बेसिन हस्तांतरण में जिसे आमतौर पर नदियों को जोड़ने (आईएलआर) के रूप में जाना जाता है।

राजविअ की स्थापना वर्ष 1982 में भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुसार एक सोसाइटी के रूप में की गई थी और यह पूरी तरह से जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- भारत सरकार ने विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) अर्थात केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के माध्यम से केंद्र और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वयन के लिए 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) को मंजूरी दी है । वित्त वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमान में 4,300 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022–23 में 1,400 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ, परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। संचालन समिति और केबीएलपीए का गठन फरवरी, 2022 में राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान मुख्य रूप से केम्पा फंड और भूमि अधिग्रहण के लिए 4639–46 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। केबीएलपी, जो बुलडेलखंड क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक समृद्धि के लिए गेम–चेंजर साबित होगा, को 8 वर्षों में पूरा करने की योजना है।
- भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति होने पर अन्य प्राथमिकता वाली अंतर योजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समर्थन की भी घोषणा की।
- वर्ष के दौरान अध्ययन कार्यों में भी काफी प्रगति हुई थी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत चार लिंको नामत बेदती–वरदा लिंक, गोदावरी का वैकल्पिक अध्ययन (इंचमपल्ली बैराज)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी डेल्टा शामिल की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। दो अंतः–राज्यीय लिंकों नामतः दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी और दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी (कड़वा देव) लिंको की मसौदा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है । छह और लिंको की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी शुरू किया गया।
- महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना के लिए सिस्टम स्टडी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा पूरा किया गया है । चार और लिंक का सिस्टम स्टडी किया जा रहा है।
- राज्यों के बीच परामर्श और आम सहमति बनाना राजविअ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वर्ष के दौरान आईएलआर कार्यक्रम पर कार्य करने वाली सभी महत्वपूर्ण समितियों की कई बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान आईएलआर संबंधी विशेष समिति (एससीआईएलआर) की एक बैठक, नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यबल (टीएफआईएलआर) की दो बैठकें, सिस्टम स्टडी संबंधी उप–समिति की चार बैठकें आयोजित की गई 1 वर्ष के दौरान राजविअ सोसायटी की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) और राजविअ के शासी निकाय (जीबी) की 68वीं और 69वीं बैठकें भी आयोजित की गईं।
- देश में आईएलआर कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में राजविअ की क्षमता बढ़ाने के लिए राजविअ के पुनर्गठन और राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (एनआईआरए) के गठन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
- मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वार्षिक रिपोर्ट पूर्णतया सूचनात्मक होगी और राजविअ की भूमिका, कार्यों और उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करेगी।

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक, राजविअ

# वर्ष 2021–22 के दौरान राजविअ की गतिविधियों की मुख्य गतिविधियां

## (क) केन–बेतवा लिंक परियोजना

- वर्ष 2021 देश में नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) पर कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण था। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत देश की पहली प्रमुख नदी जोड़ परियोजना केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के कार्यान्वयन के लिए माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच 22 मार्च, 2021 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- परिणामस्वरूप, केंद्र और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.) के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2021 में भारत सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई थी।
- केबीएलपी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जल की कमी वाले बुलडेलखंड क्षेत्र और मध्य प्रदेश के अन्य तीन जिलों को पर्याप्त लाभ प्रदान करेगा। यह परियोजना 10.62 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई और 62 लाख (मध्य प्रदेश–41 लाख, उत्तर प्रदेश –21 लाख) आबादी के लिए घरेलू जल आपूर्ति प्रदान करेगी। यह परियोजना 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी करेगी। इससे मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, दतिया, रायसेन और शिवपुरी तथा उत्तर प्रदेश के झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर जिले लाभान्वित होंगे।
- भारत सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के साथ, परियोजना का कार्यान्वयन तुरंत शुरू किया गया था। संयुक्त रूप से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 11 फरवरी 2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) और एसपीवी अर्थात् केबीएलपीए के अंतर्गत एक संचालन समिति का गठन किया गया था।
- वित्त वर्ष 2021–22 में आर.ई. के अंतर्गत 4639.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी, जिसमें से मुख्य रूप से वन मंजूरी की शर्तों को पूरा करने के लिए जारी की गई थी, अर्थात निर्धारित राशि को कैम्पा फंड (3631.30 करोड़ रुपये), चरण–। के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण (203.86 करोड़ रुपये) और चरण–।। परियोजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को 804.30 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति शामिल है। 31.03.2022 की केबीएलपीए चरण–। और ।। पर व्यय की गई कुल राशि 6978.49 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य बजट से खर्च किए गए 2339.03 करोड़ रुपये शामिल हैं।

## (ख) अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन

- भारत सरकार ने न केवल केन–बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की, बल्कि पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति तक पहुंचने पर नदियों को जोड़ने वाली अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बजट में समर्थन की भी घोषणा की।

- गोदावरी–कावेरी वैकल्पिक लिंक योजना के अंतर्गत गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक, कृष्णा (नागार्जुनसागर) – पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार (सोमासिला) – कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक की डीपीआर को अप्रैल, 2021 में पार्टी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके विचारों के लिए परिचालित किया गया था। इसके बाद, पार्टी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास किए गए। एनपीपी के अंतर्गत बेदती–वेरदा लिंक की डीपीआर भी पूरी कर ली गई है। वर्ष के दौरान दो अंतर–राज्यीय लिंकों नामत दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी और

दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी की डीपीआर का मसौदा भी पूरा कर लिया गया था। एनपीपी के अंतर्गत छह और सम्भव विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने का कार्य वर्ष 2024 तक पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

- विकास के विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करने, विभिन्न परिदृश्यों को उत्पन्न करने, आपूर्ति और मांग परिदृश्यों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करने, भूजल पुनर्भरण और सह उपयोग पर प्रभाव का विश्लेषण करने के उद्देश्य से महानदी–गोदावरी लिंक का सिस्टम स्टडी पूरा किया गया और मसौदा रिपोर्ट परिचालित की गई। चार और लिंकों के सिस्टम स्टडी शुरू करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी।

## (ग) ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स जल मंच

- 2019 में आयोजित 11 वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में, माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि भारत शहरी क्षेत्रों में स्थायी जल प्रबंधन और स्वच्छता की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक आयोजित करेगा।

- तदनुसार, पहली ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक 18 नवंबर, 2021 को जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। इसके अलावा, भारत द्वारा 16–17 नवंबर, 2021 को वर्चुअल माध्यम में ब्रिक्स जल मंच का आयोजन किया गया था।

## (घ) राजविअ का पुनर्गठन और राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण का गठन।

राष्ट्रीय हित में देश में नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन को गति देने के उद्देश्य से, राजविअ के पुनर्गठन और राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (एनआईआरए) के गठन के प्रस्ताव को आईएलआर पर टास्क फोर्स द्वारा अक्टूबर, 2021 में आयोजित अपनी 15 वीं बैठक में अंतिम रूप दिया गया। एनआईआरए के गठन क` प्रस्ताव को आईएलआर पर विशेष समिति ने 12.11.2021 को आयोजित अपनी 19 वीं बैठक में अनुमोदित किया था। एनआईआरए के गठन के लिए कैबिनेट नोट को जल शक्ति मंत्रालय में अंतिम रूप दिया गया था और इसे 28.02.2022 को मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया था।

## (ड) हिंदी में तकनीकी संगोष्ठी

हिंदी में एक दिवसीय तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली में 25.10.2021 को किया गया। इस संगोष्ठी में जल इंजीनियरिंग के क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। विभिन्न प्रतिभागियों से प्राप्त लेखों के साथ एक स्मारिका प्रकाशित की गई थी और इस अवसर पर स्मारिका के रूप में लोकार्पित किया गया था।

## (च) वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण बैठकें/गतिविधियां

वर्ष 2021–22 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण बैठकें/गतिविधियां परिशिष्ट–IV में संलग्न हैं।

विषय सूची


| अध्याय सं. | विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| | **शीर्षक** | |
| **अध्याय–1** | राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण | 10 |
| 1.1 | परिचय | 10 |
| 1.2 | 31.03.2022 को राजविअ के कार्य | 12 |
| **अध्याय–2** | मुख्यालय और संगठनात्मक ढांचा | 14 |
| 2.1 | मुख्यालय और संगठनात्मक ढांचा | 14 |
| 2.2 | कर्मचारियों की संख्या | 16 |
| 2.3 | राजविअ सोसायटी | 16 |
| 2.4 | शासी निकाय | 18 |
| 2.4.1 | शासी निकाय की 68वीं बैठक | 20 |
| 2.4.2 | शासी निकाय की 69वीं बैठक | 21 |
| 2.5 | तकनीकी सलाहकार समिति | 22 |
| **अध्याय–3** | **नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति, उप–समितियां और कार्यबल** | 24 |
| 3.1 | नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) | 24 |
| 3.2 | नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की उप–समितियां | 24 |
| 3.3 | नदियों को आपस में जोड़ने पर कार्यबल (टीएफआईएलआर) | 24 |
| 3.4 | एससीआईएलआर, उप–समितियों और टीएफआईएलआर की गतिविधिया | 25 |
| 3.4.1 | एससीआईएलआर की 19वीं बैठक | 25 |
| 3.4.2 | टीएफआईएलआर की 14 वीं और 15वीं बैठकें | 26 |
| 3.4.2.1 | टीएफआईएलआर की 14वीं बैठक | 26 |
| 3.4.2.2 | टीएफआईएलआर की 15वीं बैठक | 27 |
| 3.4.3 | सिस्टम स्टडी के लिए उपसमिति की17, 18वीं, 19वीं और 20वीं बैठकें | 28 |
| 3.4.3.1 | प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति की 17वीं बैठक | 28 |
| 3.4.3.2 | सिस्टम स्टडी के लिए उप–समिति की 18वीं बैठक | 28 |
| 3.4.3.3 | सिस्टम स्टडी के लिए उप–समिति की 19वीं बैठक | 29 |
| 3.4.3.4 | प्रणाली स्टडीज के लिए उपसमिति की 20वीं बैठक | 30 |
| **अध्याय–4** | **तकनीकी गतिविधियाँ** | 31 |
| 4.1 | अंतर–बेसिन और अंत:–बेसिन जल अंतरण लिंक पर अध्ययन | 31 |
| 4.2 | एनपीपी के अंतर्गत राजविअद्वारा पूरा किया गया प्रारंभिक अध्ययन | 31 |
| 4.3 | राजविअ द्वारा अध्ययन के अंतर्गत जल अंतरण लिंक | 32 |
| 4.4 | एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत आईबीडब्ल्यूटी लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों और व्यवहार्यता रिपोर्टों की तैयारी की वर्तमान स्थिति | 35 |
| 4.4.1 | कावेरी (कट्टालाई)–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना | 35 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.4.2 | वेदती–वरदा लिंक परियोजना | 35 |
| 4.4.3 | नेत्रावती–हेमवती लिंक परियोजना | 36 |
| 4.4.4 | महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना | 36 |
| 4.5 | एनपीपी के हिमालयी घटक के अंतर्गत आईबीडब्ल्यूटी लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति | 38 |
| 4.6 | पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना के साथ एकीकरण | 40 |
| **अध्याय–5** | **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत पहचाने गए प्राथमिकता लिंक** | 43 |
| 5.1 | प्राथमिकता लिंक पर आम सहमति पर पहुंचने के लिए किए गए प्रयास | 43 |
| 5.1.1 | केन–बेतवा लिंक परियोजना | 43 |
| 5.1.2 – 5.1.3 | पार–तापी–नर्मदा और दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजनाएं | 43 |
| 5.1.4 | गोदावरी के माध्यम से गोदावरी जल के पथांतरण का वैकल्पिक प्रस्ताव – कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना | 44 |
| **अध्याय–6** | **केन–बेतवा लिंक परियोजना** | 45 |
| 6.1 | परिचय | 45 |
| 6.2 | सांविधिक स्वीकृतियां | 45 |
| 6.3 | केबीएलपी का कार्यान्वयन | 45 |
| 6.3.1 | समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (एम.ओ.ए.) | 45 |
| 6.3.2 | पीआईबी ज्ञापन | 46 |
| 6.3.3 | कैबिनेट नोट | 47 |
| 6.3.4 | राजपत्र अधिसूचना | 47 |
| 6.3.5 | वर्तमान स्थिति | 47 |
| **अध्याय–7** | **राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंक** | 49 |
| 7.1 | अंतर–राज्य लिंक | 49 |
| 7.1.1 | महाराष्ट्र | 49 |
| 7.1.2 | गुजरात | 50 |
| 7.1.3 | ओडिशा | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| 7.1.4 | झारखंड | 50 |
| 7.1.5 | बिहार | 51 |
| 7.1.6 | राजस्थान | 51 |
| 7.1.7 | तमिलनाडु | 51 |
| 7.1.8 | कर्नाटक | 52 |
| 7.1.9 | छत्तीसगढ़ | 52 |
| 7.1.10 | उत्तर प्रदेश | 52 |
| 7.2 | अंतःराज्यीय लिंकों के पीएफआर/डीपीआर तैयार करने की वर्तमान स्थिति | 52 |
| 7.3 | अंतःराज्यीय लिंकों के पीएफआर/एफआर/डीपीआर तैयार करने की समग्र स्थिति | 53 |
| 7.4 | अंतःराज्यीय नदी संपर्क परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण प्रदान करना | 53 |
| **अध्याय–8** | **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत गतिविधियां** | 55 |
| 8.1 | पी एम केएम वाई – ए आई बी पी के अंतर्गत नाबार्ड का वित्तपोषण | 55 |
| 8.1.1 | प्रस्ताव की प्रक्रिया | 55 |
| 8.1.2 | राज्यों को निधियां जारी करना | 55 |
| 8.1.3 | तीसरे पक्ष की निगरानी | 56 |
| 8.1.4 | पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 तक निधि संवितरण | 56 |
| **अध्याय–9** | **राजविअ की वेबसाइट** | 58 |
| **अध्याय–10** | **राजविअ की अन्य गतिविधियाँ** | 59 |
| 10.1 | प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ | 59 |
| 10.2 | विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम का कार्यान्वयन | 59 |
| 10.3 | राजविअ के नागरिक चार्टर | 59 |
| 10.4 | महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर शिकायतों के लिए समिति | 60 |
| 10.5 | सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह और कौमी एकता सप्ताह | 61 |
| 10.6 | इन–हाउस बुलेटिन 'जल विकास' का प्रकाशन | 61 |
| 10.7 | स्वच्छ भारत अभियान | 61 |

| | | |
|---|---|---|
| 10.8 | आजादी का अमृत महोत्सव | 62 |
| 10.9 | ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स जल मंच | 63 |
| **अध्याय–11** | **राजविअ में सतर्कता गतिविधियां** | 65 |
| 11.1 | परिचय | 65 |
| 11.2 | सतर्कता और अनुशासनात्मक मामले | 65 |
| 11.3 | सतर्कता जागरूकता सप्ताह | 65 |
| **अध्याय–12** | **राजभाषा (हिन्दी) के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना** | 67 |
| **अध्याय–13** | **वित्त और लेखा** | 68 |
| 13.1 | पीएमकेएसवाई–एआईबीपी योजना के अंतर्गत राज्यों को दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के लिए केंद्रीय सहायता | 68 |
| 13.2 | वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान राजविअ को सहायता अनुदान और वास्तविक व्यय | 68 |
| 13.3 | वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राजविअ का लेखा परीक्षा | 68 |
| **अध्याय–14** | **आभारोक्ति** | 69 |

| परिशिष्ट सं. | विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| अनुलग्नक–I | राज्य सरकारों से प्राप्त अंतर–राज्य लिंक प्रस्तावों की स्थिति | 70 |
| अनुलग्नक –II | प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं जिनमें अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान राजविअ अधिकारियों द्वारा भाग लिया। | 74 |
| अनुलग्नक –III | वर्ष 2021–22 के लिए लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, राजविअ के उत्तर और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के लेखे | 76 |
| अनुलग्नक –IV | वर्ष 2021–22 के दौरान अन्य महत्तवपूर्ण बैठकें/गतिविधियां | 185 |

# अध्याय–1

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

## 1.1 परिचय

पृथ्वी पर पानी हर जगह पाया जाता है, ध्रुवीय बर्फ की टोक से भाप से भरे गीजर तक, और जहां भी पानी इस ग्रह पर बहता है, जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है। हमारे ग्रह पर मौजूद लगभग 97% पानी खारा है एवं 3% से कम ताजे पानी की मात्रा है। पृथ्वी का अधिकांश मीठा पानी ग्लेशियरों, बर्फ की टोक में जमे हुए हैं, या एक्वीफर में गहरे भूमिगत हैं। पृथ्वी के पानी का 1% से भी कम हिस्सा मीठे पानी का है जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे लिए आसानी से सुलभ है, और उस पानी का अधिकांश भाग वर्षा द्वारा जल चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो पृथ्वी पर हर जीवन चीज को प्रभावित करता है।

भारत में दुनिया की आबादी का 18% और दुनिया के जल संसाधनों का लगभग 4% हिस्सा है। इसके कुछ 80% क्षेत्र में एक वर्ष में 750 मिलीमीटर (30 इंच) या उससे अधिक की बारिश होती है। हालांकि, यह बारिश समय या क्षेत्र में एक समान नहीं है। अधिकांश वर्षा अपने मानसून के मौसम (जून से सितंबर) के दौरान होती है, जिसमें उत्तर पूर्व और उत्तर में भारत के पश्चिम और दक्षिण की तुलना में कहीं अधिक बारिश होती है। हिमालय बेसिन के लिए, यह स्थिति कुछ महीनों में बाढ़ और कुछ महीनों में सूखा हो जाता है।

भारत के कई भागों में बाढ़ आवृति घटना रही है, जिससे जान–माल का नुकसान होता है और लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में असहनीय पीड़ा होती है। इसका एक बड़ा प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव भी है, क्योंकि वे आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं, इस प्रकार विकास को प्रभावित करते हैं। भारतीय महाद्वीप में अजीब जलवायु स्थितियां हैं क्योंकि इसमें कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है जबकि अन्य हिस्सों में सूखा पड़ता है। विगत वर्षों में, कई विशेषज्ञ समितियों ने बाढ़ के कारण होने वाली समस्याओं का अध्ययन किया है और उनके प्रबंधन के लिए सरकार को विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है। तथापि, पिछले पांच दशकों में उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद बाढ़ से होने वाली बढ़ती क्षति और तबाही की प्रवृत्ति ने सरकार के साथ–साथ लोगों के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर दी है।

जलवायु परिवर्तन के पदचिह्न ग्रह के हर कोने में देखे जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पहले से ही अत्यधिक बारिश की घटनाओं की बढ़ती संख्या के संदर्भ में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बारिश को बाढ़ के रूप में आने की उम्मीद कर सकता है, जिससे बाढ़ और उसके बाद सूखा का चक्र चलता रहता है। भारत में पहले से ही एक साल में बारिश के दिन कम हैं। अनियमित मौसम पैटर्न, बढ़ते समुद्र के स्तर और जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलते ग्लेशियर, दुनिया भर के समाजों को फिर से बदल रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे अधिक प्रतिकूल जलवायु कमजोर देशों में से एक है और जलवायु परिवर्तन पहले से ही मानव स्वास्थ्य, वन्यजीव, खाद्य उत्पादन, स्वच्छ जल पर पहुंच और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।

उपर्युक्त परिदृश्य और भारत के विभिन्न नदी बेसिनों/उप–बेसिनों के जल संसाधनों की उपलब्धता में दीर्घ मौसमी और स्थानिक असमानता को ध्यान में रखते हुए जल के अंतर–बेसिन जल अंतरण (आईबीडब्ल्यूटी) को जल संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और इसके ईष्टतम उपयोगों के लिए उपलब्ध विकल्पों में से एक माना गया है। वर्तमान संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के परिदृश्यों के साथ रीलिंग और बहुत कम मंत्र के भीतर कुछ दिनों की भारी वर्षा का अनुभव, आईबीडब्ल्यूटी परियोजनाओं और इसके प्रस्तावों को न केवल राष्ट्रीय स्तर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

नदी बेसिन/उप–बेसिनों की सीमाओं के भीतर और पार जल संसाधनों के इष्टतम विकास, जो लगभग हर वर्ष बाढ़ और सूखे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं, को आईबीडब्ल्यूटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ–साथ पारंपरिक और पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों/प्रथाओं के साथ मिलकर अंत:–बेसिन जल अंतरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जा सकता है।

उपर्युक्त उद्धृत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आईबीडब्ल्यूटी की अवधारणा विचारों और विचार–विमर्श में थी। आईबीडब्ल्यूटी परियोजनाओं की अवधारणा को पहले 1972 में डॉ केएल राव ने 'राष्ट्रीय जल ग्रिड' और 1977 में कैप्टन दस्तूर द्वारा 'गारलैंड कैनाल' के रूप में पेश किया गया था। दोनों योजनाओं की विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा जांच की गई और तकनीकी–आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। बाद में, अगस्त 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि.) द्वारा ''जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी)'' तैयार की गई थी। इस प्रस्ताव में अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में अंतरण की परिकल्पना की गई है।

एनपीपी में दो घटक शामिल हैं, नामतः 1) प्रायद्वीपीय नदी विकास और 2) हिमालयी नदी विकास। इस बात पर बल दिया जाता है कि एनपीपी के कार्यान्वयन से सतही जल से लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई का लाभ मिलेगा, भूजल के बढ़ते उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर, जिससे बाढ़ और सूखा शमन के आकस्मिक लाभों के अलावा अंतिम सिंचाई क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 175 मिलियन हेक्टेयर और 34 मिलियन किलोवाट बिजली उत्पादन हो जाएगी। इसके अतिरिक्त नौवहन और मनोरंजक सुविधाएं, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण, रोजगार सृजन आदि के भी लाभ होंगे।

तत्पश्चात जल संसाधन विकास के लिए एनपीपी के अंतर्गत आने वाले प्रायद्वीपीय घटक के संबंध में विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण और अन्वेषण (एस एंड आई) कार्यों को करने के लिए तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि.) के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में वर्ष 1982 में राजविअ की स्थापना की गई थी। राजविअ के कार्यों को तब दिनांक 26.08.1981 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 1 (7)/80–पीपी के पैरा 4 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था।
तत्पश्चात्, भारत सरकार (जीओआई) ने दिनांक 11 मार्च, 1994 के संकल्प संख्या 22/27292–बीएम के माध्यम से एनपीपी के हिमालयी घटक को शामिल करने के लिए राजविअ के कार्यों में संशोधन किया। दिनांक 26.08.1981 के संकल्प संख्या 1(7)/80–पीपी के पैरा 3 और 5 में निहित राजविअ की सोसायटी और शासी निकाय (जीबी) की संरचना को भी 13 फरवरी, 2003 और 12 मार्च, 2004 के संकल्प संख्या 2/9/2002–बीएम के माध्यम से संशोधित किया गया है और संबंधित राज्यों की सहमति के बाद नदी लिंक प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए गतिविधि को शामिल करने के लिए अधिसूचना सं 2/18/2005–बीएम दिनांक 30.11.2006 के माध्यम से राजविअ के कार्यों को संशोधित किया गया है।

बाद में, जल संसाधनों के इष्टतम विकास के लिए अंतःराज्यीय जल अंतरण परियोजनाओं ने भी गति प्राप्त करना शुरू कर दिया। जून, 2005 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) ने बिहार जैसे राज्यों में अंतःराज्यीय संपर्क परियोजनाओं की पहचान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। और राजविअ द्वारा अंतःराज्यीय संपर्क परियोजनाओं की व्यवहार्यता–पूर्व रिपोर्टें (पीएफआर)/व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआर) तैयार किया। जब राजविअ ने भारत सरकार के सभी राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया कि वे राजविअ द्वारा आगे के अध्ययन के लिए अपने क्षेत्र की अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं के ब्यौरे के बारे में सूचित करें, तो बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, कर्णाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्रों से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत किए।

इसके अतिरिक्त, संबंधित सह–बेसिन राज्यों की सहमति से राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की डीपीआर की तैयारियों को भी दिनांक 19 मई, 2011 के संकल्प संख्या 2/18/2005–बीएम/943 द्वारा

राजविअ के कार्यों में जोड़ा गया इसके अलावा, राजविअ के अधिदेश में दो और नए कार्यों को दिनांक 07.10.2016 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 2/17/2016–बीएम के माध्यम से जोड़ा गया था, नामतः (I) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं को शुरू / निर्माण / मरम्मत / नवीनीकरण / पुनर्वास / कार्यान्वित करना और (II) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार ली गई निधियों के भंडार के रूप में कार्य करना या ऐसे किसी भी उधार ली गई राशि के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए ब्याज पर दिए गए धन या ऋण पर प्राप्त धन / जमा राशि / जमा राशि के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने!

यह निर्णय लिया गया है कि राजविअ के कार्य (घ), जल संसाधन के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदी लिंक प्रस्तावों की डीपीआर तैयार करने तथा सर्वेक्षण एवं अन्वेक्षण कार्य करने के लिए संबंधित राज्यों की सहमति के बाद जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदी लिंक प्रस्तावों की डीपीआर पहल तैयार करने एवं उसके बाद संबंधित राज्यों से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। तथा इसके बाद जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के 16.03.2020 के संकल्प के संदर्भ में भारतीय राजपत्र अधिसूचना 17.03.2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

वर्ष 2021 नदी के अंतरयोजन (आईएलआर के युग के लिए महत्वपूर्ण था। देश की पहली बड़ी नदी जोड़ परियोजना केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के कार्यान्वयन के लिए माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच 22 मार्च 2021 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परिणामस्वरूप, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपये की कुल लागत से केबीएलपी के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी और परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के निर्माण को मंजूरी दे दी। संचालन समिति (एससी) और केबीएलपीए के गठन केलिए 11 फरवरी 2022 को एक राजपात्र अधिसूचना जारी की गई है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, केबीएलपी का कार्यान्वयन भारत सरकार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा एसपीवी, केबीएलपीए के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिसका गठन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) के एक वरटीकल के रूप में किया गया है।

उपर्युक्त गतिविधिया/उद्देश्यों को करने के लिए राजविअ को सक्षम बनाने के लिए, 31.03.2022 तक संशोधित/संशोधित किए गए इसके कार्य निम्नानुसार हैं:

## 1.2 31.03.2022 को रा.ज.वि.अ. के कार्य :–

- तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) व केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक और हिमालय नदी विकास घटक के प्रस्ताव, जो कि जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) का हिस्सा हैं, की व्यवहार्यता के लिये संभावित जलाशय स्थलों तथा परस्पर जोड़ने वाले लिंकों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।

- विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों तथा हिमालयी नदी प्रणालियों में जल की मात्रा जो कि बेसिन/राज्यों की समुचित आवश्यकता को पूरा करने के बाद निकट भविष्य में अन्य बेसिनों/राज्यों में अंतरित की जा सकती है, के संबध में व्यापक अध्ययन करना।

- प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास से जुड़ी योजना के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

- जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदी लिंक प्रस्तावों के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करना और उसके बाद प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करना।

- राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले ऐसे प्रस्तावों के लिये संबंधित संयुक्त बेसिन वाले राज्यों की सहमति ली जाएगी।

- नदियों को जोड़ने का एक भाग बनने वाली परियोजनाओं या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिये जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की परियोजनाएं शामिल की गई हैं, ऐसे ही अन्य परियोजनाओं को स्वयं या नियुक्त एजेंसी/संगठन/पी.एस.यू. या कम्पनी द्वारा परियोजना को अपने तहत लेना/निर्माण/मरम्मत/नवीयन/पुनर्वास/क्रियान्वयन करना।

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जमाओं अथवा ब्याज पर दिए गये ऋण या किसी और प्रकार से प्राप्त धन के संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार उधार ली गई निधि/जमा राशि/ऋण आदि का पुनर्भुगतान सुरक्षित करने के लिये वर्तमान या भविष्य दोनों में सोसाइटी की सभी या किसी अन्य सम्पत्ति, परिसम्पत्ति को राजस्व में बंधक, गिरवी रखकर या वैध अधिकार (लियन) कर सकता है।

- उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सोसाइटी द्वारा अन्य ऐसे प्रासंगिक, सम्पूरक अथवा सहायक कार्य करना जिन्हें सोसाइटी आवश्यक समझे।

- केन–बेतवा लिंक प्रोजक्ट आर्थरिटी (KBLPA) जो कि दिनांक 22.03.2021 को हस्ताक्षरित समझोता ज्ञापन द्वारा बनाई गई है, को सहायता देना।

# अध्याय – 2
# मुख्यालय और संगठनात्मक ढांचा

## 2.1 मुख्यालय और संगठनात्मक ढाँचा

भारत सरकार के अवर सचिव स्तर के महानिदेशक, सोसाइटी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं, जो राजविअ सोसायटी के तकनीकी, कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों सहित दिन–प्रतिदिन के सभी मामलों के प्रति उत्तरदायी हैं। अभिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान श्री भोपाल सिंह महानिदेशक, राजविअ का कार्यभार संभाल रहे हैं। मुख्यालय में महानिदेशक, राजविअ को मुख्य अभियंता (मुख्यालय), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त), निदेशक (प्रशासन), निदेशक (बहु–अनुशासनात्मक इकाई) और दो अधीक्षण अभियंताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राजविअ के 2 क्षेत्रीय संगठन (उत्तर और दक्षिण) हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक मुख्य अभियंता करता है। 31.03.2022 तक, उत्तरी संगठन के अंतर्गत 3 सर्किल, 7 प्रभाग और 3 उप–प्रभाग हैं। और दक्षिण संगठन के अंतर्गत 2 सर्किल और 8 प्रभाग हैं।

31.03.2022 को अधीक्षण अभियंता स्तर तक राजविअ का संगठन चार्ट, जो अन्वेषण मंडल स्तर से संबंधित है, नीचे दिखाया गया थाः

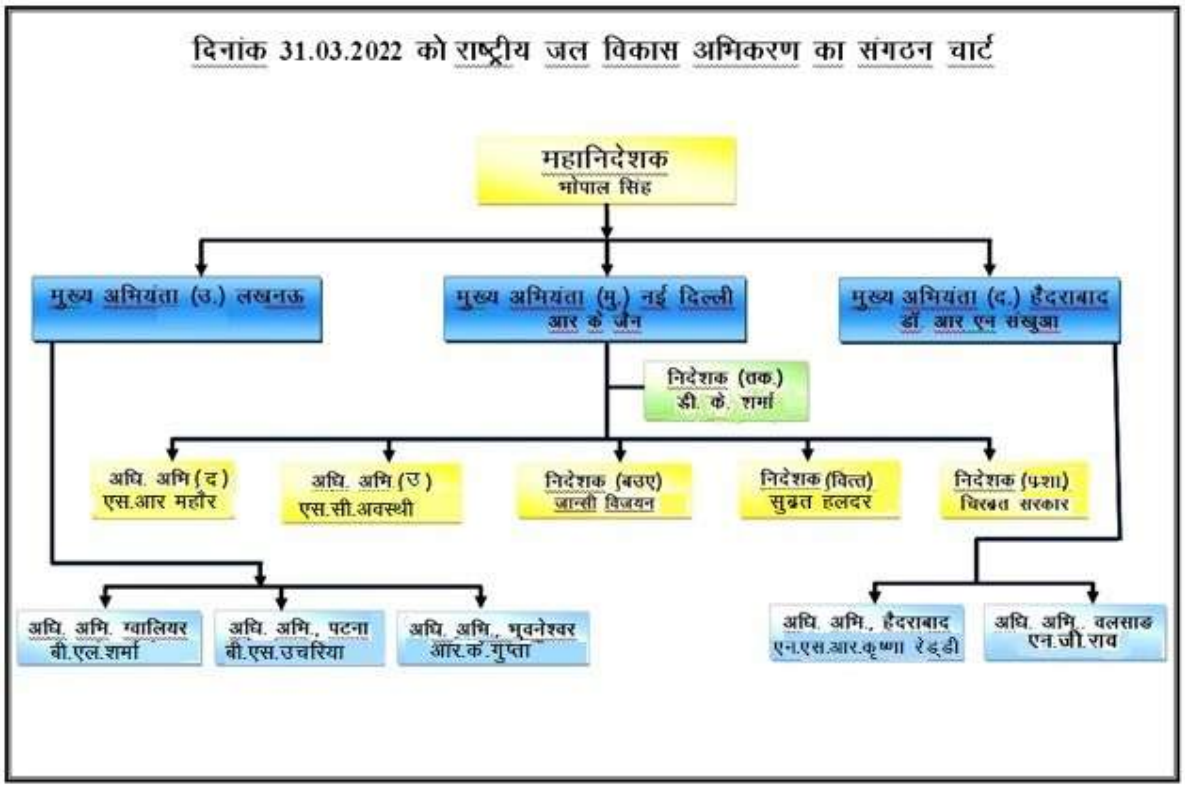


जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मु. अ. (उत्तर) संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत, 3 अन्वेषण सर्किल (आईसी) हैं। 3 अन्वेषण सर्किल का नेतृत्व अधीक्षण अभियंता अधी. अभि. (ग्वालियर), अधी. अभि. (भुवनेश्वर) और अधी. अभि. (पटना) करते हैं। इसके अलावा, 7 अन्वेषण प्रभाग (अन्वेषण प्रभाग) और 3 अन्वेषण उप–अन्वेषण (आईएसडी) हैं और 7 अन्वेषण प्रभाग का नेतृत्व कार्यकारी अधिशासी अभियंता (झांसी), अधि.अभि. (भुवनेश्वर), अधि.अभि. (पटना), (भोपाल), अधि.अभि. (कोलकाता), अधि.अभि. (लखनऊ) और अधि.अभि. (ग्वालियर), और 3 अन्वेषण प्रभाग, नामतः अन्वेषण उप प्रभाग राजमुंदरी, अन्वेषण उप प्रभाग रांची और अन्वेषण उप प्रभाग जयपुर क्रमशः अधि.अभि. (भुवनेश्वर), अधि.अभि. (पटना) और अधि.अभि. (ग्वालियर) के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

जब मुख्य अभियंता (दक्षिण) के अधीन संगठनात्मक ढांचे में अधीक्षण अभियंता (वलसाड) और अधीक्षण अभियंता (हैदराबाद) की अध्यक्षता में 2 अन्वेषण सर्किल हैं। 2 अन्वेषण सर्किल के अंतर्गत कार्य अधिशासी अभियंताओं की अध्यक्षता में 8 अन्वेषण प्रभाग हैं अधि.अभि. (वलसाड), अधि.अभि. (नागपुर), अधि.अभि. (वडोदरा), अधि.अभि. (हैदराबाद), अधि.अभि. (बेंगलुरु), अधि.अभि. (चेन्नई), अधि.अभि. (अन्वेषण प्रभाग–।, नासिक) और अधि.अभि. (अन्वेषण प्रभाग–द्वितीय, नासिक)।

ऊपर वर्णित राजविअ कार्यालयों के स्थानों को दर्शाने वाला एक नक्शा नीचे दिया गया है:

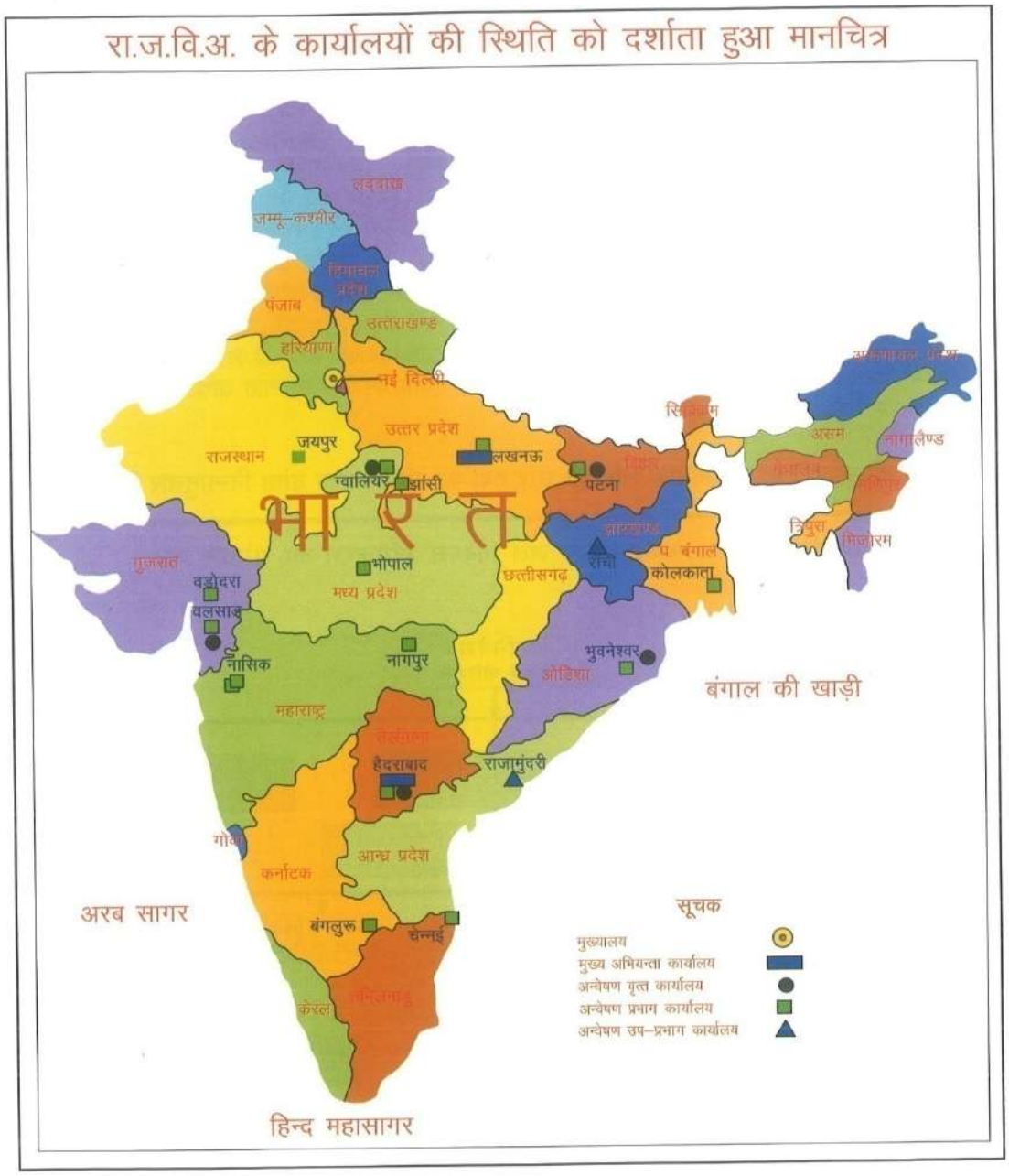

## 2.2 कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार राजविअ की स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 493 थी। राजविअ भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सेवाओं और अन्य लाभों में आरक्षण प्रदान करने के संबंध में समय–समय पर संबंधित विभाग और मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन कर रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान राजविअ में सीधी भर्ती के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के पद पर तेरह (13) कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर तीन (3) उम्मीदवार, आशुलिपिक ग्रेड–।। के पद पर चार (4) उम्मीदवार, प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर बारह (12) उम्मीदवार और अवर श्रेणी लिपिक के पद पर छब्बीस (26) उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार राजविअ के कर्मचारियों की संख्या (समूह–वार) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी /पीएच / पूर्व सैनिकों / सामान्य वर्ग इस प्रकार है –

### 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार राजविअ के कर्मचारियों की संख्या (समूह–वार)

| समूह | स्वीकृत संख्या | एस. आई.यू. के अनुसार | भरा | | | | | | | | रिक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अनुसूचित जाति | अ.ज. जाति | ओबीसी | पीएच | भू.पू. सैनिक | सामान्य | ईडब्ल्यूएस | कुल | |
| **समूह 'क'** | 59 | 59 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 51 | 8 |
| **समूह 'ख'** | 143 | 142 | 13 | 8 | 24 | 2 | 0 | 54 | 1 | 102 | 41 |
| **समूह 'ग'** | 297 | 292 | 40 | 14 | 29 | 5 | 2 | 113 | 3 | 206 | 91 |
| **कुल** | **499** | **493** | **64** | **24** | **55** | **7** | **2** | **203** | **4** | **359** | **140** |
| एस आई यू संस्तुति के अनुसार | | | | | | | | | | | |
| नोट– एसआईयू द्वारा अधिशेष घोषित पदों को सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा भविष्य में समायोजित किया जाएगा। | | | | | | | | | | | |

## 2.3 राजविअ सोसायटी

राजविअ सोसायटी राजविअ संगठन का शीर्ष निकाय है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में अभिकरण की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करने और ऐसे नीतिगत निर्देश देने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करता है जो उचित समझें। माननीय केन्द्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय सोसायटी के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति समाज के व्यवसाय के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है जो सोसायटी द्वारा उसमें निहित हो सकती है। इसके अलावा, राष्ट्रपति के पास सोसायटी के कार्य और प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा करने और सोसायटी के कुशल संचालन के लिए समितियों या आयोगों को नियुक्त करने या सोसायटी के मामलों की जांच करने और रिपोर्ट करने और ऐसे आदेश पारित करने की शक्तियां हैं, जैसा कि वह उचित समझता है।

राजविअ की स्थापना के बाद से, सोसायटी की छह (6) विशेष आम बैठकें (एसजीएम) और पैंतीस (35) वार्षिक आम बैठकें (एजीएम) 31.03.2022 तक आयोजित की गई थीं।

राजविअ सोसायटी के सदस्यों की सूची नीचे दी गई है:

## राजविअ सोसायटी के सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, भारत सरकार | अध्यक्ष |
| 2. | केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्यमंत्री, भारत सरकार | उपाध्यक्ष |
| 3. | सदस्य (कृषि एवं जल संसाधन), नीति आयोग | सदस्य |
| 4. | आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा पुड्डुचेरी संघ शासित राज्य के मुख्यमंत्री/मंत्री तथा उनके सचिव या उनके प्रतिनिधि, जिनका स्तर मुख्य अभियंता से कम न हो और जल संसाधन/सिंचाई के प्रभारी हों | सदस्य |
| 5. | सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य |
| 6. | सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 7. | सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 8. | सचिव, ऊर्जा मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 9. | सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 10. | सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 11. | सचिव, नीति आयोग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 12. | अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग | सदस्य |
| 13. | अध्यक्ष, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड | सदस्य |
| 14. | अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण | सदस्य |
| 15. | अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य |
| 16. | सदस्य (जल, नीति व आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग | सदस्य |
| 17. | सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग | सदस्य |
| 18. | महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 19. | महानिदेशक, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 20. | भारत के महासर्वेक्षक या उनके प्रतिनिधि, भारतीय सर्वेक्षण विभाग | सदस्य |
| 21. | निदेशक, राष्ट्रीय दूर संज्ञान अभिकरण या उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 22. | संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | सदस्य |
| 23. | आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | सदस्य |
| 24. | महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण | सदस्य–सचिव |

(31.03.2022 को कुल सदस्य 63)

राजविअ सोसायटी की 35वीं वार्षिक बैठक 12.11.2021 को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री (डब्ल्यूआर), बिहार,

राजस्थान सरकार के सहकारिता और आईजीएनपी विभाग के माननीय मंत्री श्री उदयलाल अंजना और केंद्रीय और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी स्वागत टिप्पणी में संकेत दिया कि नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) के कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है लेकिन सरकार के हमारे संघीय ढांचे के साथ–साथ राज्यों की अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण, हम आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पिछड़ रहे हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि ''जल'' एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, लेकिन समय की मांग है कि हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य और सुरक्षित वातावरण के लिए दृढ़ विश्वास के साथ देश में जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए मिलकर काम करें। माननीय मंत्री जी ने नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों का उल्लेख किया। माननीय मंत्री ने केन–बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ एक नए युग की शुरुआत के रूप में वर्ष 2021 के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि इस उपलब्धि ने आईएलआर परियोजनाओं पर हमारे विश्वास को मजबूत किया है और इससे अन्य लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय मंत्री, जल शक्ति, रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की 35 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की अध्यक्षता करते हुए उनके बायीं ओर श्री प्रहलाद सिंह पटेल, मननीय जल शक्ति राज्य मंत्री और दाईं ओर श्री पंकज कुमार, सचिव जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय**

चूंकि उसी दिन/समय पर एससीआईएलआर की 19 वीं बैठक भी माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें आईएलआर कार्यक्रम/आईएलआर कार्यान्वयन से संबंधित अतिरिक्त मामलों पर विचार–विमर्श किया गया था और इसका विवरण एससीआईएलआर की 19वीं बैठक के अंतर्गत अध्याय–3 में दिया गया है।

## 2.4 शासी निकाय

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी का शासी निकाय (शा.नि.) सचिव (जल संसाधन), भारत सरकार की अध्यक्षता में सोसाइटी के नियमों, उपनियमों तथा आदेशों के अनुसार सोसाइटी के कार्यों तथा निधियों की व्यवस्था, देख–रेख, उन्हें निर्दिष्ट व नियंत्रित करता है तथा आमतौर पर संस्था के ज्ञापन–पत्र के अनुसार सोसाइटी

की गतिविधियों के लिए कार्य करता है तथा ऐसा करते समय सोसाइटी द्वारा निर्धारित नीति–निर्देशों तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण तथा उनका कार्यान्वयन करता है।

## रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय के सदस्यगण

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार | अध्यक्ष |
| 2. | सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 3. | सचिव, ऊर्जा मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 4. | सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 5. | सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालयया उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 6. | सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो। | सदस्य |
| 7. | सचिव, नीति आयोग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो। | सदस्य |
| 8. | अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग | सदस्य |
| 9. | अध्यक्ष, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड | सदस्य |
| 10. | अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण | सदस्य |
| 11. | अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य |
| 12. | सदस्य (जल, नीति व आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग | सदस्य |
| 13. | सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग | सदस्य |
| 14. | महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो। | सदस्य |
| 15. | संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | सदस्य |
| 16. | आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | सदस्य |
| 17. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, आन्ध्र प्रदेश | सदस्य |
| 18. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, असम | सदस्य |
| 19. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, बिहार | सदस्य |
| 20. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, छत्तीसगढ़ | सदस्य |
| 21. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, गुजरात | सदस्य |
| 22. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, हरियाणा | सदस्य |
| 23. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, झारखंड | सदस्य |
| 24. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, कर्नाटक | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 25. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, केरल | सदस्य |
| 26. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, मध्यप्रदेश | सदस्य |
| 27. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, महाराष्ट्र | सदस्य |
| 28. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, ओडिशा | सदस्य |
| 29. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पंजाब | सदस्य |
| 30. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, राजस्थान | सदस्य |
| 31. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तमिलनाडु | सदस्य |
| 32. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 33. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तरप्रदेश | सदस्य |
| 34. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पश्चिम बंगाल | सदस्य |
| 35. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पुद्दुचेरी | सदस्य |
| 36. | जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तेलंगाना | सदस्य |
| 37. | महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण | सदस्य–सचिव |

(31.03.2022 रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय के कुल सदस्य – 37)

रा.ज.वि.अ. की स्थापना से 31.03.2022 तक रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 69 बैठकें हुई हैं। शासी निकाय की 68 एवं 69 वीं बैठक क्रमशः 17.08.2021 एवं 19.01.2022 को वीडियों कांफ्रेसिंग द्वारा श्री पंकज कुमार, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं विभाग, जल शाक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई।

### 2.4.1 शासी निकाय की 68 वीं बैठक

बैठक में विभिन्न कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई जिसमें 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खाते, वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान बजट अनुमान और वास्तविक व्यय शामिल हैं। वर्ष 2021–22 के कार्यों का कार्यक्रम, अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों और प्राथमिकता लिंक की स्थिति सहित प्रगति पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (एनआईआरए) के गठन के प्रस्ताव और पीएमकेएसवाई एआईबीपी के अंतर्गत नाबार्ड वित्त पोषण आदि भी विचार–विमर्श किया गया।

श्री पंकज कुमार सचिव, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में राजविअ की जीबी की 68 वीं बैठक

## 2.4.2 69 वीं शासी निकाय बैठक

इस बैठक में शासी निकाय द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए राजविअ की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को मंजूरी दी गई। महानिदेशक, राजविअ ने वर्ष 2021–22 के लिए राजविअ के कार्यों के कार्यक्रम की तुलना में किए गए कार्यों की प्रगति पर प्रकाश डाला। बैठक के दौरान प्राथमिकता लिंक, डीपीआर पूर्ण और प्रगति राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (एनआईआरए) आदि के गठन पर भी विचार–विमर्श किया गया। शासी निकाय को 7वें भारत जल सप्ताह के स्थगित होने और ब्रिक्स जल मंच के सफल आयोजन और पहली ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक के बारे में भी बताया गया।

श्री पंकज कुमार, सचिव की अध्यक्षता में राजविअ की 69 वीं जीबी बैठक, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. जल शक्ति मंत्रालय

## 2.5 तकनीकी सलाहकार समिति

राजविअ सोसाइटी के शासी निकाय ने अभिकरण द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की परीक्षा और जांच के लिए अध्यक्ष, कें.ज.आ. की अध्यक्षता में राजविअ की एक तकनीकी सलाहकार समिति (त्कनीकी सलाहकार समिति) का गठन किया है। 31.03.2022 तक तकनीकी सलाहकार समिति की अब तक 42 बैठकें हो चुकी हैं। राजविअ की तकनीकी सलाहकार समिति की पिछली बैठक 23.05.2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

**रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति का संघटन**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग | अध्यक्ष |
| 2. | सदस्य (जल, नीति व आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग | सदस्य |
| 3. | सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग | सदस्य |
| 4. | सदस्य (एच. ई.), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली | सदस्य |
| 5. | संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली | सदस्य |
| 6. | सलाहकार (आई. ए.), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली | सदस्य |
| 7. | महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता | सदस्य |
| 8. | अध्यक्ष, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड | सदस्य |
| 9. | महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली | सदस्य |
| 10. | निदेशक/वैज्ञानिक (एफ.), राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की | सदस्य |
| 11. | अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा | सदस्य |
| 12. | महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण | सदस्य–सचिव |
| 13. | मुख्य अभियंता (जल संसाधन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 14. | मुख्य अभियंता व संयुक्त सचिव, नर्मदा एवं जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 15. | प्रमुख अभियंता (अंतःराज्यीयव जल संसाधन), सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 16. | मुख्य अभियंता (बोधी), जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार। | विशेष आमंत्रित |
| 17. | मुख्य अभियंता (जल संसाधन) व संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 18. | मुख्य अभियंता, अंतःराज्यीय जल, केरल सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 19. | मुख्य अभियंता (सिंचाई, अभि. कल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई एकक, राजस्थान सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 20. | प्रमुख अभियंता, जल संसाधन संगठन, तमिलनाडु सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 21. | मुख्य अभियंता, केंद्रीय योजना एकक, सिंचाई विभाग, ओडिशा सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 22. | प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, जल संसाधन विकास संगठन, कर्नाटक सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 23. | मुख्य अभियंता (ज. सं.), सिंचाई निर्माण कार्य, पंजाब सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 24. | मुख्य अभियंता (लिफ्ट नहर), सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 25. | मुख्य अभियंता, पी. पी. प्रकोष्ठ, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 26. | मुख्य अभियंता (अभिकल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई व जलमार्ग निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 27. | मुख्य अभियंता (पी. एंड डी.),ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, असम | विशेष आमंत्रित |
| 28. | मुख्य अभियंता (सिंचाई), सिंचाई विभाग, असम सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 29. | मुख्य अभियंता (सिंचाई एवं बाढ़), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 30. | प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 31. | मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार | विशेष आमंत्रित |
| 32. | प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार | विशेष आमंत्रित |

## (31.03.2022 को रा.ज.वि.अ. के तकनीकी सलाहकार समिति में कुल विशेष आमंत्रित सदस्य क्रमशः 12 तथा 20)

रा.ज.वि.अ. के पत्र संख्या–रा.ज.वि.अ./112/5/तक.–।/2005/भाग 37/4639–85 दिनांक 04.05.2006 के अनुसार टी.ए.सी. के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

1. रा.ज.वि.अ. द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों तथा अन्वेषणों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।

2. जलवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली पर विचार करना और उसे स्वीकृति देना ।

3. संबद्ध राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों/विचारों के प्रकाश में रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार जल संतुलन तथा पूर्व संभाव्यता रिपोर्टों पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।

4. जल अंतरण लिंक प्रस्तावों के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा विस्तृत अन्वेषण करने पर विचार करना तथा सहमति प्रदान करना।

5. संभाव्यता रिपोर्टों के विस्तृत अन्वेषण तथा तैयारी के लिए मार्गदर्शन देना।

# अध्याय – 3
# नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति, उप–समितियां और टास्क फोर्स

## 3.1 नदी जोड़ पर विशेष समिति (एस सी आई एल आर)

माननीय उच्चतम न्यायालय ने समादेश याचिका (सिविल) सं. 512, वर्ष 2002 ''नदियों के अंतर्योजन'' तथा समादेश याचिका (सिविल) सं. 668, वर्ष 2002 के मामले पर दिनांक 27.02.2012 के अपने निर्णय में भारत संघ विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय (अब ज.सं., न.वि. व गं.सं. विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) को नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए माननीय मंत्री, जल संसाधन (जल शक्ति मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश दिया।

दिनांक 24.07.2014 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.02.2012 के निर्णयों का अनुपालन करते हुए "नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति" के गठन को मंजूरी दे दी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब ज.सं., न.वि. व गं.सं. विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) ने दिनांक 23.09.2014 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा "नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति" का गठन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में प्रगति रिपोर्ट की स्थिति तथा ''नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति'' (एस.सी.आई.एल.आर.) के गठन की समीक्षा मंत्रिमंडल की दिनांक 18.11.2015, 15.11.2016, 06.06.2018 एवं 25.05.2021 29.07.2020 की बैठकों में की गई।

## 3.2 नदी जोड़ पर विशेष समिति की उप समितियां

विशेष सैल–नदी जोड़ ने चार विशिष्ट उप–समितियों का गठन किया है;

1. नदी जोड़ के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप–समिति
2. सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए सिस्टम स्टडीज के लिए उप–समिति,
3. रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप–समिति (उप समिति–।।।) और
4. संबंधित राज्यों के बीच समझौते पर पहुंचने और बातचीत के माध्यम से आम सहमति बनाने के लिए उप–समिति (उप समिति–IV)।

तीन उप–समितियां क्रमांक संख्या (1) से क्रमांक संख्या (3) का गठन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.02.2015 द्वारा किया गया था। उपसमिति (4), रा.ज.वि.अ. के अंतर बेसिन जल अंतरण के प्रस्तावों पर राज्यों के बीच आम सहमति पर पहुंचने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए समूह के संबंध में है। जून, 2002 में तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा गठित उप–समिति का नाम बदलकर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.01.2016 के माध्यम से संबंधित राज्यों के बीच समझौते पर पहुंचने और बातचीत के माध्यम से आम सहमति बनाने के लिए किया गया।

## 3.3 नदी जोड़ पर कार्यबल (टी एफ आई एल आर)

इसके अलावा, तत्कालीन जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री बी.एन. नवलावाला, तत्कालीन मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने अपने पत्र 13.04.2015 को नदी जोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहित नदी जोड़ कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा। श्री नवलावाला ने अपना त्यागपत्र दे दिया है और अब श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) को नदी जोड पर कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नदी जोड़ पर कार्यबल के अधीन संबंधित पहलुओं को देखने और नदी जोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कार्यबल को

सलाह देने के लिए दो समूहों, अर्थात् "कानूनी पहलुओं पर समूह" और "वित्तीय पहलुओं पर समूह" का गठन किया गया है।

## 3.4 नदी जोड़ पर विशेष सैल, उप–समिति और नदी जोड़ पर कार्यबल की गतिविधियां

31.03.2022 तक, नदी जोड़ पर विशेष सैल की 19 बैठकें हुई। उप–समिति–। की 8 बैठकें; उप–समिति–।। की 20 बैठकें; उप–समिति–IV की 4 बैठकें; नदी जोड़ पर कार्यबल की 15 बैठकें; कानूनी समूह की 10 बैठकें; और वित्तीय समूह की 13 बैठकें रा.ज.वि.अ द्वारा आयोजित की गई थीं। कानूनी समूह ने 17.03.2017 को अध्यक्ष, नदी जोड़ पर कार्यबल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि वित्तीय समूह ने 25.07. 2018 को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट सौंपी।

राज.वि.अ के पुनर्गठन पर उप–समिति–।।। ने 21.09.2015 को, रा.ज.वि.अ. अधिकारियों के साथ कई बैठकें और इन–हाउस चर्चा के बाद, तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, जिसके बाद, विशेष सैल–नदी जोड़ ने 29.04.2016 को आयोजित 9वीं बैठक से शुरू होने वाली अपनी विभिन्न बैठकों के दौरान तत्कालीन सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) को रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन की प्रक्रिया करने की सलाह दी। मंत्रालय ने दिसंबर, 2017 में सूचित किया कि जैसा कि मंत्रालय बड़े सुधार कर रहा है, कुल मिलाकर मंत्रालय रा.ज.वि.अ के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, यह पुनर्गठन, मंत्रालय के बड़े सुधारों का उपसमूह बन जाएगा। तत्कालीन माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) ने 17. 01.2018 को आयोजित नदी जोड़ पर विशेष सैल की 14 वीं बैठक में सलाह दी थी कि तत्कालीन सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) रा.ज.वि.अ. के तत्काल पुनर्गठन पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

### 3.4.1 नदी जोड़ पर विशेष सैल की 19 वीं बैठक

नदी जोड़ पर विशेष सैल की 18वीं बैठक 07.12.2021 को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति, अन्य राज्यों के मंत्रियों, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकार के संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

### 3.4.1 एससीआईएलआर की 19 वीं बैठक

**श्री गजेंद्र सिंह शेखाववत, माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए। उनके बायीं ओर श्री प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. और दाईं ओर श्री पंकज कुमार सचिव, जल शक्ति मंत्रालय ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि.हैं।**

माननीय जल शक्ति मंत्री ने उल्लेख किया कि हम सभी एक कोमन डोमेन नामतः ''जल'' से जुड़े हुए हैं और पानी पूरी मानव जाति के लिए सबसे मूल्यवान संसाधन है। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि

हमारा देश कई कारकों के कारण इस बहुमूल्य संसाधन के प्रबंधन में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। देश भर में जल संसाधनों का असमान वितरण हो रहा है जिसमें कुछ स्थानों पर बाढ़ और कुछ अन्य स्थानों पर सूखा पड़ा है। यहां तक नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने केबीएलपी के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करने की उपलब्धि के कारण एक नए युग की शुरुआत के रूप में वर्ष 2021 के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि इस उपलब्धि ने हमारे विश्वास को ओर मजबूत किया है कि आईएलआर परियोजनाओं को लागू किया जा सकता है और उल्लेख किया कि केबीएलपी न केवल एक परियोजना है, बल्कि एक पैरागॉन है जिसका पालन करने की हर अन्य आईएलआर परियोजना को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने त्रिपक्षीय समझौते पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर करने के लिए राजविअ और जल शक्ति मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दिया जो राष्ट्रीय हित के लिए आगे आए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि हमें नए उत् साह के साथ समयबद्ध तरीके से आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान् वयन के लिए आगे बढ़ना चाहिए और हमें पूरे देश में उत्साह जल उपयोग के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए।

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने इस बात को संबोधित किया कि पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के मुद्दे, जल बंटवारे के मुद्दों आदि जैसे कई बड़े मुद्दे केबीएलपी के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ने के रास्ते में आए, लेकिन समझौते पर अंततः हस्ताक्षर किए गए और इसलिए, केबीएलपी एक साधारण परियोजना नहीं है बल्कि एक अनुकरणीय परियोजना है जो आईएलआर कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए हमारे उत्साह को और बढ़ाएगी। उन् होंने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे आईएलआर परियोजनाओं जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उनके बीच तकनीकी सहमति बनाने के लिए आगे आएं।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री (डब्ल्यूआर), बिहार ने बिहार के कोसी–मेची अंतःराज्यीय संपर्क को तैयार करने के लिए राजविआ के प्रयासों की सराहना की और परियोजना के लिए एक वर्ककिंग डीपीआर तैयार करने का अनुरोध किया। श्री उदयलाल अंजना, माननीय सहकारिता मंत्री और आईजीएनपी विभाग, राजस्थान सरकार ने राजस्थान की जल संकटग्रस्त स्थिति का हवाला दिया और माननीय मंत्री जी से राज्य की दो परियोजनाओं के लिए लंबित मुद्दों को हल करने का अनुरोध किया नामत: पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) और ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना। उन्होंने कहा कि जल की कमी वाले राज्यों के लिए आईएलआर बहुत फायदेमंद होगा और इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द तेज किया जाना चाहिए।

महानिदेशक, राजविअ ने नीरा के गठन की पृष्ठभूमि दी। जैसा कि विभिन्न पक्षों द्वारा आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त रूप से अधिकार प्राप्त निकाय के गठन पर जोर दिया गया है, इस मामले को समय–समय पर जोर से आगे बढ़ाया जा रहा है और इस मुद्दे पर 22.10.2021 को आयोजित टीएफआईएलआर की 15वीं बैठक में विचार–विमर्श किया गया था। राजविअ के महानिदेशक ने सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया कि टीएफआईएलआर की उस बैठक के दौरान विचार–विमर्श के आधार पर, एनआईआरए की एक संरचना प्रस्तावित की गई है और उन्होंने संरचना, इसके व्यापक अधिदेशों और कार्यों और राजवि को एनआईआरए में समाहित करने के प्रस्ताव और एनआईआरए में जनशक्ति की आवश्यकता और समितियों की संरचना के बारे में विस्तार से बताया।

### 3.4.2 टीएफआईएलआर की 14 वीं और 15 वीं बैठकें

टीएफआईएलआर की 14 वीं और 15 वीं बैठकें क्रमशः 29.09.2021 और 22.10.2021 को श्री श्रीराम वेदीरे, अध्यक्ष, टास्क फोर्स और सलाहकार, ज.सं.वि., आरडी और जीआर, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थीं।

#### 3.4.2.1 टीएफआईएलआर की 14 वीं बैठक

14 वीं बैठक के दौरान महानिदेशक राजवि ने सदस्यों को कार्यान्वयन के लिए केबीएलपी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने, गोदावरी–कावेरी लिंक परियोजना की डीपीआर के परिचालन, मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा (एम–एस–टी–जी) लिंक परियोजना के सिस्टम अध्ययन की शुरुआत, प्रस्तावित

ईआरसीपी के साथ एनपीपी के पीकेसी लिंक के एकीकरण के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के साथ बातचीत करने के लिए किए गए प्रयासों की उपलब्धियों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी।

**दिनांक 29.09.2021 को आयोजित टीएफआईएलआर की 14वीं बैठक**

उन्होंने सी.ई.सी. की सिफारिशों की स्थिति, वित्त पोषण तंत्र, एसपीवी, निगरानी तंत्र आदि पर सवालों के जवाब भी दिए और इन मुद्दों पर सदस्यों के सुझावों का भी उल्लेख किया। टीएफआईएलआर के अध्यक्ष ने आईएलआर कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक गैर–सांविधिक निकाय के रूप में एनआईआरए के गठन के बारे में जानकारी दी। महानदी–गोदावरी लिंक के सिस्टम स्टडी के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल के अद्यतनीकरण/संशोधन के संबंध में सदस्यों के सुझाव भी प्राप्त किए गए थे।

### 3.4.2.2 टीएफआईएलआर की 15 वीं बैठक

15 वीं बैठक नीरा के गठन के एकल एजेंडा पर आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान राजविअ के महानिदेशक ने आईएलआर के लिए एक अलग प्राधिकरण की स्थापना की आवश्यकता के बारे में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए पिछले अध्ययनों के बारे में जानकारी दी।

**22.10.2021 को आयोजित टीएफआईएलआर की 15वीं बैठक**

उन्होंने आईएलआर परियोजनाओं के लिए केन्द्र के लिए मंत्रिमंडल यी नोट के मसौदे की तैयारी और प्रचलन से लेकर राज्य के वित्त पोषण पैटर्न, कानूनी प्रावधान आदि की तैयारी और प्रचालन से शुरू होने वाले एनआईआरए के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सदस्यों को अवगत कराया। एनआईआरए के लिए प्रस्तावित जनादेश, कार्यों, संरचना, जनशक्ति पर भी चर्चा की गई। आगे के अद्यतनीकरण के लिए विभिन्न सदस्यों के सुझावों को नोट किया गया था।

## 3.4.3. सिस्टम स्टडी के लिए उप–समिति की 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं बैठकें

प्रो पीबीएस सरमा की अध्यक्षता में 08.04.2021, 25.08.2021, 26.11.2021 और 26.03.2022 को प्रो. पी.बी.एस. सरमा की अध्यक्षता में सिस्टम स्टडी के लिए उप–समिति की चार बैठकें आयोजित की गई थीं।

## 3.4.3. सिस्टम स्टडी के लिए उप–समिति की 17वीं बैठक

17 वीं बैठक में, एनआईएच, रुड़की द्वारा किए जा रहे महानदी–गोदावरी लिंक के प्रणाली स्टडीज पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया और अध्ययन की नवीनतम स्थिति पर प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें अध्ययन के मुख्य उद्देश्यों का हवाला दिया गया और अध्ययन से प्राप्त मुख्य विश्लेषण डॉ एमके गोयल, एनआईएच, रुड़की द्वारा बताए गये थे। अन्य लिंकों के सिस्टम स्टडी शुरू करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई और सदस्य सचिव ने सूचित किया कि पांच (5) प्रतिष्ठित संस्थानों से रुचि की अभिव्यक्ति नामतः एनआईएच, रुड़कीय वापकोस, गुड़गांव, एनआईटी, पटना, गुवाहटी तथ एनआईटी, वारंगल से लिंक परियोजनाओं नामतः मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा (एम–एस–टी–जी), फरक्का–सुंदरबन, गंगा–दामोदर–सुवर्णरेखा (जी–डी–एस) और सुवर्णरेखा–महानदी के लिए प्रस्तावित सिस्टम स्टडी के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रस्तावों में विशिष्टता की कमी थी और इन प्रस्तावों को अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण और पद्धति, उनके पास उपलब्ध डोमेन विशेषज्ञों और परियोजना के लिए उनके समय आवंटन और इन संस्थानों द्वारा किए जा रहे समान सिस्टम स्टडीों के बारे में जानकारी पर स्पष्टता के साथ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बैठक के दौरान तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए सौंपी जाने वाली विशेषताओं और उनके महत्व पर विचार–विमर्श किया गया। उप–समिति के अध्यक्ष ने संस्थानों/संगठनों से सभी प्रकार से पूर्ण तकनीकी प्रस्तावों को यथाशीघ्र प्राप्त करने का सुझाव दिया।

## 3.4.3.2. सिस्टम अध्ययन के लिए उप–समिति की 18 वीं बैठक

18वीं बैठक के दौरान महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना के सिस्टम स्टडी के संबंध में, डॉ एमके गोयल, एनआईएच, रुड़की द्वारा सूचित किया गया था कि अध्ययन अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है और मसौदा रिपोर्ट के 11 अध्यायों में से 7 को पूरा कर लिया गया है और अध्ययन का मसौदा रिपोर्ट बहुत जल्द प्रस्तुत किया जाएगा।

**दिनांक 25.08.2021 को सिस्टम स्टडी के लिए उप–समिति की 18वीं बैठक**

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि चार संस्थानों से रुचि की अभिव्यक्ति नामतः एनआईएच, रुड़की, एनआईटी, पटना, आईआईटी, गुवाहाटी और एनआईटी, वारंगल से लिंक परियोजनाओं नामतः एम–एस–एस–टी–जी, फरक्का–सुंदरबन, जी–डी–एस और सुवर्णरेखा–महानदी के लिए प्रस्तावित सिस्टम स्टडी के लिए प्राप्त हुए हैं और इन संस्थानों के अधिकारियों ने अपने प्रस्तावों की एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी है। अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि इसमें शामिल कार्य की मात्रा एक संस्थान के लिए बहुत बड़ी है, इसलिए इसके लिए सभी चार संस्थानों को शामिल करने और संस्थान की भौगोलिक स्थिति और आईआईटी को एम–एस–टी–जी लिंक के प्रणाली अध्ययन के अस्थायी आवंटन के साथ लिंक प्रणाली के आधार पर चार संस्थानों में से प्रत्येक को एक–एक लिंक प्रणाली आवंटित करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक संस्थान को उस संस्थान को आवंटित लिंक की जिम्मेदारी लेनी होगी और एक जेनेरिक प्रणाली मॉडल के साथ काम करने का प्रयास करना होगा। समिति के अध्यक्ष ने राजविअ के महानिदेशक से कहा कि वे सभी चार संस्थानों से सिस्टम स्टडी कार्य शुरू करने के लिए समय–सीमा और वित्तीय प्रस्ताव की मांग करें, ताकि अगली बैठक के दौरान इस पर चर्चा की जा सके और इसे अंतिम रूप दिया जा सके।

### 3.4.3.3 सिस्टम अध्ययन के लिए उप–समिति की 19वीं बैठक

19 वीं बैठक के दौरान, सदस्य–सचिव ने महानदी–गोदावरी लिंक के सिस्टम स्टडी की प्रगति की स्थिति के बारे में बताया और बताया कि अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट का मसौदा एनआईएच, रुड़की द्वारा अक्टूबर, 2021 में प्रस्तुत किया गया था। बैठक में अंतिम रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा करते हुए डॉ एमके गोयल, एनआईएच, रुड़की से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे। इसके अतिरिक्त, यह रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी और डा पीके अग्रवाल को भेजने का निर्णय लिया गया था। ओडिशा विश्वविद्यालय रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले इसके विशिष्ट घटकों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

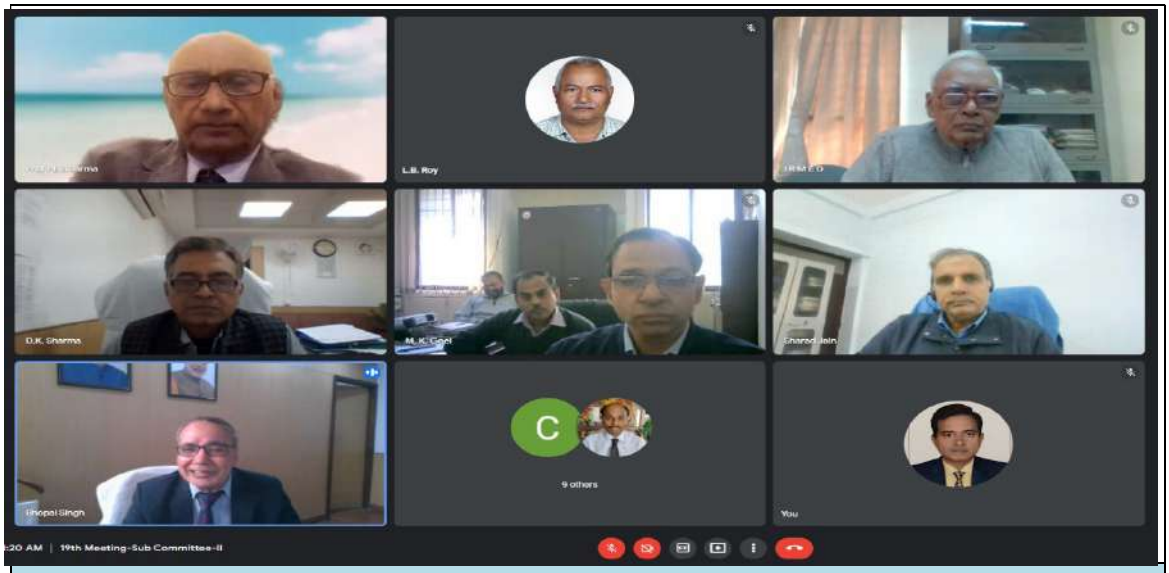


**26.11.2021 को हुई सिस्टम स्टडी के लिए उप–समिति की 19वीं बैठक**

बैठक के दौरान चार संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें उनकी समय–सारणी और अनुमान शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष ने चार संस्थानों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे उन्हें आबंटित लिंकों के सिस्टम स्टडी के लिए डाटा संग्रहण और संकलन का कार्य शुरू करें और यह निर्णय लिया गया कि राजविअ को वित्तीय प्रस्तावों की जांच करनी है और इन प्रस्तावों पर अगली बैठक में ही उप–समिति के सदस्यों द्वारा चर्चा और समीक्षा की जाएगी।

### 3.4.3.4 सिस्टम स्टडी के लिए उप–समिति की 20वीं बैठक

20 वीं बैठक के दौरान, चार लिंक के सिस्टम स्टडी के लिए काम के दायरे के व्यापक अवलोकन पर चर्चा की गई थी।

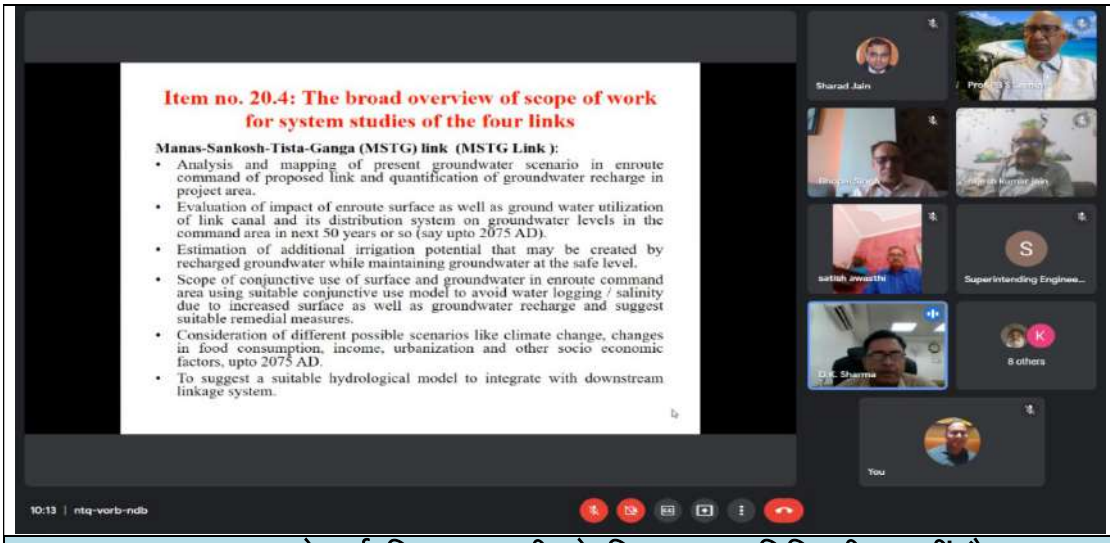


**26.03.2022 को हुई सिस्टम स्टडी के लिए उप–समिति की 20 वीं बैठक**

महानिदेशक, राजविअ ने सदस्यों को अवगत कराया कि राजविअ ने मैट्रिक्स रूप में कुछ विशेषताओं के आधार पर चार लिंकों के प्रणाली अध्ययन में शामिल सापेक्ष कार्यभार का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। उप–समिति के सदस्यों द्वारा कार्य भार मूल्यांकन के औचित्य की जांच की गई थी। अध्यक्ष, उप–समिति ने सुझाव दिया कि कार्यों को दो कोष्ठकों में वर्गीकृत किया जा सकता है नामतः लगभग 90 लाख एवं 18% जीएसटी तक सीमित लागत पर एक ब्रैकेट के रूप में एम–एस–टी–जी और जी–डी–एस लिंक का सिस्टम स्टडी कार्य और सुवर्ण रेखा–महानदी और फरका–सुंदरबन लिंक परियोजना के सिस्टम स्टडी कार्य को लगभग 70 लाख 18% जीएसटी तक सीमित लागत पर दूसरे ब्रैकेट के रूप में। समिति के सभी सदस्य इस सुझाव पर सहमत हुए। इसे चार संस्थानों को सूचित करने का निर्णय लिया गया।

# अध्याय – 4

# तकनीकी गतिविधियाँ

## 4.1 अंतर–बेसिन और अंतः–बेसिन जल अंतरण लिंकों पर अध्ययन

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को प्रारंभ में हमारे देश के जल संसाधन विकास के लिए एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययनों का कार्य सौंपा गया था। तत्पश्चात् एनपीपी के हिमालयी नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययन भी वर्ष 1990–91 के दौरान सौंपे गए थे। वर्ष 2006–07 के दौरान संबंधित राज्यों की सहमति के बाद अंतर बेसिन लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने का कार्य भी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सौंपा गया था। तदनुसार, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने वर्ष 2006–07 में केबीएलपी की डीपीआर तैयार करना शुरू कर दिया था और इसे 31.12.2008 को पूरा कर लिया गया। केबीएलपी की डीपीआर को चरण–। और चरण–।। में बांटा गया था। केबीएलप (चरण–।) की डीपीआर में दौधन बांध शामिल है और इसके उपयुक्त कार्य, सुरंग, विद्युत गृह और लिंक नहर वर्ष 2010 में पूरा हो गया था। केबीएलपी (चरण–।।) और डीपीएलपी की डीपीआर वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा पूरी कर ली गई थी। पीटीएनएलपी की डीपीआर तैयार करने का कार्य 2015–16 में पूरा हुआ था। गोदावरी (इन्चमपल्ली बैराज)–कावेरी (ग्रांट एनीकट) लिंक परियोजना के वैकल्पिक अध्ययन का प्रारूप डीपीआर, जिसमें तीन लिंक नामतःगोदावरी (इन्चमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी (ग्रांट एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं, को मार्च 2019 में परिचालित किया गया था। राज्यों की व्यवहार्य टिप्पणियों को शामिल करते हुए डीपीआर को संशोधित किया गया था और दिनांक 28.04.2021 को संबंधित राज्यों को परिचालित किया गया था। कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना की प्रारूप डीपीआर भी अगस्त, 2020 में पूरी हो गई थी और इसे पक्षकार राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। बेदती–वरदा लिंक परियोजना (खंड–।: रिपोर्ट और खंड–।। अनुलग्नक) की मसौदा डीपीआर को उनकी टिप्पणियों के लिए दिनांक 17.02.2022 को तथा खंड–।।। आरेखन को 25.02.2022 को कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत किए गए थे ।

राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों के पीएफआर/एफआर तैयार करने का कार्य वर्ष 2006–07 के दौरान राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सौंपा गया। तत्पश्चात्, वर्ष 2011 के दौरान अंतःराज्यीय लिंकों की डीपीआर तैयार करने का कार्य भी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सौंपा गया था। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को 10 राज्यों नामतः महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से अंतःराज्यीय लिंकों के 49 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 39 अंतःराज्यीय लिंकों के पीएफआर 31.03.2022 तक पूरे कर लिए गए थे। ओडिशा की नागवल्ली–रुशिकुल्या–वामसाधारा अंतःराज्यीय लिंक परियोजना का पीएफआर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा शुरू किया गया है और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पूरा कर लिया गया है।

4 अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर नामतः 1. बूढ़ी–गंडक–नून–बया–गंगा 2. बिहार की कोसी–मेची लिंक परियोजनाए 3. तमिलनाडु की पोन्नैयार–पलार लिंक परियोजना और 4. महाराष्ट्र के वैनगंगा–नलगंगा लिंक निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। उपर्युक्त के अलावा, दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी और दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी लिंक परियोजनाओं की प्रारूप डीपीआर भी रिपोर्टिंग अवधि 2021–22 के दौरान पूरी कर ली गई है और संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों के समग्र विवरण अध्याय–7 में अलग–अलग दिए गए हैं।

## 4.2 एनपीपी के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा पूरे किए गए प्रारंभिक अध्ययन

एनपीपी के प्रायद्वीपीय और हिमालयी घटकों के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा पूरे किए गए प्रारंभिक अध्ययन तालिका–1 में दर्शाए गए हैं।

## तालिका – 1

## राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा पूरा किया गया प्रारंभिक अध्ययन

| क्रमांक | अध्ययन का नाम | प्रायद्वीपीय घटक | हिमालयी घटक | पूर्ण कुल अध्ययन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I) | जल संतुलन अध्ययन<br>– बेसिन /उप बेसिन<br>– पथांतरण अंक | <br>137<br>52 | <br>–<br>19 | <br>137<br>71 |
| | **कुल** | **189** | **19** | **208** |
| II) | स्थलाकृति अध्ययन के लिए<br>– जलाशय भंडारण स्थल<br>– लिंक संरेखण | <br>58<br>18 | <br>16<br>19 | <br>74<br>37 |
| | **कुल** | **76** | **35** | **111** |
| III) | प्रत्येक अतिरिक्त और वैकल्पिक अध्ययन सहित पीएफआर अध्ययन के लिए लिंक | 18 | 14 | 32 |

### 4.3 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा अध्ययन के अंतर्गत जल अंतरण लिंक

एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक और हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा एफआर तैयार करने के लिए पहचानी गई जल अंतरण लिंक परियोजनाएं क्रमश 16 और 14 हैं और वे नीचे दी गई हैं–

| एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत |
|---|
| 1. महानदी (मणिभद्र) – गोदावरी (दौलेश्वरम) |
| 2. गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) |
| 3. गोदावरी (इन्चमपल्ली) – कृष्णा (पुलिचिंतला) |
| 4. गोदावरी (इन्चमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर) |
| 5. कृष्ण (नागार्जुनसागर) – पेन्नार (सोमासिला) |
| 6. कृष्णा (श्रीशैलम) – पेन्नार |
| 7. कृष्णा (अलमट्टी) – पेन्नार |
| 8. पेन्नार (सोमासिला) – कावेरी (ग्रांड एनीकट) |
| 9. कावेरी (कट्टालाइ) – वैगई – गुंडार |
| 10. पार्वती – कालीसिंध – चंबल |
| 11. दमनगंगा – पिंजाल |
| 12. पार – तापी – नर्मदा |
| 13. केन – बेतवा |
| 14. पंबा – अचनकोविल – वैप्पर |

15. नेत्रावती – हेमावती
16. बेदती – वरदा

**एनपीपी के हिमालयी नदियों के विकास घटक के अंतर्गत**

1. मानस – संकोश – तीस्ता – गंगा (एम–एस–टी–जी)
2. कोसी – घाघरा
3. गंडक – गंगा
4. घाघरा – यमुना
5. शारदा – यमुना
6. यमुना – राजस्थान
7. राजस्थान – साबरमती
8. चुनार – सोन बैराज
9. सोन बांध – गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ
10. गंगा (फरक्का) – दामोदर – सुवर्णरेखा
11. सुवर्णरेखा – महानदी
12. कोसी – मेची
13. फरक्का – सुंदरबन
14. जोगीघोपा – तीस्ता – फरक्का (एम–एस–टी–जी का विकल्प)

**अध्ययन किए जा रहे विभिन्न प्रस्तावित अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों को दर्शाने वाला मानचित्र निम्नानुसार है**

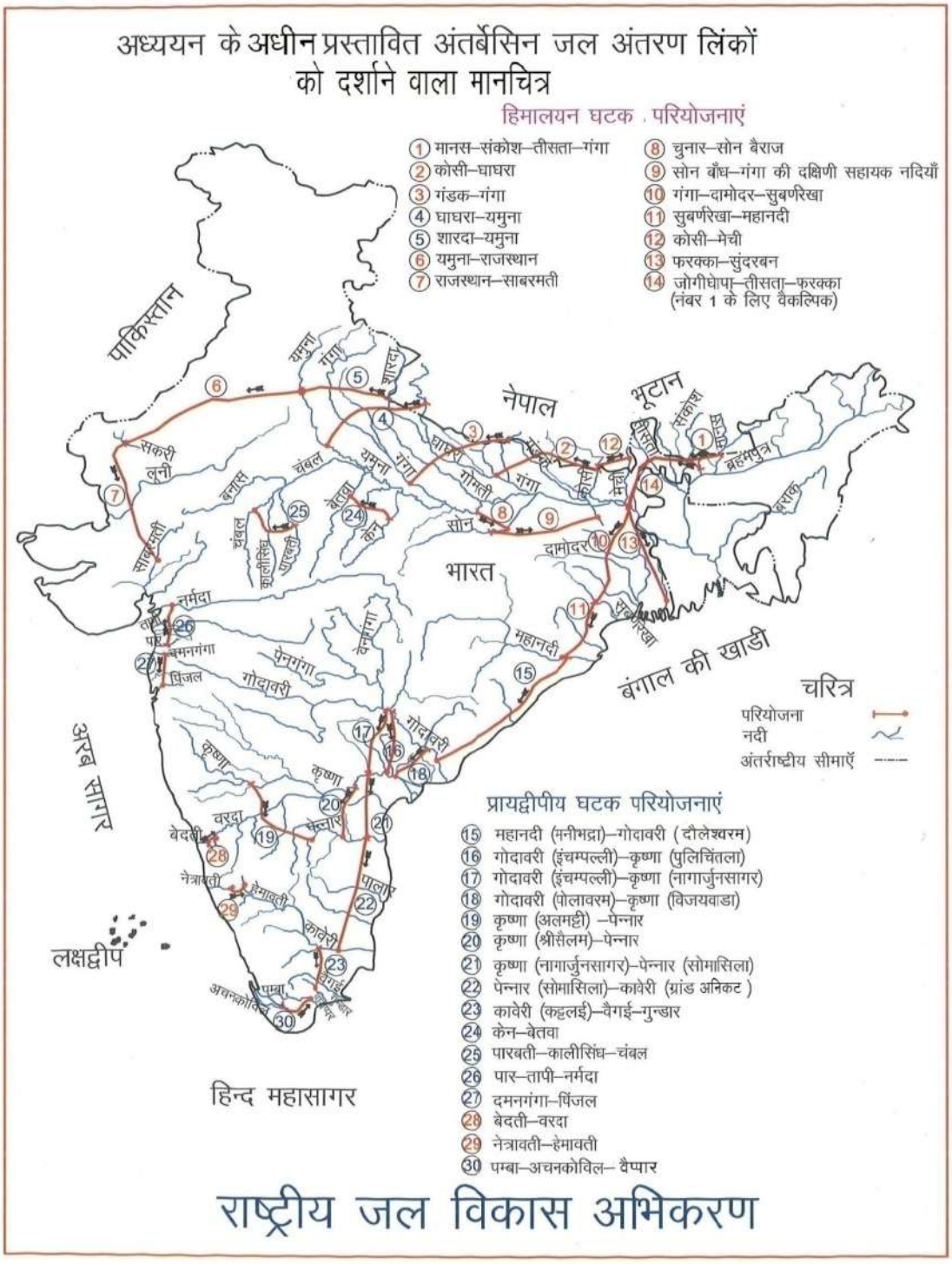


:–

## 4.4 एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत अंतर बेसिन लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों और व्यवहार्यता रिपोर्टों की तैयारी की वर्तमान स्थिति

16 लिंक परियोजनाओं में से, जिनकी पहचान एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत की गई है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, 7 लिंक परियोजनाओं नामतः केन–बेतवा; दमनगंगा–पिंजाल; पार–तापी–नर्मदा; गोदावरी (इन्चमपल्ली)– कावेरी (ग्रांड एनीकट) में तीन लिंक परियोजनाएं नामतः गोदावरी (इन्चमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी (ग्रांड एनीकट) की डीपीआर शामिल हैं; और कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक परियोजनाएं पूरी हो गई है तथा परिचालित की गई हैं। केन–बेतवा, दमनगंगा–पिंजाल, पार–तापी–नर्मदा और गोदावरी (इन्चमपल्ली)–कावेरी (ग्रांड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, जिसमें ऊपर उल्लिखित तीन लिंक परियोजनाएं शामिल हैं, को अलग–अलग अध्याय–5 में प्रस्तुत किया गया है। 7 पूर्ण हो चुकी डीपीआर के अतिरिक्त, बेदती–वरदा लिंक परियोजना की प्रारूप डीपीआर भी पूरी कर ली गई है और उसे टिप्पणियों के लिए कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

16 लिंक परियोजनाओं में से 2 लघु लिंक परियोजनाओं को छोड़कर सभी लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट, नामतः बेदती–वरदा और नेत्रावती–हेमावती लिंक परियोजनाएं कर्नाटक राज्य सरकार से संबंधित हैं, जिन्हें दिनांक 31.03.2022 तक पूरा कर लिया गया है। महानदी (बरमूल)–गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक परियोजना के वैकल्पिक अध्ययन की व्यवहार्यता रिपोर्ट भी अक्टूबर, 2020 में पूरी कर ली गई और पक्षकार राज्यों के बीच परिचालित की गई है।

### 4.4.1 कावेरी (कट्टालाई)–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना

एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत महानदी–गोदावरी–कृष्णा–पेन्नार–कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक प्रणाली को नौ लिंक प्रणाली के रूप में पहचाना गया है। महानदी, गोदावरी लिंक प्रणाली की जननी लिंक है। कावेरी (कट्टालाई)– वैगई–गुंडर लिंक परियोजना इस नौ लिंक प्रणाली का अंतिम चरण है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने वर्ष 2004 के दौरान इस लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है और संबंधित राज्यों को परिचालित की है। लिंक नहर के माध्यम से अंतरण के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले जल की मात्रा मुख्य रूप से महानदी और गोदावरी बेसिनों के अधिशेष प्रवाह की उपलब्धता पर निर्भर करती है जिसे महानदी–गोदावरी–कृष्णा–पेन्नार–कावेरी लिंक स्कीमों के माध्यम से हिमालयी घटक के एकीकरण से वृद्धि सहित पूर्ववर्ती ऊपरी लिंकों द्वारा लाया जाना है। कावेरी (कट्टालाई)–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने से संबंधित कार्य पूरे हो चुके हैं और डीपीआर को अगस्त, 2020 के दौरान पक्षकार राज्यों को परिचालित किया गया।

### 4.4.2 बेदती– वरदा लिंक परियोजना

कर्नाटक सरकार ने लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए अपनी सहमति व्यक्त की, लेकिन स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों के विरोध के कारण काम रुक गया, जिन्होंने मांग की थी कि संबंधित क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन पहले कर्नाटक सरकार द्वारा उनके द्वारा तैयार किए गए टर्म ऑफ रिफीरेन्स (टीओआर) के साथ किया जाना चाहिए। 23-03-2018 को आयोजित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की 65वीं शासी निकाय बैठक के दौरान कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने इस लिंक के ईआईए अध्ययन के लिए टीओआर पर कुछ आपत्तियां उठाई हैं और कर्नाटक सरकार जल्द ही आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगी और टीओआर को मंजूरी मिलने के बाद, कर्नाटक सरकार बेदती –वरदा लिंक परियोजना का ईआईए अध्ययन शुरू कर सकती है।

कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड (केएनएनएल) और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिकारियों की एक बैठक दिनांक 30.11.2018 को बेंगलुरु में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, केएनएनएल के अधिकारियों ने वन तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए टीओआर पर उठाए गए बिंदुओं को शामिल करना आवश्यक समझा जिसमे – डीपीआर को प्रारम्भ करना

शामिल है, उन्होने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से परियोजना की डीपीआर का कार्य आरंभ करके अनुरोध किया। इसके बाद, मुख्य अभियंता, मालाप्रभा जोन, केएनएनएल, कर्नाटक सरकार ने अपने दिनांक 08.03.2019 के पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने का अनुरोध किया। कर्नाटक सरकार ने बेदती से वरदा नदियों तक जल अंतरण के लिए दो विकल्पों का भी सुझाव दिया है। धारवाड़ में 22.07.2019 को कर्नाटक सरकार के केएनएल और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिकारियों के बीच आयोजित बैठक के कार्यवृत के अनुसार, मुख्य अभियंता, केएनएल, मालाप्रभा परियोजना द्वारा शिगगांव, सावनूर, कुंडगोल, तालुका क्षेत्रों और हुबली और धारवाड़ जुड़वां शहरों के गंभीर रूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए धर्मा जलाशय (वरदा नदी के बजाय) में पानी के अंतरण पर विचार करने का सुझाव दिया गया था। कर्नाटक सरकार ने दिनांक 21.01.2021 के पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति भेज दी है। वेदती–वरदा लिंक परियोजना की प्रारूप डीपीआर रिपोर्टिंग अवधि में पूरी कर ली गई है और उनकी टिप्पणियों के लिए कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत की गई है।

### 4.4.3 नेत्रावती – हेमावती लिंक परियोजना

कर्नाटक सरकार ने अभी तक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपनी सहमति से अवगत नहीं कराया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण एफआर की तैयारी के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करने के लिए सहमति के लिए कर्नाटक सरकार के साथ नियमित रूप से इस मामले को आगे बढ़ा रहा है। 27.01.2016 को आयोजित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की 62 की शासी निकाय बैठक के दौरान, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि नेत्रावती जल के अंतरण की परिकल्पना करने वाली यतिनहोल परियोजना की डीपीआर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई है और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की टिप्पणियां 11.11.2016 को भेजी गई है।

23.03.2018 को आयोजित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के शासी निकाय की 65वीं बैठक के दौरान, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि कर्नाटक सरकार ने यतिनहोल परियोजना की योजना बनाई है क्योंकि वे नेत्रावती–हेमावती लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट को शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं। यह स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा यतिनहोल परियोजना की डीपीआर की जांच की गई थी और टिप्पणियां कर्नाटक सरकार को भेजी गई थीं कि दोनों परियोजनाएं नामतः यतिनहोल परियोजना, जैसा कि कर्नाटक द्वारा तैयार किया गया है और एनपीपी के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा प्रस्तावित नेत्रावती–हेमावती लिंक परियोजना कार्यान्वयन योग्य है।

### 4.4.4 महानदी – गोदावरी लिंक परियोजना

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, बरमूल बांध स्थल (अप्रैल, 2018) में महानदी बेसिन में 75% धारणीयता पर समग्र जल उपलब्धता और जल संतुलन क्रमशः 49101 एमसीएम और 6794 एमसीएम है। ओडिशा सरकार एनआईएच द्वारा किए गए जल संतुलन अध्ययन से सहमत नहीं है और एनआईएच द्वारा किए गए अध्ययन पर कतिपय टिप्पणियां की हैं, जिनकी रा.ज.वि.अ द्वारा जांच की गई है और उनका उत्तर दिया गया है। वैकल्पिक महानदी (बरमूल )– गोदावरी (दौलेश्वरम ) लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट अक्टूबर, 2020 में पूरा हो गई है और परिचालित की गई। लिंक परियोजना के लिए सिस्टम स्टडी कार्य एनआईएच, रुड़की को भी सौंपा गया है और अंतिम प्रारूप रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है एवं सिस्टम स्टडी संबंधी उप–समिति के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दी गई है।

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत विभिन्न अध्ययनों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

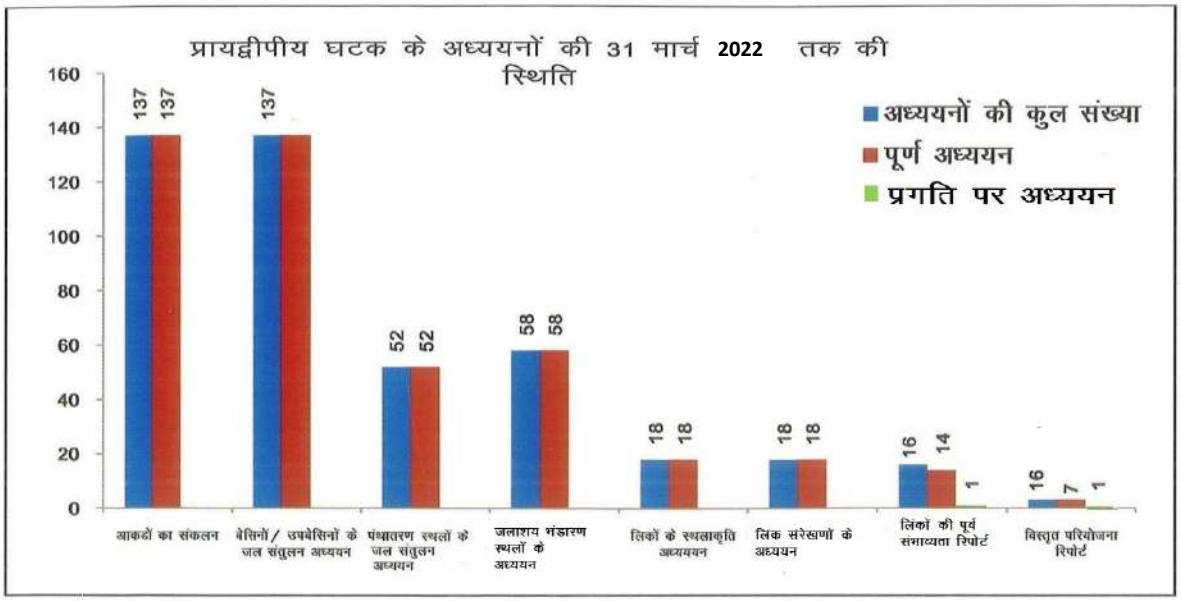


## एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत अंतर बेसिन लिंकों की डीपीआर की वर्तमान स्थिति

| क्रमांक. | लिंक परियोजना का नाम | लिंक परियोजना की डीपीआर की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | केन–बेतवा (चरण–।) और केन–बेतवा (चरण–।।) | केबीएलपी की डीपीआर को चरण–। और चरण–।। में विभाजित किया गया है । केबीएलपी (चरण–।) की डीपीआर में दौधन बांध शामिल है और इसके उपयुक्त कार्य, सुरंग, विद्युत गृह और लिंक नहर 2010 में पूरा हो गया था। केबीएलपी (चरण–।।) की डीपीआर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान पूरी कर ली गई थी। तब से केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए सामान्य सहमति बनाने का कार्य शुरू किया गया था। केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों और भारत के माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के बीच दिनांक 22.03.2022 को हस्ताक्षर किए गए। पीआईबी ने 1 अक्टूबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केबीएलपीए नामक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से 39317 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ वर्ष 2020–21 के मूल्य स्तर पर 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 08.12.2021 को केन–बेतवा लिंक के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है । 11 फरवरी, 2022 को की गई राजपत्रित अधिसूचना जिसमें भारत सरकार ,मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा |

| | | |
|---|---|---|
| | | संयुक्त रूप से केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक संचालन समिति और विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात केबीएलपीए का गठन किया गया है। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार केबीएलपी चरण । और ।। पर खर्च की गई कुल राशि 6932.77 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य के बजट से खर्च किए गए 2293.31 करोड़ रुपये शामिल हैं। |
| 2. | दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजना | वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा डीपीएलपी की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। |
| 3. | पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना | पीटीएनएलपी की डीपीआर तैयार करने का काम 2015–16 में पूर्ण हो गया है। |
| 4. | गोदावरी (इन्चमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर) | गोदावरी (इन्चमपल्ली बैराज)– कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के वैकल्पिक अध्ययन की डीपीआर का प्रारूप मार्च 2019 में परिचालित किया गया था, जिसमें गोदावरी (इन्चमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी (ग्रांट एनीकट) शामिल हैं। डीपीआर को राज्यों की व्यवहार्य टिप्पणियों को शामिल करते हुए संशोधित किया गया था और 28.04.2021 को संबंधित राज्यों को परिचालित किया गया था। |
| 5. | कृष्ण (नागार्जुनसागर) – पेन्नार (सोमासिला) | |
| 6. | और पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी (ग्रांट एनीकट) | |
| 7. | कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना | कावेरी (कट्टालाई)– वैगई–गुंडर लिंक परियोजना की डीपीआर पूरी हो गई थी और अगस्त 2020 के दौरान पार्टी राज्यों को परिचालित की गई है। |
| 8. | वेदती –वरदा लिंक परियोजना | बेद्दी–वरदा लिंक परियोजना की प्रारूप डीपीआर फरवरी, 2022 में पूरी हो गई थी और उनकी टिप्पणियों के लिए कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत की गई थी। |

## 4.5 एनपीपी के हिमालयी घटक के अंतर्गत अंतर बेसिन लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति

हिमालयी घटक के अंतर्गत चिन्हित किए गए 14 लिंकों में से रा.ज.वि.अ ने 2 लिंकों नामतः शारदा–यमुना और घाघरा–यमुना (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) का अध्ययन पूरा कर लिया है, लेकिन परिचालित नहीं किया गया है क्योंकि नेपाल क्षेत्र में कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, छ लिंक परियोजनाओं नामतः i) गंडक–गंगा लिंक (भारतीय भाग), ii) मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा (एमएसटीजी), (iii) गंगा–दामोदर–सुवर्णरेखा, iv) सुवर्णरेखा–महानदी, v) राजस्थान–साबरमती और vi) फरक्का–सुंदरवन की व्यवहार्यता रिपोर्ट भी पूरी कर ली गई है और परिचालित कर दी गई है। उपर्युक्त के अलावा, 2 लिंक परियोजनाओं नामतः (i) यमुना–राजस्थान और (ii) चुनार–सोन बैराज से संबंधित प्रारूप एफआर तैयार करने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। शारदा–यमुना और यमुना–राजस्थान लिंक परियोजनाओं के प्रारूप की एफआर 1.09.2015 को प्रधान सचिवों (डब्ल्यूआर), राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को 13.07.2015 को आयोजित एससीआईएलआर की 5 वीं बैठक के दौरान उनके द्वारा वांछित रूप में अग्रेषित किया गया है।

सोन बांध–गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों (एसटीजी) की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम सर्वेक्षण एवं अन्वेषण रिमोट सेंसिंग मानचित्रों का उपयोग करके और कोसी–घाघरा लिंक परियोजना की व्यवहार्यता

रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्यों का भी काम पूरा हो गया है और वर्ष 2020–21 की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दोनों लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम प्रगति पर है। नेपाल में पंचेश्वर परियोजना की डीपीआर के आधार पर शारदा–यमुना लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट में संशोधन/सुधार किया जा रहा था। पंचेश्वर परियोजना के प्रभावों को शामिल करने के लिए यमुना–राजस्थान और राजस्थान–साबरमती लिंक परियोजनाओं की एफआर में भी शारदा–यमुना लिंक परियोजना के संशोधन के आधार पर संशोधन किया जा रहा है।

कोसी–मेची लिंक, जो पूरी तरह से नेपाल क्षेत्र में स्थित है और जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का एम–एस–टी–जी का एक विकल्प है, और यह वर्तमान में एफआर तैयार करने के लिए लक्षित नहीं है। तथापि, जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का लिंक के वन मुक्त संरेखण का पीएफआर पूरा कर लिया गया है और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के टीएसी के सदस्यों और बिहार, असम और पश्चिम बंगाल की संबंधित राज्य सरकारों को 13.06.2011 को परिचालित कर दिया गया है।

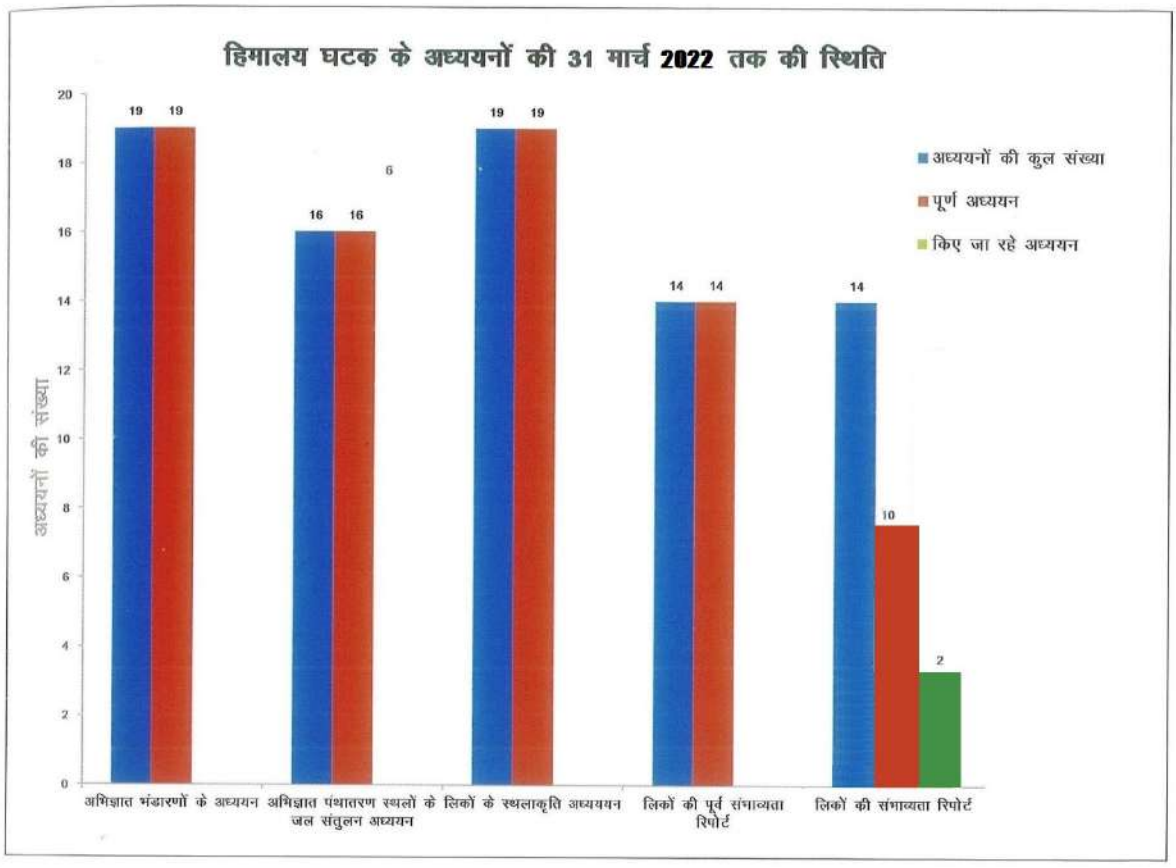


## एनपीपी के हिमालयी घटक के अंतर्गत अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट अध्ययन की वर्तमान स्थिति

| क्रमांक | लिंक परियोजना का नाम | लिंक परियोजना के एफ.आर. की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा | मूल संरेखण के अनुसार एम–एस–टी–जी लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी नहीं की जा सकी , क्योंकि एम–एस–टी–जी का मूल लिंक संरेखण मानस और बक्सा टाइगर रिजर्व और अन्य वन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है। |

| | | |
|---|---|---|
| | | इन पहुंचों में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्यों के लिए व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने लगभग 80 मीटर लिफ्ट के साथ विभिन्न आरक्षित वनों से बचने के लिए वैकल्पिक संरेखण अध्ययन किए हैं। एफआर अब पूरा हो गया है और पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और बिहार सरकार के बीच उनके सुझावों/विचारों के लिए 17.07.2020 को परिचालित किया गया है। |
| 2. | गंगा (फरक्का)–सुंदरवन | दिसंबर, 2020 में पक्षकार राज्यों के बीच पूर्ण हुआ और परिचालित किया गया। |
| 3. | सुवर्णरेखा–महानदी | फरवरी, 2021 में पक्षकार राज्यों के बीच पूर्ण हुआ और परिचालित किया गया। |
| 4. | गंडक–गंगा | भारतीय भाग को शामिल करने वाला एफआर पूरा हो गया है और फरवरी, 2021 में पक्षकार राज्यों के बीच परिचालित किया गया है। |
| 5. | राजस्थान–साबरमती | फरवरी, 2021 में पार्टी राज्यों के बीच पूर्ण हुआ और परिचालित किया गया। |
| 6. | गंगा–दामोदर–सुबरनारेखा | मार्च, 2021 में पूरा हुआ और वर्तमान में नवीनतम डेटा को शामिल करने के साथ अद्यतन किया जा रहा है। |
| 7. | शारदा–यमुना | शारदा–यमुना लिंक परियोजना का प्रारूप एफआर 01-09-2015 को प्रधान सचिवों (डब्ल्यूआर), राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को अग्रेषित किया गया है। |
| 8. | घाघरा–यमुना (भारतीय भाग) | प्रारूप एफआर पूरा हो गया है लेकिन परिचालित नहीं किया गया है क्योंकि नेपाल क्षेत्र में कार्य पूरा नहीं हुआ है। |
| 9. | यमुना–राजस्थान | यमुना–राजस्थान लिंक परियोजनाओं का प्रारूप एफआर 01-09-2015 को प्रधान सचिवों (डब्ल्यूआर), राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को अग्रेषित किया गया है। |
| 10. | चुनार–सोन बैराज | एफआर पूर्ण |
| 11. | सोन बांध–गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ | सुदूर संवेदन मानचित्रों का उपयोग करके सोन एस–टी–जी की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया गया है और एफआर प्रगति पर है। |
| 12. | कोसी–घाघरा | के–जी की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूरा हो गया है और एफआर प्रगति पर है। |

## 4.6 पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना के साथ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एकीकरण

पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना (पीकेसीएलपी) एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं में से एक है। पीकेसीएलपी की व्यवहार्यता रिपोर्ट को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा तैयार किया गया था और वर्ष 2004 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों राजस्थान और मध्य प्रदेश को परिचालित किया गया था। पीकेसीएलपी में तीन प्रस्तावित बांधों नामतः पार्वती नदी पर पाटनपुर, नेवाज नदी पर मोहनपुरा (कालीसिंध की एक सहायक नदी) और कालीसिंध नदी पर कुंडलिया नामक तीन प्रस्तावित बांधों की परिकल्पना की गई है ताकि 75% धारणीयता पर 1360 एमसीएम जल का उपयोग किया

जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने मोहनपुरा और कुंडलिया प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण स्टैंड–अलोन परियोजनाओं के रूप में किया और इस प्रकार पीकेसीएलपी को एनपीपी में प्रस्तावित किया।

राजस्थान सरकार ने सतत जल संसाधन विकास सुनिश्चित करने और विभिन्न जल मांगों को पूरा करने के लिए चंबल बेसिन के कुछ उप–बेसिनों नामतः कालीसिंध और पार्वती उप–बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए ईआरसीपी तैयार किया। प्रस्तावित ईआरसीपी योजना के माध्यम से, राजस्थान सरकार का लक्ष्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के लिए 50% धारणीयता पर लगभग 3500 एमसीएम पानी का उपयोग करना है और साथ ही लगभग 2 लाख हेक्टेयर के नए कमांड क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना और मौजूदा कमांड क्षेत्र के लगभग 0.80 लाख हेक्टेयर के स्थिरीकरण का लक्ष्य है। ईआरसीपी स्कीम की डीपीआर राजस्थान सरकार की ओर से वाप्कोस द्वारा तैयार की गई है और वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकन किया जा रहा है।

चंबल नदी प्रणाली के जल के उपयोग को इष्टतम बनाने की दृष्टि से, राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी को पीकेसीएलपी के साथ एकीकृत करने का सुझाव दिया था। इससे राजस्थान की प्रस्तावित ईआरसीपी योजना के साथ–साथ मूल पीकेसीएलपी में मध्य प्रदेश के अप्रयुक्त जल के दोहन की सुविधा होगी।

18.10.2019 को आयोजित टीएफआईएलआर की 11वीं बैठक के दौरान, एनपीपी के पीकेसीएलपी के बचे हुए हिस्से को राजस्थान के ईआरसीपी के साथ एकीकृत करने की संभावना पर चर्चा की गई । तदनुसार, राजस्थान के ईआरसीपी के साथ एनपीपी के पीकेसीएलपी को एकीकृत करने की संभावना पर विचार विमर्श करने के लिए श्री श्रीराम विदेरे अध्यक्ष, नदी जोड़ पर कार्यबल और सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 28.11.2019 और 16.03.2020 को नई दिल्ली में बैठकें आयोजित की गई । बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने एनपीपी के पीकेसीएलपी के साथ ईआरसीपी का एकीकरण के पीएफआर की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भोपाल में 20.03.2020 को पार्वती बेसिन की उपज को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न विकल्पों पर भी चर्चा की । इस मामले पर 16.07.2020 को आयोजित नदी जोड़ कार्यबल की 12वीं बैठक में फिर से चर्चा की गई और निर्णयों के आधार पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने आगे काम शुरू कर दिया है।

तत्पश्चात्, एक पीएफआर नामतः पार्वती–कुनो–सिंध लिंक परियोजना (पीकेएसएलपी) तैयार की गई है और इसे मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय जल आयोग को परिचालित किया गया है। 11.08.2020 को सलाहकार, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग , जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसार, पीकेसी और ईआरसीपी लिंक परियोजना के संबंध में कुनो, पार्वती, सिंध और चंबल बेसिनों में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारे, पानी के आदान–प्रदान और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में सुझाव देने के लिए सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया था। इस कार्य दल ने 04.09.2020 और 25.09.2020 को दो बैठकें आयोजित की थीं। श्री श्रीराम विदेरे , सलाहकार, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 27.01.2021 को पीकेएसएलपी की स्थिति की समीक्षा की।

समीक्षा बैठक के दौरान दो चरणों में ईआरसीपी की योजना बनाने का निर्णय लिया गया। चरण–। के अंतर्गत, लगभग 2000 एमसीएम जल का उपयोग करने के लिए योजना बनाई जा सकती है जो 75% धारणीयता पर उपलब्ध हो सकती है। तत्पश्चात, एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों की सहमति से चरण–।। के अंतर्गत 75% धारणीयता से अधिक जल के उपयोग की योजना बनाई जा सकती है। 25.02.2021 को आयोजित टीएफआईएलआर की 13वीं बैठक के दौरान, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को इस मामले पर बारीकी से चर्चा करने और उनकी राय लेने के लिए दोनों राज्यों के साथ बैठकें आयोजित करने और शुरू में चरण–। के लिए सामान्य सहमति प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में इन प्रस्तावों की चरणवार कार्यों की तैयारी चल रही है।

इन मुद्दों पर 29 सितंबर, 2021 को आयोजित टीएफआईएलआर की 14वीं बैठक में और 12.11.2021 को आयोजित रा.ज.वि.अ की 35वीं एजीएम में फिर से चर्चा की गई। सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा

संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) ने 27.01.2022 को राजस्थान राज्य और केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ परामर्श बैठक की। माननीय मंत्री जी ने राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ एक परामर्श बैठक की और इस बात पर जोर दिया कि ईआरसीपी को राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के लाभ के लिए पीकेसी लिंक के साथ उपयुक्त रूप से एकीकृत आईएलआर परियोजना के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एनपीपी के अंतर्गत पीकेसी लिंक के साथ ईआरसीपी के एकीकरण के मुद्दों को अभी तक हल नहीं किया गया है, विशेषरूप से अंतःराज्यीय नदियों में जल के अंतरण के लिए धारणीयता मानदंड राजस्थान राज्य द्वारा ईआरसीपी के लिए 50% धारणीयता पर नियोजित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 75% धारणीयता पर उपलब्ध जल के लिए ईआरसीपी के सभी घटकों की योजना बनाने पर भी जोर दिया है।

# अध्याय – 5

# राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत अभिज्ञात प्राथमिकता लिंक

## 5.1 प्राथमिकता लिंक पर सामान्य सहमति पर पहुंचने के लिए किए गए प्रयास

जल शक्ति मंत्रालय और रा.ज.वि.अ ने संबंधित राज्यों के बीच सामान्य सहमति बनाने के लिए आगे के कदम उठाने के लिए निम्नलिखित चार लिंकों को प्राथमिकता लिंक के रूप में चिन्हित किया है

1. केन – बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी),
2. पार – तापी – नर्मदा लिंक परियोजना (पीटीएनएलपी),
3. दमनगंगा – पिंजाल लिंक परियोजना (डीपीएलपी) और
4. गोदावरी – कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना (जीसीजीएएलपी)

### 5.1.1 केन – बेतवा लिंक परियोजना

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत केन–बेतवा लिंक परियोजना पहली ऐसी परियोजना है जिसे भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। केबीएलपी (चरण–।) और केबीएलपी (चरण–।।) के लिए डीपीआर क्रमश अगस्त, 2010 और जनवरी, 2014 में पूरी कर ली गई थी। केबीएलपी का विवरण अध्याय संख्या 6 में अलग से दिया गया है।

### 5.1.2 और 5.1.3 पार–तापी–नर्मदा और दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजनाएं

पीटीएनएलपी और डीपीएलपी की डीपीआर क्रमश अगस्त, 2015 और जनवरी, 2014 में पूरी कर ली गई थी। डीपीएलपी और पीटीएनएलपी महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से संबंधित जुड़वा लिंक हैं। डीपीएलपी से महाराष्ट्र को लाभ होता है जबकि पीटीएनएलपी से गुजरात को लाभ होता है। जल बंटवारे के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यों के बीच सामान्य सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डीपीएलपी की तकनीकी–आर्थिक मंजूरी जुलाई 2016 में दी गई है।

पीटीएनएलपी को गुजरात सरकार के सुझावों के अनुसार अप्रैल, 2017 में संशोधित किया गया था। कुछ जल बंटवारे के मुद्दों को छोड़कर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मूल्यांकन पीटीएनएलपी लगभग पूरा कर लिया गया है।

महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच इन लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने बाकी हैं। मुख्य मुद्दा महाराष्ट्र राज्य में पड़े जलग्रहण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले लगभग 400 एमसीएम अधिशेष जल के मुआवजे के लिए उपयुक्त तंत्र है। महाराष्ट्र तापी बेसिन में पानी के मुआवजे की मांग कर रहा है।

सचिव (जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने इन दो लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए 20.04.2018 और 07.09.2018 को महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ दो बैठकें आयोजित कीं। महाराष्ट्र सरकार के प्रति उदारता के बदले तापी बेसिन में महाराष्ट्र द्वारा उपयोग के लिए पीटीएनएलपी के छह जलाशयों के रिसाव से उकाई जलाशय में 200 एमसीएम अतिरिक्त जल को पथांतरण करने के प्रस्ताव पर दोनों राज्यों के प्रति विचार और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था।

28.07.2020 और 10.12.2020 को आयोजित ''संबंधित राज्यों के बीच समझौते के लिए बातचीत के माध्यम से सामान्य सहमति का निर्माण'' पर उप–समिति–IV की दूसरी और तीसरी बैठक के दौरान, महाराष्ट्र

जलग्रहण और ईआईए अध्ययन के अद्यतनीकरण से पानी की क्षतिपूर्ति के मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था, जिसे वाप्कोस द्वारा पूरा कर लिया गया है।

नदी जोड़ पर कार्यबल की 12वीं और 13वीं बैठकों के दौरान, नदी जोड़ पर कार्यबल के अध्यक्ष ने कहा कि तापी बेसिन की जरूरतों के लिए पीटीएन लिंक के लिए 1330 एमसीएम के अलावा लगभग 200 एमसीएम पानी को पथांतरण करना बहुत ही तर्कसंगत है और यह महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। नदी जोड़ पर कार्यबल के सभी सदस्यों ने यह भी राय व्यक्त की कि इस मामले को दोनों राज्यों के उच्चतम स्तरों पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सामान्य सहमति प्राप्त की जा सके और इस प्रकार दोनों लिंकों के कार्यान्वयन की दिशा में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। दोनों राज्यों के उच्चतम स्तरों पर संबंधित मुद्दों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

दमनगंगा–पिंजाल लिंक और पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दोनों लिंकों में जल बंटवारे और एमओए को अंतिम रूप देने पर चर्चा करने के लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) द्वारा 26.10.2021 को एक बैठक बुलाई गई।

19.01.2022 को आयोजित रा.ज.वि.अ की 69वीं शासी निकाय बैठक में, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने दोनों राज्यों से तकनीकी दृष्टिकोण से लिंक परियोजनाओं पर पुनर्विचार करने और कुछ सामान्य सहमति पर पहुंचने का अनुरोध किया है, ताकि दोनों लिंकों के कार्यान्वयन के लिए एमओए पर हस्ताक्षर किए जा सकें और परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जा सके।

### 5.1.4 गोदावरी के माध्यम से गोदावरी जल के अंतरण का वैकल्पिक प्रस्ताव गोदावरी – कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना

प्रस्तावित मणिभद्रा बांध और इन्चमपल्ली बांध पर सामान्य सहमति बनाए जाने तक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने गोदावरी बेसिन के इंद्रावती उप–बेसिन के अप्रयुक्त जल को गोदावरी–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के माध्यम से कावेरी बेसिन की ओर मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया है। गोदावरी (इन्चमपल्ली)–कावेरी (ग्रांड एनीकट) लिंक में गोदावरी (इन्चमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक, कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक नामक तीन लिंक शामिल हैं। यह लिंक परियोजना गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार और कावेरी बेसिनों से होकर गुजरती है और यह तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने इस लिंक प्रस्ताव की प्रारूप डीपीआर तैयार की है और मार्च, 2019 में पक्षकार राज्यों को उनके विचारों/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया है। डीपीआर के प्रारूप पर अधिकांश पक्षकार राज्यों नामतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की विचार/टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा उनका उत्तर दे दिया गया है। 16.07.2020 और 25.02.2021 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित नदी जोड़ पर कार्यबल की बारहवीं और तेरहवीं बैठकों के दौरान संबंधित मुद्दों और विचारों पर विस्तार से चर्चा की गई थी, जो कि श्रीराम विदेरे, अध्यक्ष, कार्यबल और सलाहकार, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। लिंक प्रस्ताव की नामतः गोदावरी (इन्चमपल्ली बैराज)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना की डीपीआर 28.04.2021 को फिर से परिचालित किया गया था और इसे अंतिम रूप दिया गया है। जहां तक संभव हो राज्यों की व्यवहार्य टिप्पणियों के आधार पर डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है और इसे पूरा कर लिया गया है।

अब राज्यों के बीच सामान्य सहमति बनाने और इस कड़ी के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता/समझौते तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। तत्पश्चात, लिंक परियोजना के लिए विभिन्न मंजूरियाँ प्राप्त करने के लिए आगे आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। पक्षकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श बैठकें दिनांक 29.10.2021 और दिनांक 18.02.2022 को आयोजित की गई हैं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से डीपीआर में शामिल परियोजनाओं के विवरण, लिंक संरेखण पर सुझावों और परियोजना में विचार किए गए कमांड क्षेत्रों के विवरणों की पुष्टि करने या पूरक बताने का अनुरोध किया गया था।

# अध्याय – 6

# केन–बेतवा लिंक परियोजना

## 6.1 परिचय

केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) एनपीपी के अंतर्गत पहली लिंक परियोजना है जो कार्यान्वयन के लिए तैयार है। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को लाभ होगा। इसके मुख्य घटकों में दौधन बांध, केन–बेतवा लिंक नहर और इसके सहायक कार्य (चरण–।) और तीन और परियोजनाएं अर्थात् लोअर ऑर, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना (चरण–।।) शामिल हैं। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में केबीएलपी कमान में 2 नए बैराज और मौजूदा टैंकों का नवीनीकरण भी शामिल है।

## 6.2 सांविधिक स्वीकृतियां

केबीएलपी (चरण–।) और केबीएलपी (चरण–।।) के लिए डीपीआर क्रमश अगस्त, 2010 और जनवरी, 2014 में पूरी कर ली गई थी। डीपीआर (चरण–।, ।। और व्यापक रिपोर्ट) को पूरा करने के बाद चरण–प्प वन स्वीकृति और माननीय उच्चतम न्यायालय की केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) से स्वीकृति को छोड़कर अधिकांश सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं।

## 6.3 केबीएलपी का कार्यान्वयन

### 6.3.1 समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर

भारत के माननीय प्रधान मंत्री की विशिष्ट उपस्थिति में माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के साथ 22.03.2021 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

### केन बेतवा लिंक परियोजना का सूचकांक मानचित्र

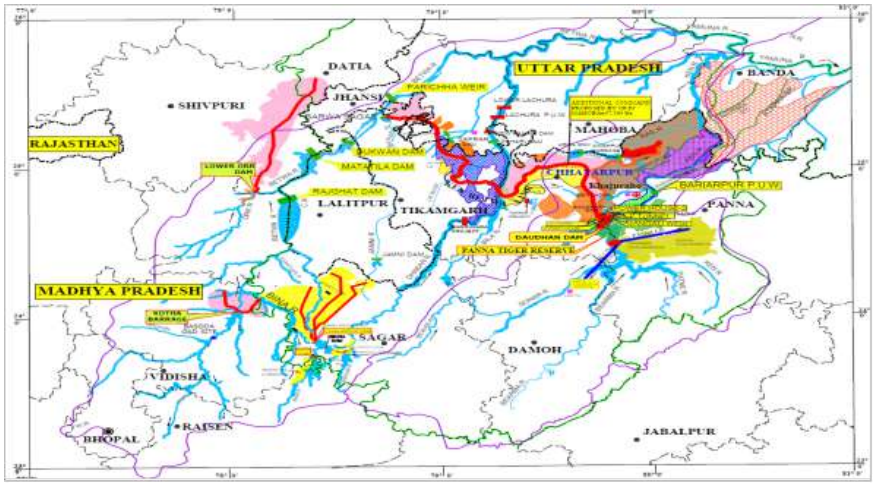

**दिनांक 22.08.2021 को केबीएलपीए के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**

## 6.3.2 पीआईबी ज्ञापन

केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा पीआईबी मेमो भी तैयार किया गया है और मार्च 2021 के दौरान जल शक्ति मंत्रालय को भेजा गया है। परियोजना के मूल्यांकन के लिए पीआईबी मेमो 20.05.2021 को विभिन्न मंत्रालयों के बीच परिचालित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने 01.10.2021 को आयोजित अपनी बैठक में पीआईबी मेमो पर विचार किया है और कुछ शर्तों (पत्र संख्या 10 (04)ध्पीएफसी–1/2021 दिनांक 03.11. 2021) के माध्यम से सिफारिश की है, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

(I) 90(केंद्र)%10 (राज्य) वित्तपोषण पैटर्न दौधन बांध और केन–बेतवा लिंक नहर के लिए लागू होगा जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत और बिजली घटक को छोड़कर केबीएलपी के इन घटकों के लिए आर एंड आर शामिल है।

(II) भूमि अधिग्रहण की लागत और इन घटकों के लिए अनुसंधान एवं विकास सहित राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अन्य राज्य विशिष्ट घटकों का वित्तपोषण 60% केन्द्रीय अनुदान, राज्यों को 30% केन्द्रीय ब्याज वहन ऋण और 10% राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, इस केन्द्रीय ऋण को मानदंडों के अनुसार राज्यों को दी जा रही सामान्य उधार अनुमति के अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी।

(III) भूमि अधिग्रहण लागत में वृद्धि 5% प्रति वर्ष की दर से तीन वर्षों तक सीमित होगी। भूमि अधिग्रहण पर कोई अन्य वृद्धि राज्यों द्वारा वहन की जा सकती है।

(IV) सभी सांविधिक और अन्य स्वीकृतियां पूर्ण होने से पहले केवल प्रारंभिक कार्यों/स्वीकृतियों पर व्यय की अनुमति दी जाएगी।

(V) सिविल निर्माण कार्यों/प्रारंभिक कार्यों या स्वीकृतियों के अलावा किसी अन्य मद के लिए भारत सरकार से निधियां केवल तभी जारी की जाएंगी जब दोनों राज्यों में परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का कम से कम 80% अधिग्रहण कर लिया जाए।

(VI) केबीएलपी के लिए केंद्रीय वित्तपोषण परियोजना के पूरा होने के साथ समाप्त हो जाएगा।

(VII) केबीएलपी के पूरा होने के बाद परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सृजित विशेष प्रयोजन वाहन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

(VIII) सभी निधियों को प्रस्तावित केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

(IX) विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

### 6.3.3 कैबिनेट नोट

पीआईबी की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय वित्तपोषण और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना के लिए एक कैबिनेट नोट मंजूरी के लिए कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए 39,317 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ 44,605 करोड़ रुपये (2020–21 मूल्य स्तर) की कुल अनुमानित लागत के साथ केबीएलपी के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

केंद्र और राज्यों के वित्त पोषण का हिस्सा निम्नानुसार है:

| क्रमांक | घटक | निधियन प्रणाली |
|---|---|---|
| 1. | दौधन बांध और केन–बेतवा लिंक नहर और उनके सहायक कार्य जिनमें भूमि अधिग्रहण की लागत और विद्युत घटक (केबीएलपी का कोर) को छोड़कर आर एंड आर शामिल हैं। | 90 (केंद्रीय अनुदान):<br>10 (राज्यों का हिस्सा) |
| 2. | उत्तर प्रदेश के 2 नए बैराज, लोअर ऑर , कोठा बैराज और मध्य प्रदेश की बीना कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं को शामिल करने वाली राज्य विशिष्ट परियोजनाएं। | 60 (केंद्रीय अनुदान):<br>30 (केंद्रीय ऋण):<br>10 (राज्यों का हिस्सा) |

### 6.3.4 राजपत्र अधिसूचना:

केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के लिए सचिव, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन, नामतः केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) की अध्यक्षता में संचालन समिति के गठन के लिए जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 11.02.2022 को राजपत्र अधिसूचना की गई है।

### 6.3.5 वर्तमान स्थिति

कार्यान्वयन के लिए, प्रारंभ में भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर, वन मंजूरी और वन्यजीव मंजूरी की शर्तों के अनुपालन को पूरा करने पर ध्यान दिया जायेगा। प्रथम वर्ष की योजना में केबीएलपीए की स्थापना, नीतिगत निर्णयों के लिए संचालन समिति की बैठकें आयोजित करना, भूमि अधिग्रहण के लिए निधि आवंटन, प्रतिपूरक वनीकरण और एनपीवी, केबीएलपीए के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक वित्त की नियुक्ति, निविदा दस्तावेज तैयार करना, परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति, निर्माण–पूर्व सर्वेक्षण आदि जैसे प्रारंभिक कार्य शामिल हैं। दौधन बांध के डूब में आने वाली पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) को हस्तांतरित की जाने वाली प्रस्तावित गैर–वन भूमि को 21 गांवों में चिन्हित किया गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। लोअर ऑर, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना जैसे राज्य विशिष्ट घटक पर काम पहले से ही प्रगति पर है। पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान (एलएमपी) की अंतिम मसौदा रिपोर्ट डब्ल्यूआईआई, देहरादून द्वारा पूरी कर ली गई है।

वित्त वर्ष 2021–22 में मुख्य रूप से वन स्वीकृति की शर्तों को पूरा करने के लिए 4639.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमे निर्धारित राशि को कैंपा फंड में हस्तांतरित करना (3631.30 करोड़ रुपये), चरण–1 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण (203.86 करोड़ रुपये) और चरण–2 परियोजनाओं के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर और वन मंजूरी के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 804.30 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति आदि शामिल है । 31-03-2022 की स्थिति के अनुसार केबीएलपीए चरण–। और ।। पर खर्च की गई कुल राशि 6978.49 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य बजट से खर्च किए गए 2339.03 करोड़ रुपये शामिल हैं।

# अध्याय – 7

# राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंक

## 7.1 अंतःराज्यीय लिंक

जून, 2005 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय (अब जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) ने बिहार जैसे राज्यों में अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की पहचान करने और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा ऐसे लिंकों के पीएफआर/एफआर तैयार करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। 28.06.2006 को आयोजित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसायटी की विशेष सामान्य बैठक (एसजीएम) में प्राप्त अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यों में इस कार्य को जोड़ा गया था। बाद में, वर्ष 2011 के दौरान, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यों में अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के कार्य को भी जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा आगे के अध्ययन करने के लिए अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं का विवरण दें। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान राज्यों तथा पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर प्राप्त हुआ है। नागालैंड, मेघालय, केरल, पंजाब, दिल्ली और पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने संकेत दिया कि उनके राज्या/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कोई अंतःराज्यीय लिंक परियोजना प्रस्ताव नहीं हैं। राज्य सरकारों द्वारा अग्रेषित किए गए प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा इस प्रकार है।

| क्र.सं. | अंतःराज्यीय लिंक का नाम | नदियां | पीएफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| **7.1.1** | **महाराष्ट्र** | | |
| 1 | वैनगंगा (गोसीखुर्द)–नलगंगा (पूर्णा तापी) | वेनगंगा और नलगंगा | पीएफआर और डीपीआर पूर्ण। |
| 2 | वैनगंगा–मंजरा घाटी | वेन गंगा और मंजरा | पीएफआर पूर्ण (संभव्य नहीं पाया गया) |
| 3 | ऊपरी कृष्णा–भीमा (छह लिंक की प्रणाली) | कृष्णा और भीमा | पीएफआर पूर्ण |
| 4 | दमन गंगा (एकदारे)–गोदावरी घाटी | दमन गंगा और गोदावरी | प्रारूप डीपीआर पूर्ण |
| 5(।) | ऊपरी वैतरणा–गोदावरी घाटी | वैतरणा और गोदावरी | पीएफआर पूर्ण । |
| 5(।।) | दमन गंगा–वैतरणा– गोदावरी (कदवा देव) घाटी | दमन गंगा, वैतरणा और गोदावरी | प्रारूप डीपीआर पूर्ण |
| 6 | उत्तरी कोंकणदृ गोदावरी घाटी | पाताल गंगा और गोदावरी | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 7 | कोयना–मुंबई शहर | कोयना | पीएफआर पूर्ण। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | श्रीराम सागर परियोजना (गोदावरी)–पूर्णा–मंजीरा | गोदावरी, पूर्णा और मंजीरा | पीएफआर पूर्ण। |
| 9 | वैनगंगा (गोसीखुर्द)–गोदावरी (एसआरएसपी) | वैन गंगा और गोदावरी | महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस लिया गया |
| 10 | मध्य कोंकण–भीमा घाटी | सावित्री, कुंडलिका, अंबा और भीमा | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 11 | कोयना–नीरा | कोयना और नीरा | पीएफआर पूर्ण। |
| 12 | मुल्सी–भीमा | मुल्सी और भीमा | पीएफआर पूर्ण। |
| 13 | सावित्री–भीमा | सावित्री और भीमा | पीएफआर पूर्ण। |
| 14 | कोल्हापुर–सांगली–संगोला | कृष्णा और भीमा | पीएफआर पूर्ण। |
| 15 | तापी बेसिन और जलगांव जिले की नदी जोड़ परियोजनाएं | तापी | पीएफआर पूर्ण। |
| 16 | नार–पार–गिरना घाटी | नार, पार, गिरना | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 17 | नर्मदा–तापी | नर्मदा–तापी | पीएफआर पूर्ण। |
| 18 | खरियागुटटा–नवाता सतपुड़ा तलहटी | छोड़ दी गई | राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की टीएसी ने अध्ययन के लिए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किये जाने वाली भूजल पुनर्भरण योजनाओं के अध्ययन को स्वीकार नहीं किया। |
| 19 | खरिया घुटी घाट–तापी | छोड़ दी गई | |
| 20 | जिगांव–तापी–गोदावरी घाटी | तापी और गोदावरी | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| **7.1.2** | **गुजरात** | | |
| 1 | दमनगंगा–साबरमती–चोरवाड | दमन गंगा, साबरमती और चोरवाड | पीएफआर पूर्ण। |
| **7.1.3** | **उड़ीसा** | | |
| 1 | महानदी–ब्राह्माणी | महानदी और ब्राह्माणी | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 2 | महानदी–रुशिकुल्या (बरमूल परियोजना) | महानदी और रुशिकुल्य | पीएफआर पूर्ण |
| 3 | वाम्साधारा–रुशिकुल्य (नंदिनी नाला परियोजना) | वाम्सधारा–रुशि कुल्या | पीएफआर पूर्ण |
| 4 | नागवल्ली–रुशिकुल्य–वम्सधारा | नागवल्ली, रुशिकुल्या, वम्सधारा | प्रारूप पीएफआर पूर्ण । |
| **7.1.4** | **झारखंड** | | |
| 1 | दक्षिणी कोइल–सुवर्णरेखा | दक्षिण कोइल , सुवर्णरेखा | पीएफआर पूर्ण |
| 2 | शंख–दक्षिणी कोइल | शंख–दक्षिणी कोइल | पीएफआर पूर्ण |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | बारकर–दामोदर–सुबर्णरेखा | बारकर,<br>दामोदर,सुबर्णरेखा | पीएफआर पूर्ण |
| **7.1.5** | **बिहार** | | |
| 1 | कोसी–मेची (पूर्णतया भारत में) | कोसी, मेची | डीपीआर पूर्ण। तकनीकी पर्यावरणीय आर्थिक और निवेश मंजूरी दी गई। |
| 2 | बाढ़–नवादा | गंगा, किउल | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 3 | कोहरा–चंद्रावत (कोहरा–लालबेगी) | कोहरा, चंद्रवती | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 4 | बूढ़ी गंडक–नून–बया–गंगा | बूढ़ी गंडक, नून, बया और गंगा | डीपीआर पूर्ण, केन्द्रीय जल आयोग का मत है कि परियोजना को बाढ़ शमन परियोजना माना जा सकता है।<br>बिहार सरकार को अवगत कराया गया है। |
| 5 | बूढ़ी गंडक–बागमती ख्बेलवाधार, | बूढ़ी गंडक और बागमती | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 6 | कोसी–गंगा | कोसी, गंगा | पीएफआर पूर्ण |
| 7 | बागमती सिंचाई एवं जल निकासी परियोजना का विकास–चरण– ।। (मुजफ्फरपुर जिले के कटौंझा के निकट बैराज) और कोसी–अधवारा–बागमती लिंक के साथ अधवारा बहुउद्देशीय परियोजना | कोसी, अधवारा और बागमती | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 8 | बक्सर में पंप नहर योजना के माध्यम से दक्षिणी बिहार में गंगा जल का अंतरण | गंगा | प्रारंभ में, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अध्ययन करने के लिए सहमति दी लेकिन बिहार सरकार से विवरण प्राप्त करने के बाद इसे अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। |
| 9 | बदुआ–चंदन बेसिन का विकास | बदुआ<br>और<br>चंदन | |
| 10 | सोन–फाल्गु लिंक | सोन और फाल्गु | प्रारंभिक अध्ययन आंरभ किया गया है। (संभाव्य नही पाया गया) |
| **7.1.6** | **राजस्थान** | | |
| 1 | माही–लूनी लिंक | माही और लूनी | पीएफआर पूर्ण<br>(संभव नहीं पाया गया) |
| 2 | वाकल–साबरमती–सेई–पश्चिमी बनास–कामेरी लिंक | वकल, साबरमती, सेई, पश्चिम बनास और<br>कामेरी | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| **7.1.7** | **तमिलनाडु** | | |
| 1 | पोन्नैयार–पालार लिंक | पोन्नैयार और पालार | पीएफआर और डीपीआर पूर्ण |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7.1.8** | **कर्नाटक** | | |
| 1 | अलमट्टी (बगलकोट)–मालाप्रभा उप–बेसिन | अलमट्टी और मालाप्रभा | प्रथम दृष्टया संभव नहीं पाया गया। |
| 2 | मालाप्रभा–तुंगभद्रा उप–बेसिन | मालाप्रभा और तुंगभद्रा | प्रथम दृष्टया संभव नहीं पाया गया। |
| 3 | बेदती–धर्मा–वरदा लिंक | बेदती, धर्म और वरदा | पीएफआर पूर्ण। |
| 4 | भद्रा–वेदवती (वाणी विलासा सागर) लिंक | भद्रा और वेदावती | कर्नाटक सरकार ने आईएलआर पर विशेष समिति की 11वीं बैठक के दौरान प्रस्ताव वापस ले लिया। |
| 5 | पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पथांतरण योजना (बारापोल–ऊपरी कावेरी लिंक) | बारापोल और ऊपरी कावेरी | |
| 6 | बेदती व अघनाशिनी से वरदा की ओर पथांतरण | अघनाशिनी और वरदा | पीएफआर पूर्ण |
| **7.1.9** | **छत्तीसगढ** | | |
| 1 | पेयरी–महानदी लिंक | पेयरी और महानदी | पीएफआर पूर्ण |
| **7.1.10** | **उत्तर प्रदेश** | | |
| 1 | शारदा–गोमती लिंक | शारदा और गोमती | पीएफआर का प्रारूप पूर्ण |

## 7.2 अंतःराज्यीय लिंकों के पीएफआर/डीपीआर की तैयारी की वर्तमान स्थिति

दिनांक 31.03.2022 तक, कुल 49 अंतःराज्यीय लिंकों में से, रा.ज.वि.अ ने 39 लिंकों के पीएफआर पूरे कर लिए हैं। ओडिशा की नागवल्ली–रुशिकुल्या–वम्सधारा लिंक परियोजना और उत्तर प्रदेश की शारदा–गोमती लिंक परियोजना के पीएफआर का प्रारूप रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पूरा कर लिया गया है। 49 अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं में से 19 को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के टीएसी द्वारा व्यवहार्य नहीं पाया गया है या स्वीकार नहीं किया गया है। संबंधित राज्यों द्वारा तीन प्रस्ताव वापस लिए गए हैं।

अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं नामतः बिहार की (I) बूढ़ीगंडक–नून–बया–गंगा और (II) कोसी–मेचीय (III) तमिलनाडु की पोन्नैयार–पालारय और महाराष्ट्र की (IV) वैनगंगा (गोसीखुर्द)–नलगंगा (पूर्णातापी); (V) दमनगंगा (इकदारे)–गोदावरी लिंकय (VI) दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी लिंक की डीपीआर को पूरा कर लिया गया है और संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की विभिन्न डीपीआर तैयार करने की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है–

| क्रमांक | लिंक परियोजना का नाम | संबंधित राज्य/नदी | डीपीआर की स्थिति 31.03.2022 तक |
|---|---|---|---|
| 1. | बूढ़ी गंडक – नून– बाया – गंगा | बिहार /बूढ़ी गंडक, नून, बाया और गंगा | डीपीआर पूरी कर बिहार सरकार को भेज दी गई है। केन्द्रीय जल आयोग के तकनीकी मूल्यांकन ने लिंक परियोजना को बाढ़ योजना के रूप में विचार करने का सुझाव दिया है और राजविअ द्वारा दिनांक 14.03.2017 के पत्र माध्यम से बिहार सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | कोसी – मेची | बिहार /कोसी और मेची | डीपीआर पूरी हो गई है और सभी सांविधिक मंजूरियाँ प्रस्तुत करने की शर्तों पर तकनीकी–आर्थिक मंजूरियाँ प्रदान की गई हैं। वन तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी अगस्त, 2019 में प्रदान किया गया था और निवेश मंजूरी 22.10.2020 को जल शक्ति मंत्रालय की निवेश मंजूरी समिति द्वारा प्रदान की गई थी राजविअ को बिहार सरकार से कार्यशील डीपीआर शुरू करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। |
| 3. | पोन्नैयार – पालार | तमिलनाडु / पोन्नैयार और पालार | डीपीआर अगस्त, 2018 में पूरी हो गई और परिचालित की गई। |
| 4. | वैनगंगा (गोसीखुर्द) – नलगंगा (पूर्णातापी) | महाराष्ट्र / वैनगंगा और नलगंगा | डीपीआर पूरा हो गया और नवंबर, 2018 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया। पेंटाकली बांध तक लिंक का विस्तार करने के संबंध में अध्ययन प्रगति पर है। |
| 5. | दमनगंगा (इकदारे) – गोदावरी | महाराष्ट्र / दमनगंगा और गोदावरी | डीपीआर का प्रारूप पूर्ण हो गया है। |
| 6. | दमनगंगा – वैतरणा – गोदावरी (कदवा देव) | महाराष्ट्र / दमनगंगा, वैतरणा और गोदावरी | डीपीआर का प्रारूप पूर्ण हो गया है। |

## 7.3 अंतःराज्यीय लिंकों के पीएफआर/एफआर/डीपीआर की तैयारी की समग्र स्थिति

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उनके पीएफआर/एफआर/डीपीआर के संबंध में सुझाए गए अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों की समग्र स्थिति अनुलग्नक–। में दी गई है।.

## 7.4 अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण प्रदान करना

अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के कार्य को रा.ज.वि.अ के कार्यों/अधिदेश में दिनांक 19.05.2011 के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के संकल्प और दिनांक 11.06. 2011 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जोड़ा गया था। तत्कालीन जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय) ने अपने पत्र संख्या 2/12/2015–बीएम/2217 दिनांक 01.12.2015 के माध्यम से अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के वित्तपोषण के बारे में निम्नलिखित निर्णय से अवगत कराया था। ''राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सामान्य तौर पर अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजना की डीपीआर तक ही सीमित रहना चाहिए। वे अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं को केवल परामर्शी कार्यों के रूप में शुरू कर सकते हैं, यदि इसे किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत सरकार की निधि का उपयोग अंतःराज्यीय नदी जोड़ परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।''

तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) के उपर्युक्त निर्णय/निर्देश को ध्यान में रखते हुए रा.ज.वि.अ द्वारा भविष्य

की परियोजनाओं के लिए अंतःराज्यीय लिंक की डीपीआर तैयार करने की लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी।

यहां, यह उल्लेख करना उचित है कि रा.ज.वि.अ ने पहले ही अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की चार डीपीआर तैयार कर ली हैं और महाराष्ट्र की दो अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जैसा कि उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित निर्णय के अनुसार परामर्शी आधार पर उद्धृत किया गया है। इस संबंध में, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के बीच दिनांक 19.06.2019 को सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्यों को पूरा करने और दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी और दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी (कदवा देव) नामक अंतःराज्यीय लिंकों की डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो प्रगति पर हैं।

राजविअ सोसाइटी की 34वीं बैठक के दौरान बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कोसी–मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई निवेश मंजूरी के लिए धन्यवाद दिया, जिसमें बूढ़ी गंडक–नून–बया–गंगा लिंक परियोजना पर प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विचार करने और बिहार की अंतःराज्यीय लिंक परियोजना को 90 (केंद्र ): 10 (राज्य) पर वित्तपोषण पैटर्न के साथ राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का अनुरोध किया गया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि बिहार के उन अंतःराज्यीय लिंकों की एक बार फिर समीक्षा की जानी चाहिए जो रा.ज.वि.अ द्वारा व्यवहार्य नहीं पाए गए हैं।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय ने जवाब दिया कि बिहार सरकार के अनुरोध पर जहां तक संभव हो सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।

# अध्याय – 8

# प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत गतिविधियां

## 8.1 पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के अंतर्गत नाबार्ड का वित्तपोषण

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना आदि है। पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के अंतर्गत बड़ी और मध्यम सिंचाई (एमएमआई)/बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा रहा है और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई के हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के अंतर्गत वित्त पोषित किया जा रहा है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में एक समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) के सृजन की घोषणा की, जिसमें भारत सरकार के बजटीय संसाधनों, नाबार्ड द्वारा जुटाए जाने वाले बाजार उधार आदि के माध्यम से योगदान के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष का योगदान दिया जाएगा। बदले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिकता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और वित्तपोषण व्यवस्थाओं के लिए एक मिशन की स्थापना के लिए तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलटीआईएफ का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उनके कमांड क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यों सहित अभिनिर्धारित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अक्टूबर 2017 में पीएमकेएसवाई की निगरानी और प्रबंधन के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए वाप्कोस लिमिटेड के साथ एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तदनुसार, वाप्कोस लिमिटेड द्वारा एक पीएमयू स्थापित किया गया है। मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली की अध्यक्षता में पीएमयू को सौंपे गए कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिए रा.ज.वि.अ के दिनांक 03.05.2018 के पत्र के अंतर्गत एक परामर्शी निगरानी समिति (सीएमसी) का भी गठन किया गया था। इससे रा.ज.वि.अ को पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के अंतर्गत नाबार्ड के वित्तपोषण और राज्य को केंद्रीय सहायता (सीए) जारी करने की प्रक्रिया को संसाधित करने और सिफारिश करने में मदद मिलेगी।

### 8.1.1 परियोजना की प्रक्रिया

पीएमयू केंद्रीय सहायता की आगे जारी करने की पात्रता के संबंध में तीसरे पक्ष और केन्द्रीय जल आयोग की निगरानी रिपोर्टों के आधार पर व्यापक नोट तैयार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड को राज्य के हिस्से को जारी करने के संबंध में भी सिफारिशें की जा रही हैं।

### 8.1.2 राज्यों को निधियां जारी करना

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नाबार्ड के वित्तपोषण के माध्यम से राज्यों को प्रदान किए जाने वाले केंद्रीय सहायता के लिए पास थ्रु विंडो के रूप में कार्य कर रहा है। यह सुनिश्चित किया गया है कि नाबार्ड से प्राप्त

निधियों को नाबार्ड से प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर परियोजनाओं के लिए जारी किया जाए ताकि निधियाँ बेकार न पड़ी रही।

### 8.1.3 थर्ड पार्टी निगरानी

मिशन में प्राप्त संयुक्त प्रस्तावों के आधार पर, तीसरे पक्ष की निगरानी दौरे की योजना इस तरह से बनाई गई थी कि अगली किस्त जारी करने से पहले ऐसी रिपोर्टें उपलब्ध हों। इसके अलावा, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नियोजित दौरों को ध्यान में रखते हुए तीसरे पक्ष के दौरों की योजना बनाई गई थी।

रा.ज.वि.अ की पहचान एलटीआईएफ से संसाधन उधार लेने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करने और प्राथमिकता प्राप्त पीएमकेएसवाई–एआईबीपी (एमएमआई) परियोजनाओं और उनके सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए की गई है ताकि उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। इन परियोजनाओं में केंद्रीय हिस्सेदारी के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड से उधार लेने के लिए समझौता ज्ञापन पर तत्कालीन जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ,(अब जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय) रा.ज.वि.अ और नाबार्ड द्वारा दिनांक 06.09.2016 को हस्ताक्षर किए गए थे।

### 8.1.4 पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 तक निधि संवितरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नाबार्ड ने पोलावरम परियोजना के लिए एलटीआईएफ–पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को 751.80 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया था और इसे पोलावरम परियोजना प्राधिकरण को वितरित किया गया था। रा.ज.वि.अ ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान नाबार्ड को 3720.38 करोड़ रुपये के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान किया था।

योजना के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अंतर्गत पीएमयू केन्द्रीय जल आयोग के साथ समन्वय में दौरों की निगरानी के साथ–साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में सूचना को अद्यतन करने के लिए काम कर रहा था। पीएमयू परियोजना विशिष्ट सूचना/संबंधित एमआईएस के अद्यतन के लिए प्रत्येक परियोजना के नोडल अधिकारी के साथ सीधे या केन्द्रीय जल आयोग के माध्यम से समन्वय कर रहा था।

**पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (करोड़ रुपये में) द्वारा 31-03-2022 तक विभिन्न राज्यों के लिए निधियां जारी करना**

| क्रमांक | पीएमकेएसवाई –एआईबीपी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के नाम | 2020–21 तक जारी की गई निधि | वर्ष 2021–22 के दौरान जारी की गई निधि | 31-03-2022 तक जारी की गई कुल निधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 91.8100 | 0.0000 | 91.8100 |
| 2 | असम | 7.5500 | 0.0000 | 7.5500 |
| 3 | बिहार | 146.0633 | 0.0000 | 146.0633 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 62.7896 | 0.0000 | 62.7896 |
| 5 | गेवा | 3.8400 | 0.0000 | 3.8400 |
| 6 | गुजरात | 5635.4553 | 0.0000 | 5635.4553 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | जम्मू और कश्मीर | 46.2522 | 0.0000 | 46.2522 |
| 8 | झारखंड | 756.7300 | 0.0000 | 756.7300 |
| 9 | कर्नाटक | 1183.3170 | 0.0000 | 1183.3170 |
| 10 | केरल | 2.6900 | 0.0000 | 2.6900 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 811.1150 | 0.0000 | 811.1150 |
| 12 | महाराष्ट्र | 1796.7866 | 0.0000 | 1796.7866 |
| 13 | मणिपुर | 228.3540 | 0.0000 | 228.3540 |
| 14 | ओडिशा | 1340.8247 | 0.0000 | 1340.8247 |
| 15 | पंजाब | 277.9460 | 0.0000 | 277.9460 |
| 16 | राजस्थान | 509.9450 | 0.0000 | 509.9450 |
| 17 | तेलंगाना | 673.8640 | 0.0000 | 673.8640 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 1553.9120 | 0.0000 | 1553.9120 |
| **परियोजनाओं के नाम** | | | | |
| 19. | पोलावरम परियोजना | 9898.3600 | 751.8000 | 10650.1600 |
| 20. | उत्तरी कोइल परियोजना | 721.2200 | 0.0000 | 721.2200 |
| **कुल योग** | | **25748.8247** | **751.8000** | **26500.6247** |

# अध्याय – 9
# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की वेबसाइट

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अपनी वेबसाइट http://www-nwda-gov-in का रखरखाव कर रहा है जिसे सितंबर, 2005 में शुरू किया गया था। वेबसाइट को अधिक संवादात्मक बनाने के लिए, ई–गवर्नेंस को शामिल किया गया और दिव्यांग अनुकूल मॉड्यूल बनाने के लिए वेबसाइट को एनआईसी की मदद से फिर से डिजाइन और पुनर्विकसित किया गया है और नई रीडिजाइन की गई वेबसाइट को अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया था। वेबसाइट को द्विभाषी बनाया गया है। यह रा.ज.वि.अ के कार्यों और गतिविधियों, तकनीकी अध्ययनों और संबंधित मामलों को पेश कर रही है जो हितधारकों और आम जनता के लिए उपयोगी है।

एनपीपी के नदी विकास के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत पहचाने गए और प्रस्तावित 14 लिंक परियोजनाओं के एफआर, अंतर–राज्यीय 5 डीपीआर और अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की 4 डीपीआर वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीपी के नदी विकास के हिमालयी घटक के अंतर्गत आने वाली अंतर–राज्यीय लिंक परियोजनाओं और भारत सरकार की विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए अंतः–राज्यीय लिंक प्रस्तावों की एक संक्षिप्त झलक भी वेबसाइट पर दर्शाई गई है।

वेबसाइट के मुख्य लिंक इस प्रकार हैंः हमारे बारे में, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण कार्यालयों के स्थान–वार विवरण, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के प्रत्येक कार्यालय के कार्यक्रम और कर्मचारियों की संख्या के विवरण को उजागर करने वाला संगठन चार्ट, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अध्ययन, सूचना का अधिकार अधिनियम, रिक्ति, निविदाएं, ई–गवर्नेंस, पीएमकेएसवाई/एआईबीपी, हमसे संपर्क करें, आईएलआर के लिए विशेष समिति, इसकी उप–समितियों, समूहों और टास्क फोर्स आदि पर उप–लिंक के साथ आईएलआर के लिए विशेष समिति भारत जल सप्ताह, नागरिक चार्टर, आईएलआर से संबंधित मामले, प्रकाशन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आदि। मुख्य पृष्ठ अपने द्विभाषी पृष्ठों, ट्विटर और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के फेसबुक खातों, स्क्रीन रीडर एक्सेसिबिलिटी और विकलांगता के अनुकूल मॉड्यूल के लिए लिंकेज भी प्रदान करता है।

उपरोक्त के अलावा, मुख पृष्ठ को बैनर/फोटो गैलरी अनुभागों के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण वातावरण में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर सचित्र दृश्य प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। एक समर्पित ई–गवर्नेंस मंच भी विकसित किया गया है और जिसके माध्यम से सभी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के संक्षिप्त प्रोफाइल अपलोड किए गए हैं और दैनिक आधार पर अपडेट किए जाते हैं।

# अध्याय – 10

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की अन्य गतिविधियाँ

## 10.1 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में प्रशिक्षण और ज्ञान के आदान–प्रदान को विशेष महत्व दिया जाता है। 2021–22 के दौरान, मानव संसाधन विकास के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिकारियों को जल संसाधन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर संचालन, लेखा, प्रबंधन आदि के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न एजेंसियों/संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/ सम्मेलनों/ सेमिनारों/ कार्यशालाओं के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ सम्मेलनों/ संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं आदि के विवरण अनुलग्नक–।। में दिए गए हैं।

## 10.2 विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम का कार्यान्वयन

रा.ज.वि.अ में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकार और भागीदारी का संरक्षण) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के विवरण निम्नानुसार हैं :

1. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों को लागू किया जाता है।
2. ऐसे व्यक्तियों के लिए सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, आशुलिपिक ग्रेड –।।, प्रारूपकार ग्रेड –।।।, हिंदी अनुवादक, ड्राइवर ग्रेड–।।।, प्रवर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और एमटीएस पदों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदेशों और दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्ग "ग" के भीतर वर्ग "ग" में एमटीएस से उच्चतर वेतनमानों तक जहां भी लागू हो, पदोन्नति में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

## 10.3 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का नागरिक चार्टर

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के लिए नागरिक चार्टर (सीसी) में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की प्रस्तावना, स्थापना, संगठनात्मक संरचना, गतिविधियां, शिकायत निवारण तंत्र, हितधारक आदि शामिल हैं। सीसी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीचे दिए गए अनुसार एक कार्यबल का भी गठन किया गया है:

| क्रमांक | अधिकारी का नाम | पद |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक (एमडीयू), रा.ज.वि.अ | सदस्य |
| 3. | निदेशक (प्रशा.), रा.ज.वि.अ | सदस्य |
| 4. | मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला | सदस्य |
| 5. | निदेशक (तकनीकी समन्वय), केन्द्रीय जल आयोग | सदस्य |
| 6. | निदेशक (तक.), रा.ज.वि.अ | सदस्य–सचिव/ नोडल अधिकारी |

मुख्य अभियंता (मुख्यालय) को नागरिक चार्टर के लिए लोक शिकायत अधिकारी और निदेशक (तकनीकी) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। चार्टर का विवरण राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

## 10.4 महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर शिकायतों के लिए समिति

महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार, रा.ज.वि.अ में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति कार्य कर रही है।

समिति की संरचना इस प्रकार हैः

| क्रमांक | समिति की संरचना | पद |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एमडीयू) | अध्यक्ष |
| 2. | श्री राजेश कुमार, उप निदेशक (प्रशा.) | सदस्य |
| 3. | डॉ आर मेलिथा, प्रतिनिधि<br>नारी रक्षा समिति, गैर सरकारी संगठन, 2 राजनिवास मार्ग,<br>सिविल लाइंस, दिल्ली–5 | सदस्य |
| 4. | श्रीमती जसविंदर कौर, सहायक निदेशक | सदस्य |

समिति आवश्यक कार्रवाई के लिए रा.ज.वि.अ के मुख्य अभियंता (मुख्यालय) को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वर्ष 2021–2022 के दौरान, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की किसी भी महिला कर्मचारी से समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**रा.ज.वि.अ में महिला कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता (मुख्यालय) की अध्यक्षता में ''एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता'' विषय के साथ दिनांक 08 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2022 मनाया गया। श्रीमती अर्चना गुप्त, सहायक निदेशक (रा.भा.) (सेवानिवृत्त) कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं।**

## 10.5 सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह और कौमी एकता सप्ताह

रा.ज.वि.अ ने सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए 19 से 25 नवंबर, 2021 तक कौमी एकता सप्ताह के साथ सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह मनाया। इस सप्ताह के दौरान रा.ज.वि.अ के सभी कर्मचारियों को ''राष्ट्रीय एकता प्रतिज्ञा'' दी गई। कार्यालय परिसर में द्विभाषी पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

## 10.6 आंतरिक पत्रिका 'जल विकास' का प्रकाशन

रा.ज.वि.अ, की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने की दृष्टि से अक्तूबर, 1991 से एक त्रैमासिक आंतरिक बुलेटिन 'जल विकास' प्रकाशित कर रहा है। बुलेटिन में प्रासंगिक पहलुओं जैसे मीडिया में जल संसाधन शीर्षक के अंतर्गत जल संसाधन मुद्दों से संबंधित समाचार की क्लिपिंग, संसदीय चर्चाएं, जो ''संसद में आईएलआर'' कवरेज के अंतर्गत देश में आईएलआर के संबंध में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) में हो रही हैं, रा.ज.वि.अ की मुख्य पेशेवर गतिविधियों को शामिल करने के लिए ''रा.ज.वि.अ की झलक'', रा.ज.वि.अ में हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में रा.ज.वि.अ अधिकारियों की नियुक्तियों/प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति, रा.ज.वि.अ अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षणों/संगोष्ठियों और 'हिंदी के बढ़ते कदम' के बारे में जानकारी आदि विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, जल विज्ञान, भूजल, सिंचित कृषि, सतही जल विकास और आयोजना और अन्य संबंधित कार्यक्रमों, जो रा.ज.वि.अ उद्देश्या/कार्यों के दायरे में आ रहे हैं, के विषयों को शामिल करते हुए बहु–विषयक पहलुओं पर तकनीकी लेख भी प्रकाशनों में शामिल हैं।

आंतरिक त्रैमासिक मुद्दों (जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर) को विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों और अन्य संबंधित संगठनों के जल संसाधन अभियन्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच प्रकाशित और वितरित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर अंक को विशेष रूप से हिंदी में 'राजभाषा विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

## 10.7 स्वच्छ भारत अभियान

"स्वच्छ भारत अभियान" एक स्वच्छ भारत अभियान है और यह भारत सरकार द्वारा देश की गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचे की स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अभियान के रूप में शुरू किया गया मिशन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्तूबर, 2014 को राजघाट, नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर इस मिशन की शुरुआत की है। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है जहां विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों सहित लगभग 3 मिलियन सरकारी कर्मचारियों ने स्वच्छता गतिविधियों में ''स्वच्छता पखवाड़ा'' के रूप में विभिन्न मंत्रालयों के नेतृत्व में भाग लिया। मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में,16 मार्च से 31 मार्च, 2022 तक रा.ज.वि.अ, मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

इस क्रम में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रा.ज.वि.अ में आयोजित कुछ गतिविधियां नीचे दी गई हैं–

- रा.ज.वि.अ, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ''स्वच्छता संदेश'' रैलियों का आयोजन किया गया था।
- रा.ज.वि.अ, हैदराबाद ने 16.03.2022 को लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में स्वच्छ भारत पर चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया और रा.ज.वि.अ, मुख्यालय ने 30.03.2022 को नगर निगम प्राथमिक विद्यालय नंबर 2, पुष्प विहार, नई दिल्ली में चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया।
- स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में रा.ज.वि.अ, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में वृक्षारोपण किया गया था।
- पखवाड़ा के दौरान कार्यालय परिसरों और आसपास के क्षेत्रों की सफाई, फर्नीचर की सफाई, कचरे आदि का निपटान किया गया।

## स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गतिविधियों की झलक

रा.ज.वि.अ (मुख्यालय) में 17.03.2022 को वृक्षारोपण का आयोजन किया गया।

रा.ज.वि.अ, भुवनेश्वर द्वारा 31.03.2022 को स्वच्छता संदेश रैली का आयोजन किया गया

रा.ज.वि.अ, हैदराबाद द्वारा 30.03.2022 को स्वच्छ भारत पर चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

रा.ज.वि.अ (मुख्यालय) द्वारा 30.03.2022 को स्वच्छता पखवाड़ा पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

## 10.8 आजादी का अमृत महोत्सव

आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 12.03.2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 'दांडी मार्च' को हरी झंडी दिखाकर 'आजादी का अमृत महोत्सव' का उद्घाटन किया। इस प्रकार यह उत्सव स्वतंत्रता दिवस की हमारी 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा।

1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में समारोहों के एक भाग के रूप में रा.ज.वि.अ मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए कुछ कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

- तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन 25.10.2021 को ''भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने के तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय आयाम'' विषय पर किया गया।
- रा.ज.वि.अ, चेन्नई, नासिक, लखनऊ और नागपुर द्वारा ''आईएलआर'' पर जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया ।

- आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में ''जल संरक्षण और जल सुरक्षा'' विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन रा.ज.वि.अ और एनआईएच, पटना द्वारा संयुक्त रूप से 06 दिसंबर, 2021 को किया गया था, जिसमें डीएवी पब्लिक स्कूल, फुलवारी शरीफ, पटना के छात्रों को आमंत्रित किया गया था।
- 10.12.2021 को रा.ज.वि.अ, हैदराबाद द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लिटिल फ्लावर हाई स्कूल, आबिड्स, हैदराबाद में ''आईएलआर पर जागरूकता कार्यक्रम'' आयोजित किया गया ।
- रा.ज.वि.अ, हैदराबाद ने 2 फरवरी, 2022 को एक वेबिनार आयोजित करके नदी को जोड़ने के कार्यक्रम पर एक जागरूकता गतिविधि का आयोजन किया।
- रा.ज.वि.अ, झांसी द्वारा 3 फरवरी 2022 को खनियाधाना, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश में केबीएलपी पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- महानिदेशक रा.ज.वि.अ श्री भोपाल सिंह ने विश्व जल दिवस 2022 पर ''देश में जल सुरक्षा के लिए उपाय'' विषय पर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया।

रा.ज.वि.अ, हैदराबाद द्वारा 10.12.2021 को नदियों के आपस मे जोड़ने पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

रा.ज.वि.अ, चेन्नई द्वारा दिनांक 21.01.2022 को नदियों को आपस में जोड़ने पर जागरूकता रैली का आयोजन

## 10.9 ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स जल मंच

2019 में ब्रिक्स नेताओं के 11वें शिखर सम्मेलन में, माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि भारत शहरी क्षेत्रों में सतत जल प्रबंधन और स्वच्छता की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक आयोजित करेगा।

तदनुसार, पहली ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक 18 नवंबर, 2021 को जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। साथ ही भारत द्वारा 16–17 नवंबर, 2021 को वर्चुअल मोड में ब्रिक्स वाटर फोरम का आयोजन किया गया था। रा.ज.वि.अ ने आयोजनों में मंत्रालय की सहायता की।

निम्नलिखित तीन तकनीकी सत्र 16–17 नवंबर, 2021 को आयोजित किए गए थे:

1. जलवायु परिवर्तन प्रभाव–चुनौतियां और जल क्षेत्र में अवसर।
2. जल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी नवाचार।
3. जल, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को शामिल करना।

भारत सरकार ने इन सत्रों में कंट्री पेपर प्रस्तुत किए। भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस के अधिकारियों ने वर्चुअली भाग लिया है और प्रस्तुतियां दी हैं। समापन सत्र 18.11.2021 को आयोजित किया गया था और ''ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक'' को समर्पित किया गया था, जिसे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और जल मंत्रियों / चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस के प्रतिनिधियों द्वारा संबोधित किया गया था। ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक में बहुमूल्य जल संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने और ब्रिक्स देशों के बीच जल प्रबंधन में सहयोग को तेज करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था।

# अध्याय – 11

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में सतर्कता गतिविधियां

## 11.1 परिचय

रा.ज.वि.अ की सतर्कता शाखा का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सहमति से नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में, श्री चिरब्रत सरकार, निदेशक (प्रशा.) रा.ज.वि.अ में अंशकालिक सीवीओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। रा.ज.वि.अ में सीवीओ की भूमिका न केवल संगठन में भ्रष्टाचार और अन्य गैरकानूनी कदाचार के मामलों का पता लगाने के लिए है, बल्कि भ्रष्टाचार के बाद के दोषियों की तलाश करने के बजाय निवारक उपाय करने के लिए भी है। वर्ष 2021–22 के दौरान, सीवीओ ने मोटे तौर पर इस पर ध्यान केंद्रित किया:

1. भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश को समाप्त करने या कम करने के उद्देश्य से संगठन के मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की विस्तार से जांच करना।
2. संगठन में संवेदनशील/भ्रष्टाचार प्रवण स्थानों की पहचान करना और ऐसे क्षेत्र में तैनात कर्मियों पर नजर रखना।
3. योजना और प्रणाली विफलताओं और भ्रष्टाचार या कदाचार के अस्तित्व का पता लगाने के लिए औचक निरीक्षण और नियमित निरीक्षण को लागू करना।
4. संदिग्ध अखंडता के अधिकारियों पर उचित निगरानी बनाए रखना और
5. आचरण नियमों का शीघ्र पालन सुनिश्चित करना।

## 11.2 सतर्कता और अनुशासनात्मक मामले

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों की स्थिति।

1. एक (01) शिकायत प्राप्त हुई है और मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।
2. रा.ज.वि.अ के उत्तरी क्षेत्र में अनुशासनात्मक कार्यवाही के एक (01) मामले का निपटान कर दिया गया है।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में परिकल्पित सभी मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों को, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को निर्धारित समयावधि के भीतर भेजा गया है ।
4. कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष 2021–22 के दौरान रा.ज.वि.अ के क्षेत्रीय कार्यालयों में कोई निवारक सतर्कता निरीक्षण नहीं किया गया है।

## 11.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

रा.ज.वि.अ में दिनांक 26.10.2021 से 01.11.2021 तक एक सतर्कता जागरूकता सप्ताह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और मनाया गया। इस संबंध में 26 अक्टूबर, 2021 को महानिदेशक, रा.ज.वि.अ, द्वारा रा.ज.वि.अ (मुख्यालय), नई दिल्ली के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक ''प्रतिज्ञा'' दिलाई गई थी। सीवीसी के परिपत्र संख्या 021/वीजीएल/045, दिनांक 01.09.2021 के निर्देशों के अनुसार मुख्यालय कार्यालय और इस संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रमुख स्थानों पर भ्रष्टाचार की बुराइयों को उजागर करने वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। ''स्वतंत्र भारत @ 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता'', ''स्वतंत्र भारत @ 75: ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता '' आदि इन विषयों पर खुली चर्चा दिनांक 01.11.2021 को श्री

चिरब्रत सरकार, निदेशक (प्रशा.) सीवीओ, रा.ज.वि.अ की उपस्थिति में वीसी के माध्यम से आयोजित की गई। सीवीओ, रा.ज.वि.अ ने भी उपर्युक्त विषय पर कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ अपने विचार साझा किए।

रा.ज.वि.अ, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में प्रतिज्ञा का कार्यान्वयन

# अध्याय – 12

## राजभाषा (हिन्दी) का प्रगामी प्रयोग

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण राजभाषा (हिंदी) के उपयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके नियमों के प्रावधानों के वास्तविक कार्यान्वयन की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राजभाषा आईसी) की त्रैमासिक बैठकें मुख्यालय, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली और इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से आयोजित की जाती थीं। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ और विभिन्न कार्यालयों के प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में की गई समीक्षाओं के दौरान, यह परिलक्षित हुआ कि हिंदी में आधिकारिक उपयोग और पत्राचार दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। इन बैठकों में निर्णयों के कार्यान्वयन और पालन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए है । सभी दस्तावेजों को 2021–22 के दौरान द्विभाषी रूप से जारी किया गया है , जैसा कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में उल्लेख किया गया है। रा.ज.वि.अ मुख्यालय का कुल प्रतिशत अब पिछले छह महीनों से 95–99% है। सहायक निदेशक (रा.भा.) ने वर्ष 2021–22 के दौरान रा.भा. (हिंदी) के उपयोग का आकलन करने के लिए वीसी के माध्यम से 8 (आठ) क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, ''हिंदी पखवाड़ा '' का आयोजन 01.09.2021 से 14.09.2021 तक मुख्यालय, नई दिल्ली और रा.ज.वि.अ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया था। महानिदेशक रा.ज.वि. अ ने पखवाड़ा के दौरान हिंदी के उत्तरोत्तर उपयोग के लिए एक अपील जारी की और सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा के उपयोग के प्रति अधिक झुकाव रखें और हिंदी में अधिक काम करें और राजभाषा का उपयोग केवल पखवाड़ा के दौरान नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे एक नियमित अभ्यास के रूप में अपनाया और उपयोग किया जाना चाहिए। पखवाड़ा के दौरान वीसी द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया था जिसमें रा.ज.वि.अ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था।

25.10.2021 को हिंदी में एक दिवसीय तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में किया गया था। इस संगोष्ठियों में जल अभियांत्रिक के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया था। विभिन्न प्रतिभागियों से प्राप्त लेख के साथ एक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी और इस अवसर पर स्मारक के रूप में लॉन्च की गई थी।

महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने ''नराकास बैठक'' में वीसी द्वारा 23.11.2021 को भाग लिया गया। समिति के अध्यक्ष ने रा.ज.वि.अ के कार्य की सराहना की।

# अध्याय – 13
# वित्त और लेखा

## 13.1 पीएमकेएसवाई–एआईबीपी योजना के अंतर्गत राज्यों को दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) को केन्द्रीय सहायता।

2015–16 के दौरान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी कृषि क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई तक पहुंच सुनिश्चित करने और 'प्रति बूंद अधिक फसल' का उत्पादन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि लाई जा सके।

केन्द्र सरकार ने देश में वृहद/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता (सीए) प्रदान करने के लिए वर्ष 1996–97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना था जो पूरी होने के अंतिम चरण में थीं। पीएमकेएसवाई के शुभारंभ के बाद, एआईबीपी पीएमकेएसवाई का हिस्सा बन गया।

भारत सरकार ने रा.ज.वि.अ की पहचान एलटीआईएफ से बाहर से संसाधन उधार लेने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए की है, साथ ही पीएमकेएसवाई–एआईबीपी स्कीम के अंतर्गत पहचान की गई सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में निधियां जारी करने के लिए भी की है। इन परियोजनाओं में केंद्रीय हिस्सेदारी के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड से उधार लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय, रा.ज.वि.अ और नाबार्ड के मध्य 6 सितंबर, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे ।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नाबार्ड ने पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 751.80 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया था, जिसे पोलावरम प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश सरकार को वितरित किया गया है। रा.ज.वि.अ ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान नाबार्ड को 3720.38 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया है ।

## 13.2 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रा.ज.वि.अ को सहायता अनुदान और वास्तविक व्यय

जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 59.87 करोड़ रुपये (अनुदान–सहायता–सामान्य 20.57 करोड़ रुपये. सहायता अनुदान–वेतन 39.30 करोड़ रुपये) की राशि का अनुदान–सहायता–जारी किया है । वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान किया गया वास्तविक व्यय 67.36 करोड़ रुपये (अनुदान–सहायता–सामान्य 23.18 करोड़ रुपये. सहायता अनुदान–वेतन 44.18 करोड़ रुपये) है।

## 13.3 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रा.ज.वि.अ के लेखों की लेखा परीक्षा खाते

महानिदेशक, आडिट (कृषि, भोजन एवं जल संसाधन) ने वर्ष 2021–22 के खातों की जांच कर ली है। आडिट प्रमाण पत्र, आडिट रिपोर्ट राजविअ के पेरा वाइज उत्तर सहित एवं खातों का आडिटिड स्टेटमेंट परिशिष्ट–।।। पर दिए है।

# अध्याय – 14

# आभारोक्ति

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान श्री गजेंद्र सिंह शेखावत माननीय केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, रा.ज.वि.अ सोसायटी के अध्यक्ष और एससीआईएलआर अध्यक्षय श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और श्री बिश्वेश्वर टुडू माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय और रा.ज.वि.अ सोसायटी के उपाध्यक्ष; श्री रतन लाल कटारिया माननीय पूर्व राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय और श्री पंकज कुमार सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) और रा.ज.वि.अ के शासी निकाय के अध्यक्ष के बहुमूल्य मार्गदर्शन और सलाह के अंतर्गत रा.ज.वि.अ की विभिन्न गतिविधियों को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया गया है ।

हम केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, रा.ज.वि.अ की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के अध्यक्ष और एससीआईएलआर के सर्वसम्मति समूह के अध्यक्ष के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री एस.के. हलदर और श्री आर.के. गुप्ता ने 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कार्मिक रूप में कार्यालय में प्रभार संभाला था, रा.ज.वि.अ सोसायटी, रा.ज.वि.अ के शासी निकाय और टीएसी के सभी सदस्यों को हमारा हार्दिक धन्यवाद । हम एससीआईएलआर और टीएफआईएलआर की उप–समितियों के सभी अध्यक्षों और सदस्यों के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

रा.ज.वि.अ माननीय मंत्रियों नामतः श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री (डब्ल्यूआरडी), बिहार सरकार, श्री उदयलाल अंजना, माननीय मंत्री (आईजीएनपी), राजस्थान सरकारय श्री के लक्ष्मीनारायणन, माननीय लोक निर्माण मंत्री, पुदुच्चेरी सरकार रा.ज.वि.अ सोसायटी और एससीआईएलआर की बैठक के एजीएम में शामिल होने के उत्कृष्ट सहयोग को स्वीकार करता है। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों के सचिवों, मुख्य अभियंताओं और और अन्य अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रा.ज.वि.अ के सौंपे गए कार्यों से निपटने में उनके मूल्यवान समर्थन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है ।

रा.ज.वि.अ, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण, जल शक्ति मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों/शाखाओं/अनुभागों; वित्त मंत्रालयय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; वन तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; ऊर्जा मंत्रालय; केंद्रीय जल आयोग, जीएसआई, सीजीडबल्यूबी; केन्द्रीय मृदा एवं पदार्थ अनुसंधानशाला; एनआईएच; सीईए; आईएमडी; वाप्कोस और नीति आयोग आदि को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रा.ज.वि.अ, (जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे मार्गदर्शन, अभूतपूर्व सहयोग और हमारे साथ सदैव रहने के लिए आभार प्रकट करता है ।

अनुलग्नक–।

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा पूर्ण किए गए अंतःराज्यीय लिंक की स्थिति

| क्र.सं. | अंतःराज्यीय लिंक का नाम | नदियां | पीएफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| | <u>महाराष्ट्र</u> | | |
| 1 | वैनगंगा (गोसीखुर्द)–नलगंगा (पूर्णा तापी) | वैन गंगा और नलगंगा | डीपीआर पूर्ण। |
| 2 | वैनगंगा–मंजरा घाटी | वैन गंगा और मंजरा | पीएफआर पूर्ण (संभव्य नहीं पाया गया) |
| 3 | ऊपरी कृष्णा–भीमा (छह लिंक की प्रणाली) | कृष्णा और भीमा | पीएफआर पूर्ण |
| 4 | दमन गंगा (एकदारे)–गोदावरी घाटी | दमन गंगा और गोदावरी | प्रारूप डीपीआर पूर्ण |
| 5(i) | ऊपरी वैतरणा–गोदावरी घाटी | वैतरणा और गोदावरी | पीएफआर पूर्ण । |
| 5(ii) | दमन गंगा–वैतरणा– गोदावरी (कड़वा देव) घाटी | दमन गंगा, वैतरणा और गोदावरी | प्रारूप डीपीआर पूर्ण |
| 6 | उत्तर कोंकण–गोदावरी घाटी | पाताल गंगा और गोदावरी | पीएफआर पूरा (संभव नहीं पाया गया) |
| 7 | कोयना–मुंबई शहर | कोयना | पीएफआर पूर्ण। |
| 8 | श्रीराम सागर परियोजना (गोदावरी)–पूर्णा–मंजीरा | गोदावरी, पूर्णा और मंजीरा | पीएफआर पूर्ण। |
| 9 | वैनगंगा (गोसीखुर्द)–गोदावरी (एसआरएसपी) | वैन गंगा और गोदावरी | महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस लिया गया |
| 10 | मध्य कोंकण–भीमा घाटी | सावित्री, कुंडलिका, अंबा और भीमा | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 11 | कोयना–नीरा | कोयना और नीरा | पीएफआर पूर्ण । |
| 12 | मुल्सी–भीमा | मुल्सी और भीमा | पीएफआर पूर्ण। |
| 13 | सावित्री–भीमा | सावित्री और भीमा | पीएफआर पूर्ण। |
| 14 | कोल्हापुर–सांगली–संगोला | कृष्णा और भीमा | पीएफआर पूर्ण। |
| 15 | तापी बेसिन और जलगांव जिले की नदी जोड़ परियोजनाएं | तापी | पीएफआर पूर्ण। |
| 16 | नार–पार–गिरना घाटी | नार, पार, गिरना | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | नर्मदा–तापी | नर्मदा–तापी | पीएफआर पूर्ण |
| 18 | खरियागुटटा–नवाता सतपुड़ा तलहटी | छोड़ दी गई | राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अध्ययन के लिए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किये जाने वाली भूजल पुनर्भरण योजनाओं के अध्ययन को स्वीकार नहीं किया गया। |
| 19 | खरिया घुटी घाट–तापीक | छोड़ दी गई | |
| 20 | जिगांव–तापी–गोदावरी घाटी | तापी और गोदावरी | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| | **गुजरात** | | |
| 21 | दमनगंगा–साबरमती–<br>चोरवाड | दमन गंगा, साबरमती और चोरवाड | पीएफआर पूर्ण |
| | **उड़ीसा** | | |
| 22 | महानदी–ब्राह्माणी | महानदी और ब्राह्माणी | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 23 | महानदी–रुशिकुल्या (बरमूल परियोजना) | महानदी<br>और रुशिकुल्य | पीएफआर पूर्ण |
| 24 | वाम्साधारा–रुशिकुल्य (नंदिनी नाला परियोजना) | वाम्साधारा–रुशिकुल्या | पीएफआर पूर्ण |
| 25 | नागवल्ली–रुशिकुल्य–वम्शधारा | नागवल्ली, रुशिकुल्या, वम्शधारा | प्रारूप पीएफआर पूर्ण । |
| | **झारखंड** | | |
| 26 | दक्षिणी कोइल–सुवर्णरेखा | दक्षिण कोइल, सुवर्णरेखा | पीएफआर पूर्ण |
| 27 | शंख–दक्षिणी कोइल | शंख–दक्षिणी कोइल | पीएफआर पूर्ण |
| 28 | बराकर–दामोदर–सुबर्नरेखा | बराकर, दामोदर,सुबर्नरेखा | पीएफआर पूर्ण |
| | **बिहार** | | |
| 29 | कोसी–मेची (पूर्णतया भारत में) | कोसी, मेची | डीपीआर पूर्ण। पर्यावरण और निवेश मंजूरी दी गई। |
| 30 | बाढ़–नवादा | गंगा, किउलू | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | कोहरा–चंद्रावत (कोहरा–लालबेगी) | कोहरा, चंद्रवती | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 32 | बूढ़ी गंडक–नून–बया–गंगा | बूढ़ी गंडक, नून, बया और गंगा | डीपीआर पूर्ण, केन्द्रीय जल आयोग का मत है कि परियोजना को बाढ़ शमन परियोजना माना जा सकता है।<br>बिहार सरकार को अवगत कराया गया है। |
| 33 | बूढ़ी गंडक–बागमती [बेलवाधार] | बूढ़ी गंडक और बागमती | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 34 | कोसी–गंगा | कोसी, गंगा | पीएफआर पूर्ण |
| 35 | बागमती सिंचाई एवं जल निकासी परियोजना का विकास–चरण–।। (मुजफ्फरपुर जिले के कटैंझा के निकट बैराज) और कोसी–अधवारा–बागमती लिंक के साथ अधवारा बहुउद्देशीय परियोजना | कोसी, अधवारा और बागमती | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 36 | बक्सर में पंप नहर योजना के माध्यम से दक्षिणी बिहार में गंगा जल का अंतरण | गंगा | प्रारंभ में, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अध्ययन करने के लिए सहमति दी लेकिन बिहार सरकार से विवरण प्राप्त करने के बाद इसे अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। |
| 37 | बदुआ–चंदन बेसिन का विकास | बदुआ और चंदन | |
| 38 | सोन–फाल्गु लिंक | सोन और फाल्गु | प्रारंभिक अध्ययन आंरभ किया गया है। |
| | **<u>राजस्थान</u>** | | |
| 39 | माही–लूनी लिंक | माही और लूनी | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| 40 | वकल–साबरमती–सेई–पश्चिमी बनास–कामेरी लिंक | वकल, साबरमती, सेई, पश्चिम बनास और कामेरी | पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया) |
| | **<u>तमिलनाडु</u>** | | |
| 41 | पोन्नैयार–पालार लिंक | पोन्नैयार और पालार | पीएफआर और डीपीआर पूर्ण |
| | **<u>कर्नाटक</u>** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42 | अलमट्टी (बगलकोट)–मालाप्रभा उप–बेसिन | अलमट्टी और मालाप्रभा | प्रथम दृष्टया संभव नहीं पाया गया। |
| 43 | मालाप्रभा–तुंगभद्रा उप–बेसिन | मालाप्रभा और तुंगभद्रा | प्रथम दृष्टया संभव नहीं पाया गया। |
| 44 | बेदती–धर्मा–वरदा लिंक | बेदती, धर्म और वरदा | पीएफआर पूर्ण। |
| 45 | भद्रा–वेदवती (वाणी विलासा सागर) लिंक | भद्रा और वेदावती | कर्नाटक सरकार ने आईएलआर पर विशेष समिति की 11वीं बैठक के दौरान प्रस्ताव वापस ले लिया। |
| 46 | पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पथांतरण योजना (बारापोल–ऊपरी कावेरी लिंक) | बारापोल और ऊपरी कावेरी | |
| 47 | बेदती व अघनाशिनी से वरदा की ओर पथांतरण | अघनाशिनी और वरदा | पीएफआर पूर्ण |
| | **छत्तीसगढ** | | |
| 48 | पेयरी–महानदी लिंक | पेयरी और महानदी | पीएफआर पूर्ण |
| | **उत्तर प्रदेश** | | |
| 49 | शारदा–गोमती लिंक | शारदा और गोमती | पीएफआर का प्रारूप पूर्ण |

## अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान रा.ज.वि.अ अधिकारियों ने जिन प्रशिक्षण / सेमिनार / सम्मेलन / कार्यशालों में भाग लिया

| क्रमांक | प्रशिक्षण/सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला | अवधि | स्थान | आयोजनकर्ता | भाग लेने वाले अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23वीं जल वार्ता ''भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में स्प्रिंगशेड प्रबंधन के माध्यम से जल सुरक्षा'' के विषय में | 05.03.2021 | ऑनलाइन | राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय | रा.ज.वि.अ के तकनीकी अधिकारी। |
| 2. | चौथा भारतीय राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन (आईएनजीडबल्यूसी –2021) | 22.03.2021 से 24.03.2021 तक | | जल संसाधन केंद्र, जेएनटीयू, हैदराबाद और वैश्विक भूजल वैज्ञानिक | श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ और चौथी आईएनजीडब्ल्यूसी–2021 की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य। |
| 3. | 24वीं जल वार्ता ''जीवन जीने की कला में नदी संरक्षण'' विषय के साथ | 19.03.2021 | ऑनलाइन | राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय | रा.ज.वि.अ के तकनीकी अधिकारी। |
| 4. | ''जल उद्योग के डिजिटलीकरण–क्षमता को बढ़ावा देने'' पर वर्चुअल शिखर सम्मेलन | 21-07-2021 | ऑनलाइन | भू–स्थानिक विश्व, नोएडा | श्री आर. के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने महानिदेशक, रा.ज.वि.अ की ओर से जल अवसंरचना के डिजिटलीकरण (3:30 से 4:30 बजे तक) सत्र के लिए एक मॉडरेटर के रूप में भाग लिया।<br><br>1. श्री डी के शर्मा, अधीक्षण अभियंता–।। और<br>2. श्रीमती जैंसी विजयन, निदेशक (एमडीयू) ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। |
| 5. | ''सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण'' पर वर्चुअल तीसरे वार्षिक सम्मेलन के दौरान ''नदी जोड़ परियोजनाओं के अंतर्गत अवसर'' पर सत्र | 22.07.2021 | ऑनलाइन | इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली | महानिदेशक, रा.ज.वि.अ, मुख्य सत्र के अध्यक्ष। |
| 6. | ''आईएलआर परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की चुनौतियां'' के सत्र पर ''भारत के जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग'' पर वेबिनार श्रृंखला | 23.08.2021 | ऑनलाइन | राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे | महानिदेशक, रा.ज.वि.अ – एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन |
| 7. | ''आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल सुरक्षित एनसीआर '' पर ऑनलाइन कार्यशाला | 21.01.2022 | ऑनलाइन | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, आवसन एवं शहरी कार्य मंत्रालय | 1. श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ<br>2. श्री आर. के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय)<br>3. श्री डी. के. शर्मा, निदेशक (तक.)<br>4. श्री एस. आर. माहोर, अधीक्षण अभियंता |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | ऑनलाइन–प्रवाहा 2022–विश्व जल दिवस 2022 कार्यक्रम | 22.03.2022 | ऑनलाइन | आईआईटी , रुड़की | महानिदेशक, रा.ज.वि.अ ने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र पर मुख्य भाषण दिया। |
| 9. | ''सुदूर संवेदन का उपयोग करके भूमि उपयोग/भूमि कवर मानचित्रण'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। | 15.03.2022 तक 17.03.2022 | ऑनलाइन | राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे | 1. श्री एम. पी. कृष्णमूर्ति, सहायक निदेशक, दिल्ली।<br>2. श्री अंशुल जैन, अधीक्षण अभियंता, झांसी। |
| 10. | दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड एक्सपो 2020 | 22.03.2022 तक 26.03.2022 | दुबई, संयुक्त अरब अमीरात | वन तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा | श्री के.के राव, सहायक निदेशक जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में। |

Appendix-III

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

**कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा**
**(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली**
**Office of the Director General of Audit**
**(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi**

Dedicated to Truth in Public Interest

रिपोर्ट/2-123/डी.जी.ए./ए.एफ.&डब्ल्यू.आर/SAR/NWDA/2022-23/

दिनांक: .10.2022

सेवा में,

सचिव,भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय,
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
रफ़ी मार्ग, संसद मार्ग एरिया,
नई दिल्ली– 110001.

**विषय: वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA), के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।**

महोदय,

मैं राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) के वर्ष 2021-22 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर रही हूँ। संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज को दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2021-22 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें ।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य हो"।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरी

sd/-

उप-निदेशक (प्रतिवेदन)

आठवाँ व नवाँ तल, सी.ए.जी. संकाय भवन, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
दूरभाष/Phone: 011-23239419/20, फैक्स/Fax : 011-23239416
E-mail pdaafwr@cag.gov.in

रिपोर्ट/2-123/डी.जी.ए./ए.एफ.&डब्ल्यू.आर/SAR/NWDA/2022-23/ 5044 दिनांक :-20.10.2022

1. प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति सहित महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA), 18-20, सामुदायिक केंद्र सांकेत नई दिल्ली-110017 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।
   संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।
2. प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित महा निदेशक (रिपोर्ट स्वायत निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110124 को अग्रेषित की जाती है। यह महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि खाद्य एवं जल संसाधन) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है|

उप-निदेशक (प्रतिवेदन)

**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली के समेकित लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट।**

1. हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली की संलग्न तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाते का लेखा परीक्षा किया है। वित्तीय विवरणों में मुख्यालय इकाई और 5 सर्किलों के खाते शामिल हैं जो 31 मार्च 2022 तक 14 प्रभागों और 3 उप–प्रभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 5 इकाइयां (कोलकाता, भुवनेश्वर, झांसी, लखनऊ और मुख्यालय) हैं। लेखा परीक्षा किया गया और ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणियों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली इन वित्तीय विवरण के लिए उत्तरदाई हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है। 2023–24 तक राजविअ, नई दिल्ली के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपना है।

इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियों, यदि कोई हो, की सूचना निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3.हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम यह उपयुक्त आश्वासन लें कि वित्तीय विवरणों में सामग्री को अधिक नहीं दर्शाया गया है और फिर लेखापरीक्षा का आयोजन और निष्पादन करें। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर राशि के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन की अन्वेषण शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्धारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का निर्धारण शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय हेतु एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाता वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किए जाते हैं।

यद्यपि प्रभागों की संख्या 15 है, लेकिन खाते केवल 14 प्रभागों के लिए तैयार किए गए हैं।

iii) हमारी राय में, अभिकरण द्वारा राजविअ के उपनियमों की धारा 19 के अंतर्गत यथाअपेक्षित लेखा–बहियों और अन्य संगत अभिलेखों की समुचित बही–खातों और अन्य संगत अभिलेखों का रख–रखाव किया गया है जो बही–खातों की हमारी अन्वेषण से यह प्रतीत होता है।

iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलन पत्र
क.1 देयताएं

**क.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान**
**(अनुसूची 7) – 62.07 करोड़ रुपये**

क) राजविअ ने मुख्यालय कार्यालय के नवीकरण कार्य के लिए मई, 2022 में मैसर्स इरफान अहमद को 7.03 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसे दिसंबर, 2021 और मार्च 2022 के महीने में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसके लिए देयता नहीं बनाया गया ।

इसके परिणामस्वरूप देयता और व्यय के साथ–साथ समान राशि से समग्र निधि/पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया।

**राजविअ–दिल्ली**

ख) राजविअ ने प्रशासनिक व्यय, लघु कार्यों और पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे यूपीएस, फर्नीचर और एलईडी लाइट आदि के लिए 3.18 लाख रुपये के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं किया, जो मार्च 2022 से संबंधित है और जिसका अप्रैल 2022 के महीने में भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप दायित्व और व्यय को कम करके आंका गया और साथ ही समान राशि से समग्र निधि/पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया है।

**राजविअ–दिल्ली**

उपरोक्त में वित्त वर्ष 2021–22 से संबंधित सैमसंग ब्लॉक टन कारतूस की खरीद, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन, ईंधन शुल्क के लिए भुगतान, लेडीज पर्स और आतिथ्य व्यय आदि की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान के लिए 1.71 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों के साथ–साथ 'बकाया व्यय' शीर्ष के अंतर्गत व्यय को 1.71 लाख रुपये कम दिखाया गया है।

**राजविअ–लखनऊ**

## ख.2 परिसंपत्तियाँ

### क.2.1 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम (अनुसूची 11 बी)

क) 'दावा प्राप्य' उन कर्मचारियों के मूल विभाग से वसूली योग्य अवकाश वेतन के दावों का प्रतिनिधित्व करता है, जो राजविअ में प्रतिनियुक्ति पर आए थे।

ख) वर्ष 1983–84 से 2010 के दौरान भुगतान किए गए ये अवकाश वेतन, अग्रिम वसूल किए जाने के लिए लंबित थे। खातों के एक समान प्रारूप से संलग्न नोट्स और अनुदेशों के अनुसार, दावे/प्राप्य–केवल दावे, जिन्हें अच्छा और वसूली योग्य माना जाता है, को दावों/प्राप्य के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। चूंकि ये अग्रिम 13 से 37 वर्षों की अवधि के लिए अप्राप्य पड़े हैं, इसलिए इन राशियों की वसूली बहुत दूरस्थ है। इसलिए अग्रिमों के संबंध में आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिए था। प्रावधानों का सृजन न होने के परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों (अनुसूची 11) को अधिक बताया गया है और अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान को 2.80 लाख रुपये कम करके दिखाया गया है।

**राजविअ (कोलकाता और भुवनेश्वर)**

## ख.सामान्य

1. बैंक समाधान विवरण – अभिकरण के छह बैंक खातों में विसंगतियां पाई गई हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है।

**राजविअ–दिल्ली**

2. वर्ष 2021–22 के दौरान, राजविअ ने पिछले वर्षों (2014–15 के बाद) के 1.48 करोड़ रुपये के स्वीप खाते पर ब्याज दिखाया, जिसमें 85.67 लाख रुपये की एफडीआर राशि शामिल थी। इसके अलावा, यह देखा गया है कि बैंक ने राजविअ के स्वीप खाते से 78.98 लाख रुपये की राशि काट ली है, लेकिन इसके कारण रिकॉर्ड में नहीं पाए गए। वही प्रदान करने की आवश्यकता है।

**राजविअ–दिल्ली**

3. दिनांक 31.3.2021 तक तुलन पत्र का उपयोग देनदारियों में ''अन्य प्रभागों से परिसंपत्तियों का हस्तांतरण'' (29.58 लाख रुपये) और परिसंपत्तियों में ''अन्य प्रभागों को परिसंपत्तियों का हस्तांतरण'' (6. 79 लाख रुपये) दर्ज करने के लिए किया गया था, जो केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप के अनुसार नहीं था। इस तरह के हस्तांतरणों को परिसंपत्तियों की प्राप्ति पर 'अचल परिसंपत्तियों' और 'पूंजीगत निधि' में परिवर्धन के रूप में दर्ज किया जाना था और विभाजन से परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 'अचल परिसंपत्तियों' और 'पूंजीगत निधि' में कटौती की जानी थी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 में इन हस्तांतरणों को दर्ज करते समय, समग्र निधि/पूंजीगत निधि में जोड़ और कटौती की गई थी, जिसने झांसी के मामले में 22.80 लाख रुपये और लखनऊ के मामले में 23.57 लाख रुपये की वृद्धि की, लेकिन अचल संपत्तियों को ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिया गया।

**राजविअ झांसी और लखनऊ**

4. एक अधिकारी के मामले में बकाया छुट्टी वेतन के रूप में 2.22 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं थी, जिसकी प्रतिपूर्ति राजविअ लखनऊ को पांच साल से अधिक से लंबित और अभी भी वसूली योग्य खातों के निपटान के लिए की जानी थी। इसका विवरण ऋण और अग्रिम में किया जाना चाहिए।

**राजविअ–लखनऊ**

5. बिक्री/सेवाओं से होने वाली आय में पेशेवर/परामर्श सेवा आय पिछले वर्षों के 5,34,44,071 रुपये शामिल है जिसे पिछले वर्ष के खातों में शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष की आय के साथ–साथ पूंजीगत निधि में भी वृद्धि हुई है।
6. राजविअ ने सरकारी प्रतिभूतियों पर 4.32 करोड़ रुपये के बजाय 4.99 करोड़ रुपये की रुचि दिखाई है। उसी में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। राजविअ ने 72.69 लाख रुपये की निवेश राशि (69,00,000 रुपये – मूल राशि. 3,68,891– ब्याज) और उस पर सरकारी प्रतिभूति के ब्याज को 3.68 लाख रुपये की ब्याज आय के साथ जोड़ा है। मूल राशि को आय के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसे ठीक करने की जरूरत है।

**राजविअ–दिल्ली**

**ग. सहायता अनुदान**

राजविअ को 2021–22 के दौरान कुल 59.87 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। इसमें पिछले वर्ष अव्ययित अनुदान के रूप में 4.37 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष था, परामर्श शुल्क से चालू वर्ष की अपनी आय 14.27 करोड़ रुपये थी। 78.51 करोड़ रुपये की कुल निधि में से राजविअ ने 67.36 करोड़ रुपये का उपयोग किया और 11.15 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान छोड़ दिया है ।

पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाता, खातों के अनुरूप हैं।

**घ. प्रबंधन पत्र**

जिन कमियों को पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मकध्सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से संगठन के ध्यान में लाया गया है।

v. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पढ़े गए उक्त वित्तीय विवरण, और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक उचित और निष्पक्ष दृ ष्टिकोण देते हैं।

क. जहां तक यह 31 मार्च 2022 तक राजविअ के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है और
ख. जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

(कीर्ति तिवारी) महानिदेशक, लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 20.10.2022

## अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तताः

(i) अलग से कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं है, लेकिन मुख्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा की जाती है। तथापि, राजविअ के क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा राजविअ के निदेशक (वित्त) द्वारा वित्त शाखा के मौजूदा कर्मचारियों के साथ की जाती है। ग्वालियर (सर्किल), बैंगलोर और झांसी (प्रभाग) का आंतरिक लेखा परीक्षा 2021–22 तक किया गया है और शेष क्षेत्रीय/सर्कल कार्यालयों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं किया गया था।

(ii) तथापि, राजविअ मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा की गई राजविअ सर्किल कार्यालय, भुवनेश्वर की आंतरिक लेखा परीक्षा पांच वर्षों के लिए बकाया थी। इससे पहले फरवरी 2017 में 2016–17 की अवधि के लिए यह आयोजन किया गया था।

(iii) राजविअ अन्वेषण प्रभाग, लखनऊ की आंतरिक लेखा परीक्षा दो वर्षों की बकाया थी। राजविअ अन्वेषण प्रभाग, लखनऊ का आंतरिक लेखा परीक्षा अगस्त 2022 में आयोजित किया गया था। 2020–21 और 2021–22 की अवधि के लिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं किया गया था।

**2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तताः**

i) दीर्घावधि अग्रिमों के लिए ब्रॉडशीट्स राजविअ के मुख्यालय में नहीं रखी गई थीं, जिसके अभाव में लेखा परीक्षा वार्षिक खातों में परिलक्षित दीर्घकालिक अग्रिमों की राशि की सत्यता को सत्यापित नहीं कर सकी।

2. राजविअ के मुख्यालय के मामले में ''अन्य ऋण और अग्रिम'' (अनुसूची 11) शीर्ष के तहत उल्लिखित कर्मचारियों और अन्य के लिए प्रावधान नहीं किया गया था जो लंबे समय से वसूली के लिए लंबित था।

3) जीएफआर–22 (लखनऊ) के अनुसार परिसंपति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था।

iv) 24.08.2020 को शासी निकाय की 69वीं बैठक आयोजित की गई।

v) राजविअ, (अन्वेषण प्रभाग) लखनऊ में जीएफआर–22 के अनुसार परिसंपति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था।

**3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणालीः**

राजविअ (मुख्यालय), नई दिल्ली के भवन, फर्नीचर और जुड़नार, संयंत्र और मशीनरी, वाहन और कंप्यूटर और सहायक उपकरण जैसी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2021 तक किया गया था। प्रभागों और सर्किल कार्यालयों (राजविअ कोलकाता और भुवनेश्वर) की अचल संपत्तियों और भंडारों और पुर्जों का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2021–22 तक किया गया था। प्रत्येक संपत्ति के लिए चिह्नित किया गया है। हालांकि, इसका उल्लेख न तो पीवी रिपोर्ट में किया गया था और न ही परिसंपत्ति रजिस्टर में।

**4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणालीः**

2021–22 तक लेखन सामग्री, पुस्तकों और प्रकाशनों और उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया है।

**सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितताः** खातों के अनुसार, किसी भी इकाई में 31.03.2022 तक सांविधिक देय राशियों के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

राजविअ ने 177.42 लाख रुपये की अचल संपत्तियां खरीदीं, लेकिन पूंजीगत कोष में 176.87 लाख रुपये की वृद्धि हुई। अंतर को कम किया जा सकता है।

2. राजविअ ने मरम्मत और रखरखाव के लिए विभिन्न अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए 3,300 रुपये के भुगतान का प्रावधान नहीं किया, जो मार्च 2022 से संबंधित है, लेकिन भुगतान अप्रैल 2022 में किया गया था। भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

वर्तमान परिसंपत्तियों में 13.94 लाख रुपये (प्रति वर्ष 13.94 लाख रुपये) की मार्गस्थ नकदी शामिल है, जिसे 31.3.2021 को राजविअ झांसी से नई दिल्ली में राजविअ मुख्यालय में स्थानांतरित किया गया था। यद्यपि यह राशि संबंधित टीएसए खातों से डेबिट की गई थी, लेकिन टीएसए में तकनीकी कारणों से इसे मुख्यालय के एसबीआई खाते में जमा नहीं किया गया था और यह धनराशि पीए, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय को वापस कर दी गई थी। इसके बाद, राजविअ मुख्यालय ने अप्रैल, 2021 के पहले पखवाड़े के व्यय को चुकाने के लिए राजविअ के टीएसए को यह राशि जारी करने की कोशिश की, लेकिन इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका और इस राशि को अभी भी कैश इन ट्रांजिट के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। चूंकि तकनीकी कारणों से लौटाए गए अनुदान की भरपाई नहीं की जा सकी, इसलिए इसे ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए था।

4. उपर्युक्त में दो अधिकारियों के मामले में अवकाश वेतन के कारण प्राप्य दावे होने के नाते 18,029 रुपये की राशि शामिल है यह अवकाश वेतन तीन साल से अधिक समय से लंबित है और अभी भी वसूली योग्य है। अतः संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान किया जाना चाहिए था।

5. कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के अंतर्गत दर्ज की गई कुल बुक वैल्यू 7.39 लाख रुपये की अचल संपत्तियों का निपटान वर्ष के दौरान किया गया। संचित मूल्यह्रास को समायोजित करने के बाद, कुछ परिसंपत्तियों पर लाभ हुआ।
इस प्रकार, परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ अर्जित करने के बाद कुल हानि केवल 27,664ध्– रुपये थी, तथापि, अनुसूची 21 में परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि 45,075/– रुपये बताई गई थी। इसे ठीक करने की जरूरत है।

6. 1,22,694 रुपये की राशि के सीपीएफ के अनधियाचित अभिदान को बहुत पहले से अनुसूची–7 के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। नोट्स टू अकाउंट में न तो अवधि की घोषणा और न ही इन राशियों के विवरण का उल्लेख किया गया है। इसमें सुधार की जरूरत है।

7. राजविअ ने अनुसूची 21– अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत पूर्व अवधि व्यय के प्रावधान किए लेकिन इन राशियों के प्रकटीकरण का उल्लेख नोट्स टू अकाउंट में नहीं किया गया है। इसे ठीक किया जाना चाहिए।

8. वार्षिक खातों की अनुक्रमण तैयार नहीं की गई थी जिसे अगले वर्ष ठीक किया जा सकता है।

9. राजविअ, झांसी और लखनऊ ने 'महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची–24)' और 'आकस्मिक देयताएं और लेखा पर नोट्स (अनुसूची–25)' तैयार नहीं की, जिन्हें आगामी वर्ष से तैयार किया जा सकता है।

10. सकल ब्लॉक, मूल्यह्रास आदि के पिछले वर्ष के आंकड़े अनुसूची 8 की धारा क में प्रदर्शित नहीं किए गए थे, जैसा कि केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप में अपेक्षित है। इसके परिणामस्वरूप तुलना आदि के लिए तदनुरूपी आंकड़ों की अनुपलब्धता हुई। इसे अगले साल से सुधारने की जरूरत है।
11. राजविअ–झांसी में वेतन और अन्य मदों के बकाया व्यय के लिए 11.99 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसे केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप में अपेक्षित अनुसूची 7

की धारा ख में प्रदर्शित नहीं किया गया था। आने वाले वर्षों में इसे सही ढंग से चित्रित करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2021–22 के लिए राजविअ (अन्वेषण प्रभाग), झांसी के आय और व्यय खाते की अन्वेषण से कुछ टाइपोग्राफिकल त्रुटि का पता चला जैसे समग्र निधि को हस्तांतरित शेष आंकड़े में (–) का उपयोग, हालांकि यह अधिशेष था, (ए–बी) के बजाय शब्दावली (बी–ए) का उपयोग आदि। भविष्य में इनसे बचना चाहिए।

इसी प्रकार, खातों में ''कोंटीनेंट देनदारियों और लेखाओं पर नोट्स'' के बजाय '' आकस्मिक देयताएं और लेखा पर नोट्स'' शब्दावली का उपयोग किया जाता है। यह राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), मुख्यालय नई दिल्ली की पिछले वर्ष मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट में भी दिखाया गया था। उसी में सुधार की जरूरत है।

13. वर्ष 2021–22 के आय एवं व्यय खाते में राजविअ झांसी ने 2021–22 के बजाय चालू वर्ष के लिए वर्ष 2020–21 का उल्लेख किया है। इसे ठीक किया जा सकता है। इसी तरह, प्राप्तियों और भुगतान खाते के साथ आय और व्यय खाते के लिए, राजविअ, झांसी ने '2020–21 के लिए बकाया वेतन' के बजाय 2021–22 के लिए बकाया वेतन का उल्लेख किया। लेखा परीक्षा की सूचना के अंतर्गत इसे ठीक किया जा सकता है।

14. राजविअ–लखनऊ में वेतन और अन्य मदों के बकाया व्यय के लिए 24.37 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसे केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप में अपेक्षित अनुसूची 7 की धारा ख में प्रदर्शित नहीं किया गया था। अगले वित्त वर्ष में इसके सही चित्रण की जरूरत है।

15. राजविअ–कोलकाता और भुवनेश्वर में, काम पूरा होने के बाद ईएमडी/एसडी वापसी योग्य राशि है। मेसर्स स्वैन एसोसिएट, भुवनेश्वर से बयाना राशि जमा (ईएमडी)/प्रतिभूति जमा (एसडी) के रूप में 0. 38 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिन्होंने 19 मार्च 2019 को उन्हें दिए गए कार्य को पूरा किया। काम पूरा होने के बाद, ठेकेदार ने प्रतिभूति जमा के साथ 10ः जारी करने का अनुरोध किया। उपर्युक्त जमा (ईएमडी)/प्रतिभूति जमा (एसडी) कार्य पूरा होने के बाद जारी किया जाना चाहिए था।

16. राजविअ झांसी में, वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित सरकारी शेयरों के एनपीएस के लिए 70,416 रुपये की राशि जिसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों के साथ–साथ आय और व्यय खाते को 70416 रुपये कम करके दिखाया गया है।

17. राजविअ झांसी में, खातों के एक समान प्रारूप में अचल परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, '5000 रुपये या उससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों को पूरी तरह से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है'। तथापि, राजविअ झांसी ने 15ः प्रतिवर्ष की दर से 6800/– रुपये (प्रत्येक 1700/– रुपये) की 4 सीलिंग फैन 1200 एमएम पर परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रदान किया था। इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का अधिक ब्यौरा दिया गया है और मूल्यह्रास को 6290 रुपये (6800–510) कम करके आंका गया है।

18. राजविअ लखनऊ में, वर्तमान परिसंपत्तियों में 77,723 रुपये की राशि शामिल है, जो पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ कर्मचारियों को टीटीए अग्रिमों के लिए प्राप्य राशि है और पांच साल से अधिक समय से बकाया वेतन अग्रिम हैं। इस प्रकार, इस राशि के लिए संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप संदिग्ध अग्रिम के प्रावधान को कम करके आंका गया है और 77,723 रुपये की सीमा तक वर्तमान परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया है।

सेवा में ,
उप निदेशक (रिपोर्ट),
कार्यालय महानिदेशक,
लेखा परीक्षा (कृषि, खाद्य और जल संसाधन),
8 वीं और 9 वीं मंजिल, सीएजी एनेक्सी बिल्डिंग,
10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002

विषयः– 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली के समेकित लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का उत्तर देने के संबंध में ।

संदर्भः दिनांक 20.10.2022 की पत्र संख्या रिपोर्ट/2–123/डीजीए (एएफ एंड डब्ल्यूआर)/एसएआर/राजविअ/2022–23/5044।

महोदय,

कृपया लेखा परीक्षा महानिदेशक के कार्यालय से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली के समेकित लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उत्तरों के साथ संलग्न पायें ।

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

भवदीय

(सुब्रत हल्दर)
निदेशक (वित्त)

**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली के समेकित लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट।**

| | |
|---|---|
| **क तुलन पत्र**<br><br>**क.1 देयताएं**<br><br>**क. 1.1 वर्तमान देयताओं और प्रावधान (अनुसूची –7) –**<br>**₹ 62–07 करोड़** | |
| क) राजविअ ने मुख्यालय कार्यालय के नवीकरण कार्य के लिए मई, 2022 में मैसर्स इरफान अहमद को ₹ 7.03 लाख का भुगतान किया, जिसे दिसंबर, 2021 और मार्च, 2022 के महीने में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसी के लिए देयता नहीं बनाई गई थी।। | क) मार्च 2022 तक बिल को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसलिए भुगतान की जाने वाली वास्तविक राशि ज्ञात नहीं थी। इसलिए इसे बकाया देयता के रूप में नहीं लिया गया। भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया और भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए प्रावधान किया जाएगा। |
| इसके परिणामस्वरूप देयता और व्यय को कम करके आंकलित किया और साथ ही समान राशि से समग्र/पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया। (राजविअ–दिल्ली) | |
| ख) राजविअ ने प्रशासनिक व्यय, लघु कार्यों और पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे यूपीएस, फर्नीचर और एलईडी लाइट आदि के लिए ₹ 3.18 लाख के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं किया, जो मार्च 2022 से संबंधित है और अप्रैल 2022 के महीने में इसका भुगतान किया गया । | ख) भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है और भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए प्रावधान किया जाएगा। |
| इसके परिणामस्वरूप देयता और व्यय को कम करके आंकलित किया और साथ ही समान राशि से समग्र/पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया। (राजविअ–दिल्ली)। | |
| ग) उपर्युक्त में सैमसंग ब्लॉक टन कार्टेज की खरीद, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन, ईंधन प्रभारों के लिए भुगतान के लिए 1.71 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित लेडीज पर्स और आतिथ्य खर्च आदि की प्रतिपूर्ति। | ग) भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया। भविष्य में इस प्रकार के व्यय का प्रावधान किया जाएगा। उपरोक्त तथ्य के संबंध में पैरा छोड़ा जा सकता है। |
| इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों के साथ–साथ बकाया व्यय शीर्ष के अंतर्गत व्यय को 171 लाख रुपये कम करके आंकलित किया गया है। **(राजविअ–लखनऊ)।** | |

| | |
|---|---|
| **क.2 परिसंपत्तियाँ**<br>**क.2.1 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम (अनुसूची 11 बी)**<br><br>क) 'दावा प्राप्य' उन कर्मचारियों के मूल विभाग से वसूली योग्य अवकाश वेतन के दावों का प्रतिनिधित्व करता है, जो राजविअ में प्रतिनियुक्ति पर आए थे। ये अवकाश वेतन अग्रिम 1983–84 से 2010 के दौरान भुगतान किए गए थे, जिनकी वसूली खातों के एक समान प्रारूप से जुड़े नोट्स और निर्देशों के अनुसार की जानी बाकी थी। ''दावे / प्राप्य–केवल दावे, जिन्हें अच्छा और वसूली योग्य माना जाता है, को दावों / प्राप्य के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। चूंकि ये अग्रिम 13 से 37 वर्षों की अवधि से अप्राप्य पड़े हैं, इसलिए इन राशियों की वसूली बहुत मुस्किल लग रही है। इसलिए अग्रिमों के संबंध में आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिए था।<br>प्रावधानों का सृजन न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्ति ऋण एवं अग्रिमों (धारा 11) को अधिक बताया गया है और अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान को 2.80 लाख रुपये कम करके आंकलित किया गया है।<br>**(राजविअ–कोलकाता और भुवनेश्वर)** | क) ये सभी दावे सरकारी कार्यालयों के संबंध में लंबित हैं। इसलिए इसे प्राप्त घोषित करना सही नहीं है।<br>अनुस्मारक उच्चतम स्तर अर्थात महानिदेशक, राजविअ द्वारा नियमित अंतराल में जारी किए जाते हैं। |
| **क) सामान्य**<br><br>1. बैंक समाधान विवरण – प्राधिकरण के छह बैंक खातों में विसंगतियां पाई गई हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है।<br>**(राजविअ–दिल्ली)** | 1. समाधान किया जाएगा, अगले लेखा परीक्षा के लिए दिखाया जाएगा। |
| वर्ष 2021–22 के दौरान, राजविअ ने पिछले वर्षों (2014–15 से) के 1.48 करोड़ रुपये के स्वीप खाते पर ब्याज दिखाया, जिसमें ₹ 85.67 लाख की एफडीआर राशि शामिल थी। इसके अलावा, यह देखा गया है कि बैंक ने राजविअ के स्वीप खाते से 78.98 लाख रुपये की राशि काट ली है, लेकिन इसके कारण रिकॉर्ड में नहीं पाए गए। इसे उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।<br>**(राजविअ–दिल्ली)** | सेवानिवृत्ति के समय राजविअ कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने के लिए राजविअ द्वारा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी खाता खोला गया था। यह खाता सीएजी लेखा परीक्षा के अवलोकन के अनुसार खोला गया था। यह निधि बीमांकिक द्वारा की गई गणना के आधार पर मंत्रालय से राजविअ द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान से सृजित की गई थी। वर्ष 2018 में मंत्रालय के निर्देशानुसार इस खाते में अंशदान रोक दिया गया है। यह खाता स्वीप खाता है। इसलिए खाते में बेकार पड़ी धनराशि को बैंक द्वारा सावधि जमा में निवेश किया गया था। उस समय इन सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसलिए राजविअ ने वित्त वर्ष 2021–22 में इस फंड में अर्जित ब्याज को अपने खाते में लिया है, जो हमारी गणना के अनुसार ₹ 1,48,83,850 है।<br><br>अब भारतीय स्टेट बैंक, मंदिर मार्ग, साकेत शाखा से प्राप्त बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 2014–15 से 2021–22 तक स्वीप खाते द्वारा अर्जित कुल ब्याज ₹ 1,48,86,583 |

| | |
|---|---|
| | आता है। अर्जित सावधि जमावार ब्याज नीचे दिया गया है:–<br>**ग्रेच्युटी खाते के संबंध में स्वीप एफडीआर पर अर्जित ब्याज**<br>क.सं / वर्ष / एफडीआर संख्या / कुल ब्याज<br>1. / 2014-15 / 61233442871 / **3,32,670.00**<br>2. / 2014-15 / 61239739659 / **44,839.00**<br>3. / 2015-16<br>2016-17 / 61268349372<br>61268349372 / **10,87,896.00**<br>4. / 2018-19<br>2019-20 / 37731964948<br>37731964948 / **19,86,368.00**<br>5. / 2014-15<br>2015-16 / 61226697873<br>61226697873 / **1,91,275.00**<br>6. / 2014-15<br>2015-16 / 61262563277<br>61262563277 / **1,98,275.00**<br>7. / 2017-18<br>2018-19<br>2019-20 / 36881770344<br>36881770344<br>36881770344 / **69,75,537.00**<br>8. / 2017-18<br>2018-19<br>2019-20 / 36981325970<br>36981325970<br>36981325970 / **30,20,953.00**<br>9. / 2018-19 / 37625625125 / **6,17,654.00**<br>10. / 2021-22 / 39599891926 / **4,31,116.00**<br>**कुल** / **1,48,86,583.00**<br>उपरोक्त स्पष्टीकरण के संबंध में पैरा को हटाया जा सकता है। |
| 3. दिनांक 31.03.201 तक तुलन पत्र में देनदारियों में ''अन्य प्रभागों से परिसंपत्तियों का हस्तांतरण'' (29.58 लाख रुपये) और परिसंपत्तियों में ''अन्य प्रभागों को परिसंपत्तियों का हस्तांतरण'' (6.79 लाख रुपये) दर्ज किया गया था, जो केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों के समान प्रारूप के अनुसार नहीं था। इस तरह के हस्तांतरण को ''अचल परिसंपत्तियों'' और ''पूंजीगत निधि'' के परिवर्धन के रूप में दर्ज किया जाना था, जो परिसंपत्तियों की प्राप्ति पर ''अचल संपत्ति'' और ''पूंजीगत निधि'' को प्रभागों से परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कटौती और कटौती करते थे। तदनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 में इन हस्तांतरणों को दर्ज करते समय, समग/पूंजीगत निधि में जोड़ और कटौती की गई, जिसने झांसी के मामले में इसके मूल्य में 22.80 लाख रुपये और लखनऊ के मामले में 23.57 लाख रुपये की वृद्धि की, लेकिन अचल संपत्तियों को ऐसा कोई प्रभाव नहीं दर्शाया गया है।<br>**(राजविअ–झांसी और लखनऊ)** | 3. राजविअ में जब परिसंपत्ति को एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में हस्तांतरित किया जाता था। तब प्रभाग सामान्य प्रविष्टि करता है।<br>संपत्ति का हस्तांतरण<br>अचल संपत्ति के लिए<br><br>इसलिए इसने नियत परिसम्पत्ति को उस हद तक कम कर दिया। लेकिन उस हद तक पूंजीगत निधि को नहीं किया गया ।<br>जब भी प्रभाग द्वारा संपत्ति प्राप्त की गई थी तो सामान्य प्रविष्टि निम्नानुसार पारित की गई थीः –<br>अचल संपत्ति खाता<br>अन्य प्रभाग से सम्पत्ति का अंतरण करना ।<br>इसलिए नियत परिसम्पत्ति तो बढ़ाया गया लेकिन पूंजीगत निधि को नहीं । दोनों ही मामलों में अचल परिसंपत्तियों की वृद्धि और कमी को ध्यान में रखा जाता है लेकिन पूंजी निधि में समायोजन नहीं किया गया था। लेकिन लेखा परीक्षा ने इस पर आपत्ति जताई है क्योंकि यह केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के खाते के एक समान प्रारूप के अनुसार नहीं है। इसलिए पूंजीगत निधि में समायोजन किया गया। |
| 4. ऋण और अग्रिमों में एक अधिकारी के मामले में बकाया अवकाश वेतन के रूप में ₹2.22 लाख की राशि शामिल नहीं थी, जिसे पांच साल से | 4. यह राशि सरकारी कार्यालय से वसूल की जा सकती है और राजविअ इसकी वसूली के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। |

<table>
<tr><td>अधिक समय से लंबित खातों के निपटान के लिए राजविअ लखनऊ को प्रतिपूर्ति की जानी थी और अभी भी वसूली योग्य है। इसका विवरण ऋण और अग्रिम में दिया जाना चाहिए।<br>(राजविअ– लखनऊ)</td><td></td></tr>
<tr><td>5. बिक्री/सेवाओं से होने वाली आय में पिछले वर्षों की ₹ 5,34,44,071 पेशेवर/परामर्श सेवा आय, शामिल है जिसे पिछले वर्ष के खातों में शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष की आय के साथ–साथ पूंजीगत निधि में वृद्धि हुई है।</td><td>5. यह वर्ष 2020–21 में रसीद और भुगतान खाते के सम्बन्ध में दिखाया गया था। हालांकि, वर्ष 2021–22 में आय के मुकाबले इसमें सुधार दिखाया गया है।<br>उपरोक्त स्पष्टीकरण के संबंध में पैरा को कृपया हटाया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>6. राजविअ ने सरकारी प्रतिभूतियों पर 4.32 करोड़ रुपये के बजाय 4.99 करोड़ रुपये में रुचि दिखाई है । उसी में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। (राजविअ–दिल्ली)</td><td>राजविअ ने 2020–21 तक नकद आधार पर अपने ब्याज अर्जन खाते का अनुसरण किया था और वर्तमान वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लेखांकन के अर्जित आधार का पालन किया जाता है। इसलिए, निवेश पर अर्जित ब्याज के साथ–साथ सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज में मूल धन ₹ 4,99,36,180 शामिल है। इसका ब्यौरा इस प्रकार हैः–
<table>
<tr><td>सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज</td><td></td><td>4,99,36,180</td></tr>
<tr><td>कम</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">i) निवेश की मूल राशि<br>ii) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए उपरोक्त निवेश पर अर्जित ब्याज</td><td>69,00,000<br>2,37,619</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>71,37,169</td></tr>
<tr><td>शेष</td><td></td><td>4,27,98,561</td></tr>
<tr><td>जोड़ना</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>वित्त वर्ष 2021–22 के लिए निवेश पर अर्जित ब्याज</td><td></td><td>3,85,666</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>4,31,84,227</td></tr>
</table>
उपार्जित ब्याज पर लेखा परीक्षा बिंदु के साथ–साथ आगे अनुपालन के लिए विधिवत नोट की गई निवेश की परिपक्वता राशि।<br><br>उपरोक्त स्पष्टीकरण के संबंध में पैरा को कृपया हटाया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>7. राजविअ ने ₹ 72.69 लाख (₹ 69,00,000 – मूलधन ₹ 3,68,891 – ब्याज) की निवेश राशि और उस पर ₹ 3.68 लाख की ब्याज आय के साथ सरकारी प्रतिभूति की निवेश राशि जोड़ी है। मूल राशि को आय के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसे ठीक करने की जरूरत है। (राजविअ–दिल्ली)।</td><td>7. गलती से ब्याज के बदले 69.00 लाख रुपये की मूल राशि दिखाई गई। लेखा परीक्षा का अवलोकन भविष्य के मार्गदर्शन के लिए नोट किया जाता है।</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | |
| **ग. सहायता अनुदान**<br><br>राजविअ को 2021–22 के दौरान ₹ 59.87 करोड़ की कुल अनुदान सहायता प्राप्त हुई, इसमें पिछले वर्ष ₹ 4.37 करोड़ का प्रारंभिक शेष था क्योंकि अव्ययित अनुदान परामर्श शुल्क से चालू वर्ष की अपनी आय ₹ 14.27 करोड़ थी। ₹ 78.51 करोड़ की निधि में से, राजविअ ने ₹ 11.15 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदानों को छोड़कर ₹ 67.3 करोड़ का उपयोग किया।<br>कार्यवाही पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाता खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं। | यह तथ्य का कथन है। |
| **घ. प्रबंधन पत्र**<br><br>जिन कमियों को पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से संगठन के ध्यान में लाया गया है। | |
| v) हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पढ़े गए उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामले और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।<br><br>क. जहां तक यह 31 मार्च 2022 को राजविअ की स्थिति की तुलन पत्र से संबंधित है और<br><br>ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष आय और व्यय खाते से संबंधित है। | यह लेखा परीक्षा द्वारा दिया गया वक्तव्य है, उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं है। |
| **अनुलग्नक** | |
| **1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तताः** | |

| | |
|---|---|
| i) कोई पृथक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं है लेकिन मुख्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के पी.आर.ए.ओ. द्वारा की जाती है। तथापि, राजविअ के क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा राजविअ के निदेशक (वित्त) द्वारा वित्त शाखा के मौजूदा कर्मचारियों के साथ की जाती है। ग्वालियर (सर्किल), बैंगलोर और झांसी (प्रभाग) का आंतरिक लेखा परीक्षा 2021–22 तक किया गया है और शेष क्षेत्रीय/सर्किल कार्यालयों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं किया गया।<br><br>ii) तथापि, राजविअ मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा राजविअ सर्किल कार्यालय भुवनेश्वर की आंतरिक लेखा परीक्षा पांच वर्षों के लिए बकाया थी। इससे पहले फरवरी 2017 में 2016–17 की अवधि के लिए यह आयोजन किया गया था।<br>iii) राजविअ अन्वेषण प्रभाग लखनऊ का आंतरिक लेखा परीक्षा दो साल से बकाया था। राजविअ अन्वेषण प्रभाग लखनऊ का आंतरिक लेखा परीक्षा अगस्त 2022 में किया गया था। 2020–21 और 2021–22 की अवधि के लिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं किया गया था। | i) यह तथ्य का कथन है।<br><br>ii) भुवनेश्वर सर्किल की आंतरिक लेखा परीक्षा वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान की गई है।<br><br>iii) वर्ष 2022–23 के दौरान अन्वेषण प्रभाग लखनऊ और मुख्य अभियंता (उ) कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की गई है। |
| 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तताः<br><br>i) दीर्घावधि अग्रिमों के लिए ब्रॉडशीट्स राजविअ के प्रधान कार्यालय में नहीं रखी गई थीं, जिसके अभाव में लेखा परीक्षा वार्षिक खातों में परिलक्षित दीर्घकालिक अग्रिमों की राशि की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकी। | i) इसे तैयार किया जाएगा और अगले लेखा परीक्षा में रखा जाएगा। |
| 2. राजविअ के मुख्यालय के मामले में अन्य ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए प्रावधान नहीं किया गया था, जो लंबे समय से वसूली के लिए लंबित था। | ii) भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया।<br><br>iii) इसे तैयार किया जाएगा और अगले लेखा परीक्षा में रखा |
| 3) जीएफआर–22 (लखनऊ) के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। | iii) इसे तैयार किया जाएगा और अगले लेखा परीक्षा में रखा जाएगा। |
| iv) शासी निकाय की 69वीं बैठक 24.08.2020 को आयोजित की गई | iv) यह तथ्य का कथन है। |
| v) राजविअ, (अन्वेषण प्रभाग) लखनऊ में जीएफआर–22 के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। | v) इसे तैयार किया जाएगा और अगले लेखा परीक्षा में रखा जाएगा! |
| **3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणालीः** | |

| | |
|---|---|
| राजविअ (मुख्यालय), नई दिल्ली के भवन, फर्नीचर और जुड़नार, संयंत्र और मशीनरी, वाहन और कंप्यूटर और सहायक उपकरण जैसी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2021 तक किया गया।<br><br>प्रभागों और सर्किल कार्यालय (राजविअ कोलकाता और भुवनेश्वर) की अचल संपत्तियों और स्टोरों और पुर्जों का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2021–22 तक किया गया था। अद्वितीय पहचान संख्या, प्रत्येक संपत्ति के लिए चिह्नित है। तथापि, इसका उल्लेख न तो पीवी रिपोर्ट में किया गया था और न ही परिसंपत्ति रजिस्टर में। | **यह तथ्य का कथन है।**<br><br>**भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया।** |
| 4. सूचीपत्र के भौतिक सत्यापन की प्रणालीः<br>2021–22 तक लेखन सामग्री, पुस्तकों और प्रकाशनों और उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया है। | **यह तथ्य का कथन है।** |
| 5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितताः<br>खातों के अनुसार, किसी भी इकाई में 31.03. 2022 तक वैधानिक बकाया के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था। | **यह तथ्य का कथन है।** |
| **प्रबंधन पत्र** | |
| राजविअ ने ₹ 177.42 लाख की अचल संपत्ति खरीदी, लेकिन पूंजीगत निधि में 176.87 लाख रुपये की वृद्धि हुई। अंतर को कम किया जा सकता है। | 1. अंतर राजविअ के अन्य प्रभाग से अन्वेषण प्रभाग वलसाड और अन्वेषण प्रभाग, नासिक द्वारा प्राप्त ₹ 55,525 की संपत्ति के कारण है। इसका ब्यौरा इस प्रकार हैः–<br>1 \| अन्वेषण प्रभाग वलसाड– मोटर वाहन की रसीद \| ₹ 48,298<br>2 \| अन्वेषण प्रभाग, नासिक उपकरण और संयंत्र की प्राप्ति \| ₹ 7,227<br>\| कुल \| ₹ 55]525<br>वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान संपत्ति की वास्तविक खरीद ₹ 176.87 लाख है जिसे अनुसूची–1 समग्रध्पूंजीगत निधि में दर्शाया गया है।<br>इसके अलावा, स्तम्भ –3 अनुसूची –8 में अचल संपत्ति का विवरण दिखाया गया है और जिसमें एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में संपत्ति हस्तांतरण शामिल है। तदनुसार, वर्ष के दौरान कुल परिसंपत्ति मूल्य 177.42 लाख रुपये (₹ 176.87 + ₹ 0.55) दिखाया गया है। |

| | |
|---|---|
| | यह अंतर अनुचित खाता समायोजन के कारण है।<br><br>भविष्य के अनुपालन के लिए भी यही नोट किया गया है। |
| राजविअ ने मरम्मत और रखरखाव के लिए विभिन्न अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए ₹ 3,300 के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं किया, जो मार्च 2022 से संबंधित है , लेकिन अप्रैल 2022 में भुगतान किया गया था। भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। | 2. भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया। भविष्य में इस प्रकार के व्यय के लिए प्रावधान किया जाएगा। |
| वर्तमान परिसंपत्तियों में 13.94 लाख रुपये (पीवाई ₹ 13.94 लाख) की मार्गस्थ नकदी शामिल है , जिसे 31.03.2021 को राजविअ झांसी से नई दिल्ली में राजविअ मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। यद्यपि यह राशि संबंधित टीएसए खातों से डेबिट की गई थी, लेकिन टीएसए में तकनीकी कारणों से इसे मुख्यालय के एसबीआई खाते में जमा नहीं किया गया था और यह धनराशि पीए, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग , जल शक्ति मंत्रालय को वापस कर दी गई थी। इसके बाद, राजविअ मुख्यालय ने अप्रैल, 2021 के पहले पखवाड़े के व्यय को चुकाने के लिए राजविअ के टीएसए को यह राशि जारी करने की कोशिश की, लेकिन इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका और इस राशि को अभी भी ट्रांजिट नकदी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। चूंकि तकनीकी कारणों से लौटाए गए अनुदान की भरपाई नहीं की जा सकी, इसलिए इसे ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए था। | 3. चालू वर्ष में ट्रांजिट खाते में नकदी को सामान्य प्रविष्टि पास करके समायोजित किया जाएगा।<br>पूंजीगत निधि<br>ट्रांजिट खाते में नकद |
| 4. उपर्युक्त में दो अधिकारियों के मामले में अवकाश वेतन के कारण ''प्राप्य दावे'' होने के कारण ₹ 18,029/– की राशि शामिल है। यह अवकाश वेतन तीन साल से अधिक समय से लंबित है और अभी भी वसूली योग्य है। अतः संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान किया जाना चाहिए था। | 4 यह राशि सरकारी कार्यालय से वसूल की जा सकती है और राजविअ इसकी वसूली के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। |
| 5 कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और कम्प्यूटर बाह्य उपकरणों के अंतर्गत दर्ज की गई कुल अंकित मूल्य ₹ 7.39 लाख की अचल परिसंपत्तियों का वर्ष के दौरान निपटान किया गया। संचित मूल्यह्रास को समायोजित करने के बाद, कुछ परिसंपत्तियों पर लाभ हुआ। इस प्रकार, परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ अर्जित करने के बाद कुल हानि केवल ₹ 27,664 थी, हालांकि, अनुसूची 21 में परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि ₹ 45,0754 बताई गई थी। इसमें सुधार | लेखा परीक्षा में कहा गया है कि लखनऊ प्रभाग की संपत्ति की बिक्री पर हानि ''वर्ष 2021–22 के दौरान मुख्य अभियंता (उ) द्वारा बट्टे खाते में डाली गई संपत्ति का विवरण'' शीर्षक के अंतर्गत लखनऊ के अंतिम खाते के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार ₹ 27,664 है। लेकिन अनुलग्नक में उल्लिखित आंकड़ा गलत है। यह या तो टाइपिंग त्रुटि या एक अतिरिक्त त्रुटि है। सही आंकड़ा ₹45,074 यानी ₹45,074 है।<br><br>इसलिए अनुसूची–18 में दिखाए गए परिसंपत्ति पर हानि सही है। |

| | |
|---|---|
| की जरूरत है। | |
| 6 ₹ 1,22,694 की राशि के सीपीएफ के बिना दावे के अंशदान को अनुसूची–7 के अंतर्गत बहुत पहले से शामिल किया जा रहा है। नोट्स टू अकाउंट में न तो अवधि की घोषणा और न ही इन राशियों के विवरण का उल्लेख किया गया है। इसमें सुधार की जरूरत है। | 6.. यह राशि लगभग 82 कर्मचारियों के सीपीएफ फंड में कर्मचारी अंशदान है, जिन्होंने अलग–अलग समय पर राजविअ से नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने कभी भी राजविअ से राशि का दावा नहीं किया है। हालांकि लेखा परीक्षा द्वारा वांछित के रूप में इस आशय का एक नोट भविष्य में नोट्स टू अकाउंट में दिया जाएगा। |
| 7 राजविअ ने अनुसूची–21– अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत पूर्व अवधि व्यय के प्रावधान किए थे किन्तु इन राशियों के प्रकटीकरण का उल्लेख लेखा–पत्र में नहीं किया गया है। इसे ठीक किया जाना चाहिए। | 7 भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया। इसका उल्लेख नोट्स टू अकाउंट में किया जाएगा। |
| 8 वार्षिक खातों की अनुक्रमण तैयार नहीं की गई थी जिसे अगले वर्ष ठीक किया जा सकता है। | 8. भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया। |
| 9 राजविअ, झांसी और लखनऊ ने महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची–24)' और लेखाओं पर आकस्मिक देयताएं और टिप्पणियां (अनुसूची–25)' तैयार नहीं की थीं, जिन्हें आगामी वर्ष से तैयार किया जा सकता है। | 9. भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया। |
| 10 सकल ब्लॉक, मूल्यह्रास आदि के पिछले वर्ष के आंकड़े अनुसूची 8 की धारा क में प्रदर्शित नहीं किए गए थे, जैसा कि केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के एक समान प्रारूप में अपेक्षित है। इसके परिणामस्वरूप तुलना आदि के लिए तदनुरूपी आंकड़ों की उपलब्धता नहीं हुई। इसे अगले साल से सुधारने की जरूरत है। | 10. भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया। |
| 11.राजविअ–झांसी में वेतन और अन्य मदों के बकाया व्यय के लिए 1199 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसे अनुसूची 7 की धारा ख में प्रदर्शित नहीं किया गया था जैसा कि केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के समान प्रारूप में अपेक्षित है। इसे आगामी वर्ष में सही ढंग से चित्रित करने की आवश्यकता है। | 11. ये देयताओं चालू वर्ष से संबंधित हैं। इसलिए, इसे अनुसूची–7 की धारा–क के अंतर्गत वर्तमान देयताओं के रूप में दर्शाया गया है।<br>हालांकि, लेखा परीक्षा का अवलोकन भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया जाता है। |
| 12 वर्ष 2021–22 के लिए राजविअ (अन्वेषण प्रभाग), झांसी के आय और व्यय खाते की जांच से कुछ टाइपोग्राफिकल त्रुटि का पता चला जैसे समग्र निधि को हस्तांतरित शेष आंकड़े में (–) का उपयोग, हालांकि यह अधिशेष था, (ए–बी) के बजाय शब्दावली (बी–ए) का उपयोग आदि भविष्य में इनसे बचा जाना चाहिए।<br><br>इसी प्रकार, खातों में ''कोंटीनेंट देनदारियों और लेखाओं पर नोट्स'' के बजाय '' आकस्मिक देयताओं और लेखा पर नोट्स'' शब्दावली का उपयोग किया जाता है। यह राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), मुख्यालय नई दिल्ली की पिछले वर्ष मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट में भी दर्शाया | 12. भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया जाता है इस तरह की गलती से भविष्य में बचा जाएगा । |

| | |
|---|---|
| गया था। अतः इसमें सुधार की जरूरत है। | |
| 13. वर्ष 2021–22 के आय एवं व्यय खाते में राजविअ झांसी ने 2021–22 के बजाय चालू वर्ष के लिए वर्ष 2021–22 का उल्लेख किया है। इसे ठीक किया जा सकता है। इसी तरह, प्राप्ति और भुगतान खाते के साथ आय और व्यय खाते के सामंजस्य में, राजविअ, झांसी ने '2021–22 के लिए बकाया वेतन' के बजाय '2021–22के लिए बकाया वेतन' का उल्लेख किया। लेखा परीक्षा की सूचना के अंतर्गत इसे ठीक किया जा सकता है। | 13. भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया जाता है इस तरह की गलती से भविष्य में बचा जाएगा। |
| 14. राजविअ–लखनऊ में वेतन और अन्य मदों के बकाया व्यय के लिए 2437 लाख रुपए के प्रावधान किए गए थे, लेकिन इसे अनुसूची 7 की धारा ख में प्रदर्शित नहीं किया गया था जैसा कि केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के समान प्रारूप में अपेक्षित है। इसके लिए अगले वित्तीय वर्षों में सही रूप से दर्शाने की जरूरत है। | 14. ये देयताओं चालू वर्ष से संबंधित हैं। इसलिए, इसे अनुसूची–7 की धारा–क के अंतर्गत वर्तमान देयताओं के रूप में दर्शाया गया है।<br>हालांकि, लेखा परीक्षा का अवलोकन भविष्य के मार्गदर्शन के लिए नोट किया गया है। |
| 15. राजविअ–कोलकाता और भुवनेश्वर में, कार्य पूरा होने के बाद ईएमडीध्एसडी वापसी योग्य राशि है। मैसर्स स्वैन एसोसिएट, भुवनेश्वर से धरोहर राशि जमा (ईएमडी)/प्रतिभूति जमा (प्रतिभूति जमा) के रूप में 038 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसने 19 मार्च 2019 को उन्हें दिए गए कार्य को पूरा किया। काम पूरा होने के बाद, ठेकेदार ने प्रतिभूति जमा के साथ 10% जारी करने का अनुरोध किया। उपर्युक्त ईएमडी/प्रतिभूति जमा कार्य पूरा होने के बाद जारी की आवश्यकता है। | अधि. अभि., अ. प्रऋ, भुवनेश्वर द्वारा ईएमडी की वापसी के लिए मेसर्स स्वेन एंड एसोसिएट्स, भुवनेश्वर को 20-08-2022 के चेक नंबर 884229 के माध्यम से वाउचर नंबर जी–108 दिनांक 20-08-2022 के माध्यम से 38000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। |
| 16 राजविअ झांसी में, वित्तीय वर्ष 2021–22 से संबंधित सरकारी शेयरों के एनपीएस के लिए ₹ 70,416 की राशि जिसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों के साथ–साथ आय और व्यय खाते को ₹ 70,416 तक कम करके दिखाया गया है। | 16. भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया। भविष्य में इस प्रकार के व्यय को वर्तमान देनदारियों के रूप में माना जाएगा। |
| 17. राजविअ झांसी में, खातों के एक समान प्रारूप में अचल परिसंपत्तियों संख्या 6.3 के मूल्यह्रास के संबंध में महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, ₹5000 या उससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों को पूरी तरह से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। तथापि, राजविअ झांसी ने 15% प्रति वर्ष की दर से 6800 रुपए (प्रत्येक 1700 रुपए) के 4 सीलिंग फैन 1200 एमएम पर परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का अधिक ब्यौरा दिया गया है और मूल्यह्रास को 6290 रुपये (6800–510) कम करके आंकलित किया गया है। | 17. भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया। यह चालू वर्ष में किया जाएगा और अगले लेखा परीक्षा में रखा जाएगा। |
| 18 राजविअ लखनऊ में, वर्तमान परिसंपत्तियों में | 18. यह राशि सरकारी कार्यालय से वसूल की जा |

| | |
|---|---|
| ₹ 77,723 की राशि शामिल है जो पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ कर्मचारियों को टीटीए अग्रिमों के लिए प्राप्य राशि है और पांच साल से अधिक के लिए बकाया अग्रिमों का भुगतान करती है। इसके परिणामस्वरूप संदिग्ध अग्रिम के प्रावधान को कम करके आंकलित किया गया है और 77,723 रुपये की सीमा तक वर्तमान परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया है। | सकती है और राजविअ इसकी वसूली के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,
## (जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
## जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)

## महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

## (अनुसूची क्रमांक 24)

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण योजना व्यय के अंतर्गत आती है।

2. अर्धवार्षिक आधार पर वर्ष के दौरान खरीदी गई/जोड़ी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। (30 सितंबर, 2021 तक अर्जित परिसंपत्तियों के लिए पूर्ण वर्ष का मूल्यह्रास और 30 सितंबर, 2021 के बाद अधिग्रहित परिसंपत्तियों के लिए छमाही मूल्यह्रास)।

3. परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लिखित मूल्य विधि के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया है।

| | |
|---|---|
| क) भवन | 10% |
| ख) फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग | 10% |
| ग) कार्यालय उपकरण | 15% |
| घ) उपकरण और संयंत्र | 15% |
| ड) वाहन | 15% |
| च) तकनीकी पुस्तकें | 15% |
| छ) कंप्यूटर/बाह्य उपकरण | 40% |

ज) सॉफ्टवेयर आनुपातिक जीवन आधार ———

4. मार्च 2022 से संबंधित वेतन और किराया और अन्य खर्चे खातों में प्रदान किए गए हैं और वर्तमान देयताएं (अनुसूची –7) के अंतर्गत बकाया व्यय के रूप में दिखाए गए हैं।
5. अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान के संबंध में जीएफआर 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

6. राजविअ पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित है।

7. एमएसीपी योजना को अपनाने पर वित्तीय निहितार्थ राजविअ के मौजूदा बजट के भीतर पूरा किया जाएगा।

8. आईडब्ल्यूडब्ल्यू के अलग खातों को तैयार किया गया है और राजविअ खातों के साथ संलग्न किया गया है।

9. राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

10. वार्षिक लेखा सीजीए द्वारा प्रदान किए गए प्रोफार्मा की मूल बातों पर तैयार किए जाते हैं।

11. इन्वेंट्री मूल्यांकन – लागू नहीं।
12. विदेशी मुद्रा लेनदेन।

13. जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान निधि में योगदान रोक दिया गया है और वास्तविकता के आधार पर प्रदान किए गए वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक मूल्यांकन 48.91 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

खातों पर आकस्मिक देनदारियां और नोट्स
(अनुसूची क्रमांक 25)

2021–22

| | |
|---|---|
| 1. आकस्मिक देयता | ऐसी कोई देयता नहीं |
| 2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं | लागू नहीं |
| 3. पट्टा दायित्व | शून्य |
| 4. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम | अनुसूची –11 |
| 5. आय कर –अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान | लागू नहीं है |
| 6. विदेशी मुद्रा का लेनदेन | शून्य |

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31 मार्च, 2022 को समेकित तुलन पत्र

| विवरण | अनुसूची | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| **पूंजीगत निधि तथा देयताएं** | | | |
| समग्र / पूंजीगत निधि | 1 | 212542776.00 | 192605314.00 |
| आरक्षित तथा अधिशेष | 2 | 0.00 | 0.00 |
| विशेष प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट / विन्यास निधि | 3 | 0.00 | 180745457.00 |
| सुरक्षित ऋण तथा उधार | 4 | 0.00 | 0.00 |
| असुरक्षित ऋण तथा उधार | 5 | 0.00 | 0.00 |
| आस्थगित जमा देयताएं | 6 | 0.00 | 0.00 |
| वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान | 7 | 620679633.00 | 114790396.00 |
| अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियां प्राप्त करना | 7 | 0.00 | 22585579.00 |
| **कुल** | | **833222409.00** | **510726746.00** |
| | | | |
| **परिसंपत्तियां** | | | |
| निर्धारित / अक्षय निधि | 3 | 440733240.00 | 0.00 |
| नियत परिसंपत्तियां | 8 | 44305076.00 | 34825141.00 |
| निवेश–उद्दिष्ट / विन्यास निधियों | 9 | 8567409.00 | 140962568.00 |
| निवेश–अन्य | 10 | 0.00 | 0.00 |
| चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 11 | 339616684.00 | 312319981.00 |
| विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित नहीं करने की सीमा तक) | | | |
| अन्य सर्किलों को परिसंपत्तियों का स्थानांतरण | 11 | 0.00 | 22619056.00 |
| **कुल** | | **833222409.00** | **510726746.00** |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियां | | | |
| आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां | | | |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## वर्ष 2021–2022 के लिए समेकित आय तथा व्यय लेखा

राशि रूपये में

| आय | भुगतान | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| बिक्री/सेवाओं से आय | 12 | 142721395 | 92582000 |
| अनुदान/सहायिकी | 13 | 503825060 | 643372286 |
| प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान व सहायिकी शुल्क/सब्सक्रिप्शन | 14 | 0 | 0 |
| निवेश से आय (उद्दिष्ट/विन्यास में निवेश से आय, निधि में अंतरित निधि) | 15 | 0 | 0 |
| रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय | 16 | 0 | 0 |
| उद्भूत ब्याज | 17 | 4564573 | 6505559.0 |
| अन्य आय | 18 | 19681031 | 104533 |
| तैयार माल, प्रगति पर कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/कमी | 19 | 0 | 0 |
| **कुल (क)** | | 670792059 | 742564378 |
| **व्यय** | | | |
| स्थापना व्यय | 20 | 413707907 | 447707176 |
| पूर्व अवधि व्यय (स्थापना व्यय) | 20 | 3065368 | 0 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 21 | 68211387 | 62977258 |
| पूर्व अवधि व्यय (अन्य प्रशासनिक व्यय) | 21 | 950446 | 0 |
| निर्माण कार्य | 21 | 171650059 | 194594076 |
| पूर्व अवधि व्यय (निर्माण कार्य) | 21 | 2978989 | 0 |
| टास्क फोर्स/विशेष प्रकोष्ठ–आईएलआर | 21 | 0 | 0 |
| अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय | 22 | 0 | 0 |
| ब्याज | 23 | 0 | 0 |
| मूल्यह्रास | 8 | 7991868.00 | 6716716 |
| कुल | | 668556024.00 | 711995226 |

| | | |
|---|---|---|
| व्यय से अधिक आय का शेष होना (क–ख) | 2236035 | |
| विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें) | | 30569152 |
| जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण | 2236035.00 | 30569152 |
| अधिशेष जमा को कॉर्पस/पूंजीगत निधि में ले जाया गया | | |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियां | | |
| आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां | | |

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
### वर्ष 2021–22 के लिए समेकित प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

(राशि रूपये में)

| प्राप्तियां | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | व्यय | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. **आदि शेष** | | | क. स्थापना व्यय | | |
| क. रोकड़ शेष | 1.00 | | (अनुसूची 20क के तद्नुरूप) | 412722545.00 | |
| ख. बैंक शेष | | | ख. प्रशासनिक व्यय | | |
| 1 चालू खातो में | 75049.00 | | (अनुसूची 21क के तद्नुरूप) | 69090126.00 | |
| 2 बचत खातो में | 21332315.00 | | | | |
| i. राजविअ सामान्य अनुदान सहायिकी | 4411279.00 | | **II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए निवेश के लिए भुगतान** | | |
| ii. राजविअ मुख्य खाता एस बी आई | 85519734.00 | | लिंक नहर परियोजना | 163432720.00 | |
| iii. राजविअ परामर्श शुल्क एस बी आई | 118819585.00 | | परामर्श शुल्क के लिए दिये गए अग्रिम | 0.00 | |
| ग. डाक टिकट शेष | 15771.00 | | | | |
| घ. सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि | 39782889.00 | | **III. जमा तथा निवेश** | | |
| ड. पारगमन में नकदी | 5731505.00 | | क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि से | 0.00 | |
| **2. प्राप्त अनुदान** | | | ख. अपने निवेशों से (निवेश–अन्य) | 8567409.00 | |
| क. भारत सरकार से | 598700000.00 | | सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि–एफ.डी.आर. | | |
| ख. वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी | 0.00 | | | | |
| ग. राज्य सरकार से | 0.00 | | **IV. नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय** | | |
| घ. ग्रांट (आई. ओ. आर. ए.) | 0.00 | | क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय | 10309947.00 | |
| **3. निवेश पर आय** | | | ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय | 0.00 | |
| क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि | 0.00 | | ग. जल मंथन | 0.00 | |
| ख. अपनी निधि (निवेश पर) | 0.00 | | **V. ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी** | | |
| ग. एफडीआर परिपक्वता | 0.00 | | 7वा वाईब्रैंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शिनी 2015 – ज.सं.मं. | 0.00 | |
| **4. प्राप्त ब्याज** | | | **VI. वित्तीय अधिभार (ब्याज)** | 0.00 | |
| क. बैंक जमाओं पर | 1154564.00 | | | | |
| ख. सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि | 908553.00 | | **VII. अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)** | | |
| ग. ऋण तथा अग्रिम आदि | 299712.00 | | सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि | 152344084.00 | |
| घ. अग्रिम पर ब्याज | 0.00 | | सुरक्षा जमा/ई.एम.डी. | 20000.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ड. मार्गस्थ सीपीएफ प्रतिपूर्ति | 0.00 | | कर्मचारियों को अग्रिम | 997034.00 | |
| च. एफडीआर पर ब्याज | 4240471.00 | | अन्य को अग्रिम | 426003.00 | |
| छ. परामर्श पर ब्याज | 4406542.00 | | पुराने चेक | 0.00 | |
| ज. स्वीप खाते पर ब्याज | 14883850.00 | | अन्य को अग्रिम/अतिरिक्त. अग्रिमों की वापसी | 0.00 | |
| **5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)** | | | परामर्शी सेवाओं के लिए अग्रिम | 0.00 | |
| एनपीएस | 0.00 | | प्रेषणा/धरोहर जमा | 0.00 | |
| सीपीएफ | 0.00 | | टी डी एस | 18203.00 | |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्तियां | 141199.00 | | सी.पी.एफ. | 17623161.00 | |
| विविध प्राप्तियां | 74687.00 | | जी एस एल आई एस | 180746.00 | |
| नोटिस अवधि की राशि की वसूली | 41202.00 | | एनपीएस | 192646.00 | |
| अनुपयोगी संपत्तियों की बिक्री | 113331.00 | | निष्पादन गारंटी | 10000.00 | |
| परामर्श आय | 99990602.00 | | एस.बी. खाते से सी.एफ.आई. में ब्याज स्थानांतरण | 23996.00 | |
| **6. उधार ली गई राशि** | | | ग्रांट रिर्टन लैप्स (वेतन खाता) | 22152827.00 | |
| **7. कोई अन्य पावती (विवरण दें)** | | | ग्रांट रिर्टन लैप्स (सामान्य खाता) | 7582734.00 | |
| प्राप्त एल एस व पी सी | 0.00 | | वाहन स्थांतरण की बिक्री आगे बढ़ी | 29500.00 | |
| वसूली योग्य दावे | 0.00 | | **VIII. अंतिम शेष** | | |
| ऋण अग्रिम पर वसूली | 0.00 | | | | |
| कर्मचारियों से | 1159003.00 | | सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि | 39866838.00 | |
| अन्यों से | 200000.00 | | एफडीआर | 0.00 | |
| प्रेषणा | 0.00 | | क. रोकड़ शेष | 1.00 | |
| कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय राहत | 0.00 | | ख. बैंक शेष | | |
| एस जी एस टी | 0.00 | | i. बचत खाते/चालू खाते (वेतन खाता) | 35422154.00 | |
| सी जी एस टी | 0.00 | | ii. बचत खाते/चालू खाते (सामान्य खाता) | 20630425.00 | |
| एन पी एस | 0.00 | | ii) मार्गस्थ नकद | 1448206.00 | |
| प्राप्त छुट्टी वेतन | 0.00 | | (iii) राजविअ परामर्श शुल्क एसबीआई | 180420229.00 | |
| अग्रिम राशि जमा | 365114.00 | | ग. डाक शेष | 16427.00 | |
| टेलिफोन प्राप्य | 0.00 | | घ. मार्गस्थ ड्राफ्ट | 0.00 | |
| निष्पादन गारंटी जमा की धरोहर राशि | 53833.00 | | | | |
| एफडीआर परिपक्वता | 140962568.00 | | | | |
| प्राप्य टी टी ए अग्रिम | 0.00 | | | | |
| सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्यूटी निधि लेखा | 0.00 | | | | |
| भारत जल सप्ताह | 0.00 | | | | |
| प्राप्त टी टी ए अग्रिम | 0.00 | | | | |
| कबाड़/निविदा प्रपत्र की बिक्री | 1602.00 | | | | |
| भुगतान योग्य अं.भ.नि. | 0.00 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| भुगतान योग्य जी एस एल आई एस | 0.00 | | | | |
| नोटिस अवधि वेतन | 0.00 | | | | |
| परियोजना रिपोर्ट कार्य | 0.00 | | | | |
| टी डी एस | 0.00 | | | | |
| आर्थिक हानि | 0.00 | | | | |
| त्यौहार अग्रिम | 143000.00 | | | | |
| कुल | **1143527961.00** | | कुल | **1143527961.00** | |

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलनपत्र

राशि रूपये में

| विवरण | अनुसूची | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **पूंजीगत निधि तथा देयताएं** | | | | | | | | | |
| समग्र निधि/पूंजीगत निधि | 1 | 188680557.00 | 3623065.00 | -1025917.00 | 15727257.00 | -750624.00 | 6288438.00 | 212542776.00 | 192605314.00 |
| | | | | | | | | | |
| आरक्षित तथा अधिशेष | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| उद्दिष्ट/विन्यास निधि | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180745457.00 |
| | | | | | | | | | |
| सुरक्षित ऋण तथा उधार | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| असुरक्षित ऋण तथा उधार | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| आस्थगित ऋण देयताएं | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान | 7 | 561230597.00 | 10026256.00 | 10659219.00 | 10682113.00 | 18075062.00 | 10006386.00 | 620679633.00 | 114790396.00 |
| | | | | | | | | | |
| अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियों की प्राप्ति | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22585579.00 |
| | | | | | | | | | |
| **कुल** | | **749911154.00** | **13649321.00** | **9633302.00** | **26409370.00** | **17324438.00** | **16294824.00** | **833222409.00** | **510726746.00** |
| परिसंपत्तियां | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| उद्दिष्ट/विन्यास निधि | 3 | 440733240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440733240.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| नियत परिसंपत्तियां | 8 | 20175788.00 | 4368200.00 | 3525534.00 | 5419512.00 | 5817261.00 | 4998781.00 | 44305076.00 | 34825141.00 |
| | | | | | | | | | |
| निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से | 9 | 8567409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8567409.00 | 140962568.00 |
| | | | | | | | | | |
| निवेश–अन्य | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 11 | 280434717.00 | 9281121.00 | 6107768.00 | 20989858.00 | 11507177.00 | 11296043.00 | 339616684.00 | 312319981.00 |
| | | | | | | | | | |
| विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| अन्य सर्किलों को परिसंपत्तियों का अंतरण | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22619056.00 |
| | | | | | | | | | |
| **कुल** | | **749911154.00** | **13649321.00** | **9633302.00** | **26409370.00** | **17324438.00** | **16294824.00** | **833222409.00** | **510726746.00** |
| | | | | | | | | | |

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## वर्ष 2021–22 के लिए सर्किलवार आय और व्यय खाता (आय)

राशि रूपये में

| विवरण | अनुसूची | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| विक्रय/सेवा से आय | 12 | 142721395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142721395.00 | 92582000.00 |
| अनुदान/सहायिकी | 13 | 100596212.00 | 98952013.00 | 58830640.00 | 61848351.00 | 125680254.00 | 57917590.00 | 503825060.00 | 643372286.00 |
| शुल्क/सब्सक्रिप्शन | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निवेश से आय (उद्दिष्ट/अक्षय निधियों | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| में निवेश से आय जो निधियों में अंतरित की | | | | | | | | 0.00 | |
| गई हो) | | | | | | | | 0.00 | |
| रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अर्जित ब्याज | 17 | 4550240.00 | 17970.00 | 0.00 | -8769.00 | 0.00 | 5132.00 | 4564573.00 | 6505559.00 |
| अन्य आय | 18 | 19422772.00 | 49471.00 | 123462.00 | 42147.00 | 38632.00 | 4547.00 | 19681031.00 | 104533.00 |
| तैयार माल के स्टॉक तथा निर्माणाधीन | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| माल और कार्यों में वृद्धि (कमी) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **कुल (क)** | | **267290619.00** | **99019454.00** | **58954102.00** | **61881729.00** | **125718886.00** | **57927269.00** | **670792059.00** | **742564378.00** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## वर्ष 2021–22 के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा (व्यय)

| विवरण | अनुसूची | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| स्थापना व्यय | 20 | 121442788.00 | 42966758.00 | 52365759.00 | 50442428.00 | 98440990.00 | 48049184.00 | 413707907.00 | 447707176.00 |
| पूर्व अवधि व्यय (स्थापन व्ययं) | 20 | 1809046.00 | 74043.00 | 104692.00 | 191137.00 | 886450.00 | 0.00 | 3065368.00 | 0.00 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय आदि | 21 | 23133549.00 | 5099287.00 | 4721692.00 | 6851524.00 | 21508340.00 | 6896995.00 | 68211387.00 | 62977258.00 |
| पूर्व अवधि व्यय (अन्य प्रशासनिक व्यय) | 21 | 295352.00 | 41431.00 | 203506.00 | 135873.00 | 235750.00 | 38534.00 | 950446.00 | 0.00 |
| निर्माण कार्य | 21 | 80130154.00 | 56216063.00 | 6393659.00 | 7073070.00 | 13840840.00 | 7996273.00 | 171650059.00 | 194594076.00 |
| पूर्व अवधि व्यय (निर्माण कार्य) | 21 | 720039.00 | 266165.00 | 371216.00 | 441708.00 | 715167.00 | 464694.00 | 2978989.00 | 0.00 |
| नदियों को जोड़ने पर टास्क फोर्स/विशेष प्रकोष्ठ | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| अनुदान,सहायिकी आदि पर व्यय | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ब्याज | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मूल्यह्रास | 8 | 3292169.00 | 777958.00 | 717337.00 | 1105291.00 | 1277944.00 | 821169.00 | 7991868.00 | 6716716.00 |
| **कुल (ख)** | | **230823097.00** | **105441705.00** | **64877861.00** | **66241031.00** | **136905481.00** | **64266849.00** | **668556024.00** | **711995226.00** |
| **व्यय पर आय की अधिकता** | | | | | | | | | |
| **व्यय (क–ख)** | | **36467522.00** | **-6422251.00** | **-5923759.00** | **-4359302.00** | **-11186595.00** | **-6339580.00** | **2236035.00** | **30569152.00** |
| विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक का विवरण दें) | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| सामान्य आरक्षित को/से अंतरण | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अधिकता के कारण शेष (कमी) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| समग्र निधि/पूंजीगत निधि को ले जाया गया | | **36467522.00** | **-6422251.00** | **-5923759.00** | **-4359302.00** | **-11186595.00** | **-6339580.00** | **2236035.00** | **30569152.00** |

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## वर्ष 2021–22 के लिए समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (प्राप्ति)

| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 आदि शेष** | | | | | | | | |
| क. रोकड़ शेष | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 631.00 |
| ख. बैंक शेष | | | | | | | | |
| i. चालू खातों में | 0.00 | 75049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75049.00 | 651897.00 |
| ii. बचत खातों में | 0.00 | 6025101.00 | 0.00 | 4780300.0 | 10526914.00 | 0.00 | 21332315.00 | 44016446.00 |
| (i) राजविअ सामान्य अनुदान सहायिकी | 3874454.00 | 0.00 | 36063.00 | 0.00 | 0.00 | 500762.00 | 4411279.00 | 28256216.00 |
| (ii) राजविअ मुख्य खाता एसबीआई (वेतन) | 77337093.00 | 0.00 | 3846229.00 | 0.00 | 0.00 | 4336412.00 | 85519734.00 | 131270827.00 |
| (iii) राजविअ परामर्श शुल्क एसबीआई | 118819585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118819585.00 | 0.00 |
| ग. डाक टिकट शेष | 688.00 | 2849.00 | 1812.00 | 4655.0 | 2636.00 | 3131.00 | 15771.00 | 21858.00 |
| घ. सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि | 39782889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39782889.00 | 73994420.00 |
| च. मार्गस्थ नकदी | 4283298.00 | 1393526.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 54680.00 | 5731505.00 | 0.00 |
| **2 प्राप्त अनुदान** | | | | | | | | |
| क. भारत सरकार से | 156833344.00 | 106552000.00 | 65440000.00 | 70047000.0 | 135261656.00 | 64566000.00 | 598700000.00 | 650103283.00 |
| ख. वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ग. राज्य सरकार से | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| घ. अनुदान (आईओरआरए) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3 निवेश से आय** | | | | | | | | |
| क. उद्दिष्ट/विन्यास निधि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ख. निजी निधि (अन्य निवेश) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ग. एफडीआर परिपक्वता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4 प्राप्त ब्याज** | | | | | | | | |
| क. बैंक जमाओं पर | 1019825.00 | 23996.00 | 17379.00 | 19565.0 | 36607.00 | 37192.00 | 1154564.00 | 5906632.00 |
| ख. सेवा निवृत्ति तथा अनुदान निधि | 908553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908553.00 | 2632499.00 |
| ग. ऋण तथा अग्रिमों आदि | 143698.00 | 58304.00 | 69809.00 | 0.00 | 22769.00 | 5132.00 | 299712.00 | 1415722.00 |
| घ. अग्रिमों पर ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7205.00 |
| च.सीपीएफ प्रतिपूर्ति मार्गस्थ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 |
| छ.एफडीआर पर ब्याज | 4240471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4240471.00 | 10589505.00 |
| ज.परामर्श पर ब्याज | 4406542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4406542.00 | 0.00 |
| झ. स्वीप खाते पर ब्याज | 14883850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14883850.00 | 0.00 |
| **5 अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)** | | | | | | | | |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्ति | 23750.00 | 32780.00 | 63669.00 | 0.00 | 0.00 | 21000.00 | 141199.00 | 143928.00 |
| विविध प्राप्तियां | 61428.00 | 2010.00 | 0.00 | 700.0 | 6742.00 | 3807.00 | 74687.00 | 44393.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नोटिस अवधि के वेतन की वसूली | 0.00 | 41202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41202.00 | 0.00 |
| अप्रयोज्य परिसंपत्तियों की बिक्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86666.0 | 26665.00 | 0.00 | 113331.00 | 38100.00 |
| परामर्श पर आय | 99990602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99990602.00 | 0.00 |
| **6 उधार लिया गया धन** | | | | | | | | |
| **कोई अन्य पावती (विवरण दें)** | | | | | | | | |
| प्राप्त एल एस व पी सी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4103.00 |
| प्राप्य दावे | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3396505.00 |
| कर्ज तथा अग्रिमों की /वसूली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330000.00 |
| कर्मचारियों से | 686508.00 | 273095.00 | 25000.00 | 174400.0 | 0.00 | 0.00 | 1159003.00 | 1103191.00 |
| अन्य से | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 16275.00 |
| प्रेषणा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय राहत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| एसजीएसटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सीजीएसटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| एन.पी.एस. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141311.00 |
| छुट्टी वेतन की प्राप्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22814.00 |
| धरोहर राशि/सुरक्षित जमा | 0.00 | 20860.00 | 0.00 | 342913.0 | 1341.00 | 0.00 | 365114.00 | 216803.00 |
| दूरभाष प्राप्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निष्पादन गारंटी जमा | 53833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53833.00 | 18089.00 |
| एफडीआर परिपक्वता | 140962568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140962568.00 | 170400000.00 |
| वसूली योग्य टी.डी.एस. अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10945.00 |
| सेवा निवृत्ति/ग्रेच्यूटी निधि खाता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भारत जल सप्ताह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| टीटीए अग्रिम वापसी योग्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| स्क्रैप/निविदा पेपर की बिक्री | 0.00 | 400.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 1602.00 | 10670.00 |
| सी.पी.एफ देय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जी.एस.एल.आई.एस. देय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1769413.00 |
| नोटिस अवधि वेतन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51030.00 |
| परियोजना रिपोर्ट कार्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70967200.00 |
| टी.डी.एस. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आर्थिक हानि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73095.00 |
| त्यौहार अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143000.00 | 0.00 | 143000.00 | 17000.00 |
| **कुल** | **668312980.00** | **114501172.00** | **69700423.00** | **75456199.00** | **146028331.00** | **69528856.00** | **1143527961.00** | **1197842006.00** |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्राल जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2021–22 में सर्किलवार प्राप्ति तथा भुगतान खाते (भुगतान)

| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I व्यय** | | | | | | | | |
| क. स्थापना व्यय | 120638118.00 | 42644103.00 | 51752146.00 | 50687528.00 | 99225713.00 | 47774937.00 | 412722545.00 | 450130581.00 |
| (अनुसूची 20ए के तदनुरूप) | | | | | | | | |
| ख. प्रशासनिक व्यय | 23269783.00 | 5078801.00 | 4771017.00 | 6924637.00 | 22210633.00 | 6835255.00 | 69090126.00 | 63123542.00 |
| (अनुसूची 21ए के तदनुरूप) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से किया गया भुगतान** | | | | | | | | |
| लिंक नहर परियोजना (परामर्श) | 67908450.00 | 57658140.00 | 6478714.00 | 9490240.00 | 13803750.00 | 8093426.00 | 163432720.00 | 174118877.00 |
| प्रभार के लिए अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| **III. किए गए जमा तथा निवेश** | | | | | | | | |
| क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि से | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ख. निजी निधि से (निवेश–अन्य) | 8567409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8567409.00 | 140962568.00 |
| सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि–एफ.डी.आर. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **IV. पूंजीगत कार्यों की प्रगति तथा नियत + क 43** | | | | | | | | |
| क. नियत परिसंपत्तियों की खरीद | 4484141.00 | 522383.00 | 967306.00 | 2299808.00 | 1245029.00 | 791280.00 | 10309947.00 | 6730998.00 |
| ख. बड़े कार्यों की प्रगति पर व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ग. जल मंथन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **V. दीर्घावधि अग्रिम तथा ब्याज की वापसी** | | | | | | | | |
| 7 वां वायब्रेंट गुजरात व्यापार प्रदर्शिनी–2015, ज.सं. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VII. अन्य भगतान (स्पष्ट करें)** | | | | | | | | |
| सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि | 152344084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152344084.00 | 76870967.00 |
| धरोहर जमा/ई एम डी | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 259463.00 |
| कर्मचारियों को अग्रिम | 0.00 | 70670.00 | 1000.00 | 93800.00 | 759500.00 | 72064.00 | 997034.00 | 918993.00 |
| अन्य अग्रिम | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 8769.00 | 383500.00 | 8734.00 | 426003.00 | 78903.00 |
| स्टेल चेक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य अग्रिम/अतिरिक्त की वापसी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36200.00 |
| परामर्श सेवाओं के लिए अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141876.00 |
| प्रेषणा/धरोहर राशि जमा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टी.डी.एस. | 18203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18203.00 | 581.00 |
| सी.पी.एफ. | 17623161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17623161.00 | 7738650.00 |
| जी.एस.एल.आई.एस | 180746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180746.00 | 1680.00 |
| एनपीएस | 192646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192646.00 | 0.00 |
| निष्पादन गारंटी | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 |
| सी.एफ.आई को एस.बी.खाते के हस्तातंरण पर ब्याज | 0.00 | 23996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23996.00 | 0.00 |
| ग्रांट रिर्टन लेप्स(वेतन खाता) | 19950301.00 | 1503184.00 | 72649.00 | 436840.00 | 124481.00 | 65372.00 | 22152827.00 | 0.00 |
| ग्रांट रिर्टन लेप्स (सामान्य खाता) | 6823932.00 | 317095.00 | 18030.00 | 280360.00 | 1.00 | 143316.00 | 7582734.00 | 0.00 |
| बिक्री से प्राप्त एम्बेस्डर कार का हस्तातंरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29500.00 | 0.00 | 0.00 | 29500.00 | 0.00 |
| **VIII. इति शेष** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| सेवानिवृति एवं ग्रेच्युटी निधि –बचत खाता | 39866838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39866838.00 | 39782889.00 |
| एफ.डी.आर. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| क. रोकड़ शेष | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ख. बैंक शेष | | | | | | | | |
| i. बचत खाते / चाल खाते में (वेतन खाता) | 9473524.00 | 4219402.00 | 4563805.00 | 4435061.00 | 7712500.00 | 5017862.00 | 35422154.00 | 104944871.00 |
| i. बचत खाते / चाल खाते में (सामान्य खाता) | 16525059.00 | 1037923.00 | 1074758.00 | 766145.00 | 558768.00 | 667772.00 | 20630425.00 | 6393506.00 |
| ii) नकद / मार्गस्थ | 0.00 | 1393526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54680.00 | 1448206.00 | 5731504.00 |
| (iii) राजविअ परामर्श शल्क एसबीआई | 180420229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180420229.00 | 118819585.00 |
| | | | | | | | | |
| ग) डाक शेष | 1355.00 | 1949.00 | 998.00 | 3511.00 | 4456.00 | 4158.00 | 16427.00 | 15771.00 |
| घ) मसौदा शेष | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल | **668312980.00** | **114501172.00** | **69700423.00** | **75456199.00** | **146028331.00** | **69528856.00** | **1143527961.00** | **1197842006.00** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

राशि रूपये मे

| अनुसूची–1–कॉर्पस/पूंजीगत निधि | | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कूल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | **वर्ष के शुरू में शेष** | 141293883.00 | 9581455.00 | 4937034.00 | 16512454.00 | 11385865.00 | 8894623.00 | 192605314.00 | 155505164.00 |
| जोड़ना | वर्ष के दौरान क्रय की गई परिसंपत्ति | 11860800.00 | 522383.00 | 967306.00 | 2299808.00 | 1245029.00 | 791280.00 | 17686606.00 | 6730998.00 |
| जोड़ना | अन्य प्रभाग से संपत्ति की प्राप्ति | 2851857.00 | 9673653.00 | 1973677.00 | 3175894.00 | 2119374.00 | 3903304.00 | 23697759.00 | 0.00 |
| घटाना | अन्य प्रभाग से संपत्ति का हस्तातंरण | -3793505.00 | -9732175.00 | -2980175.00 | -1901597.00 | -4314297.00 | -961189.00 | -23682938.00 | 0.00 |
| घटाना | सीपीएफ अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 |
| | **उप कूल (क)** | **152213035.00** | **10045316.00** | **4897842.00** | **20086559.00** | **10435971.00** | **12628018.00** | **210306741.00** | **162036162.00** |
| | | | | | | | | | |
| | जल संसाधन मंत्रालय को अंतरित परिसंपत्ति | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | पूंजी निवेश बट्टे खाते में डालना | | | | | | | | |
| जोड़ना/ घटाना | शुद्ध आय का कटौती शेष (व्यय) आय और व्यय खाते से स्थानांतरित | 36467522.00 | -6422251.00 | -5923759.00 | -4359302.00 | -11186595.00 | -6339580.00 | 2236035.00 | 30569151.00 |
| | आय और व्यय खाते से अंतरित | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **उप–कुल (ख)** | **36467522.00** | **-6422251.00** | **-5923759.00** | **-4359302.00** | **-11186595.00** | **-6339580.00** | **2236035.00** | **30569151.00** |
| **वर्ष के अंत में शेष** | | **188680557.00** | **3623065.00** | **-1025917.00** | **15727257.00** | **-750624.00** | **6288438.00** | **212542776.00** | **192605314.00** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

(राशि रूपये में)

| अनुसूची–3 : उद्दिष्ट/ विन्यास निधियां (सेवानिवृति एवं ग्रेच्युटी निधि) | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **क.निधियों का रोकड़ शेष** | 180745457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180745457.00 | 242069284.00 |
| (सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि) | | | | | | | | |
| बैंक बचत खाते | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| नियत जमाएं (एफ.डी.आर.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **ख.निधियों में जमा** | | | | | | | | |
| बैंक ब्याज : प्राप्त | 908553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908553.00 | 13222004.00 |
| पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त | 14883850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14883850.00 | 2325136.00 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त | 4240471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4240471.00 | 0.00 |
| **ग.घटा उपयोग/व्यय** | | | | | | | | |
| **घ.वर्ष के दौरान किए गए कम भुगतान** | 152344084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152344084.00 | 76870920.00 |
| **च.कम बिमांकिक उपदान एवं अवकाश नकदीकरण*** | 489167487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489167487.00 | 0.00 |
| घटा बैंक अधिभार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
| **कुल (क+ख –ग)** | **-440733240.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-440733240.00** | **180745457.00** |

***भारत सरकार से प्राप्त**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

**अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान**
**राशि रूपये मे**

| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क.वर्तमान देयताएं** | | | | | | | | |
| **अन्य. वर्तमान देयताएं** | | | | | | | | |
| बकाया व्यय : | | | | | | | | |
| वेतन तथा भत्ते | 9630031.00 | 3877921.00 | 4415172.00 | 3974133.00 | 7970488.00 | 3624214.00 | 33491959.00 | 31949089.00 |
| किराया, दर तथा कर | 0.00 | 174453.00 | 79809.00 | 253480.00 | 432729.00 | 220413.00 | 1160884.00 | 1937900.00 |
| प्रेषणा | 20429.00 | 0.00 | 12167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32596.00 | 32596.00 |
| सी.पी.एफ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6004044.00 |
| जी.एस.एल.आई.एस. | 1620970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620970.00 | 1801716.00 |
| एन.पी.एस. | 287756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287756.00 | 480402.00 |
| अन्य (एल.एस.पी.सी. प्राप्त) | 60809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60809.00 | 60809.00 |
| बयाना राशि और सुरक्षा जमा | 57000.00 | 206304.00 | 84883.00 | 744379.00 | 60000.00 | 26000.00 | 1178566.00 | 653333.00 |
| बकाया लेखापरीक्षा शुल्क | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62615.00 |
| निष्पादन गारंटी | 88367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98347.00 | 0.00 | 186714.00 | 44534.00 |
| ई.ई. का अग्रिम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6873.00 | 0.00 | 0.00 | 6873.00 | 6873.00 |
| टीटीए अग्रिम वापसी योग्य | 0.00 | 40334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40334.00 | 1146.00 |
| टी.डी.एस. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14579.00 |
| भारत की संचित निधि का खाता | 1019825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1019825.00 | 0.00 |
| परियोजना रिपोर्ट कार्य खाता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70967200.00 |
| एंबेसडर कार की बिक्री प्रक्रिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29500.00 |
| संपत्ति की प्राप्ति (सर्कल के बाहर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401466.00 |
| अन्य बकाया खर्च | 15939664.00 | 469919.00 | 427825.00 | 502042.00 | 1242230.00 | 450125.00 | 19031805.00 | 0.00 |
| अव्ययित/अप्रत्युक्त सहायता | 24978758.00 | 5257325.00 | 5551375.00 | 5181641.00 | 8211892.00 | 5648442.00 | 54829433.00 | 0.00 |
| सीएफआई को देय ब्याज | 0.00 | 0.00 | 87188.00 | 19565.00 | 59376.00 | 37192.00 | 203321.00 | 0.00 |
| वृत्ति कर | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| **उप कुल (क)** | **53703609.00** | **10026256.00** | **10659219.00** | **10682113.00** | **18075062.00** | **10006386.00** | **113152645.00** | **114447802.00** |
| **ख प्रावधान** | | | | | | | | |
| **एसजीएसटी** | 21297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21297.00 | 21297.00 |
| **सीजीएसटी** | 21297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21297.00 | 21297.00 |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

राशि रूपये में

**अनुसूची–8 : नियत परिसंपत्तियों का विवरण**

| | सकल ब्लॉक | मूल्यहास | | | निवल ब्लाक | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **वर्ष के प्रारम्भ में लागत/मूल्यांकन** | **वर्ष के दौरान जमा** | **वर्ष के दौरान कटौती** | **वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन** | **वर्ष के प्रारंभ में** | **वर्ष के दौरान जमा** | **वर्ष के दौरान कटौती** | **चालू वर्ष तक** | **चालू वर्ष के अंत तक** | **पूर्व वर्ष के अंत तक** |
| | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5(2+3-4) | 6 | 7 | 8 | 9(6+7-8) | 10(5-9) | 11(2-6) |
| क. नियत परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| भवन | 5825436. | 0.00 | 0.00 | 5825436.0 | 5699900.0 | 12554.00 | 0.00 | 5712454.00 | 112982.00 | 125536.00 |
| औजार एवं संयंत्र | 18892807. | 7227.00 | 324652.00 | 18575382.0 | 17776987.0 | 165146.00 | 295879.00 | 17646254.00 | 929128.00 | 1115820.00 |
| वाहन | 23570280. | 48298.00 | 1224453.00 | 22394125.0 | 14929960.0 | 1347692.00 | 1181680.00 | 15095972.00 | 7298153.00 | 8640320.00 |
| फर्नीचर तथा जुड़नार | 28270484. | 7965093.00 | 840936.00 | 35394641.0 | 14140310.0 | 1813109.00 | 701359.00 | 15252061.00 | 20142580.00 | 14130174.00 |
| कार्यालय उपस्कर | 14812808. | 2195861.00 | 446594.00 | 16562075.0 | 9637603.0 | 932243.00 | 401872.00 | 10167974.00 | 6394101.00 | 5175205.00 |
| कम्प्यूटर/अनुषंगी | 35973290. | 6840454.00 | 1869712.00 | 40944032.0 | 30336276.0 | 3662566.00 | 1855230.00 | 32143612.00 | 8800420.00 | 5637014.00 |
| तकनीकी पुस्तकें | 356888. | 0.00 | 0.00 | 356888.0 | 355831.0 | 446.00 | 0.00 | 356277.00 | 611.00 | 1057.00 |
| कैम्प उपस्कर | 4392. | 0.00 | 0.00 | 4392.0 | 4377.0 | 2.00 | 0.00 | 4379.00 | 13.00 | 15.00 |
| विद्युत स्थापना | 0.00 | 586064.00 | 0.00 | 586064.0 | 0.00 | 43955.00 | 0.00 | 43955.00 | 542109.00 | 0.00 |
| सोफ्टवेयर | 0.00 | 99134.00 | 0.00 | 99134.0 | 0.00 | 14155.00 | 0.00 | 14155.00 | 84979.00 | 0.00 |
| उप –कुल | **127706385.** | **17742131.00** | **4706347.00** | **140742169.0** | **92881244.0** | **7991868.00** | **4436020.00** | **96437093.00** | **44305076.00** | **34825141.00** |
| ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **उप कुल** | | | | | | | | | | |
| **कुल** | **127706385.** | **17742131.00** | **4706347.00** | **140742169.0** | **92881244.0** | **7991868.00** | **4436020.00** | **96437093.00** | **44305076.00** | **34825141.00** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–8 : नियत परिसंपत्तियों का विवरण (स्तंभ : 2 वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **मुख्यालय** | **ग्वालियर** | **भुवनेश्वर** | **वलसाड़** | **हैदराबाद** | **पटना** | **कुल** |
| क. नियत परिसंपत्तियां | | | | | | | |
| भवन | 5825436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5825436.00 |
| औजार एवं संयंत्र | 4708778.00 | 6178644.00 | 1054949.00 | 4154664.00 | 1743492.00 | 1052280.00 | 18892807.00 |
| वाहन | 4719079.00 | 4388860.00 | 3260134.00 | 2257612.00 | 5784102.00 | 3160493.00 | 23570280.00 |
| फर्नीचर, जोड़नार | 9658005.00 | 3577967.00 | 2949081.00 | 3033126.00 | 4094166.00 | 4958139.00 | 28270484.00 |
| कार्यालय उपस्कर | 4441942.00 | 2735597.00 | 626206.00 | 2201200.00 | 2679659.00 | 2128204.00 | 14812808.00 |
| कम्प्यूटर/उपकरण | 13986329.00 | 3576592.00 | 2122048.00 | 5779277.00 | 7211933.00 | 3297111.00 | 35973290.00 |
| तकनीकी पुस्तकें | 305650.00 | 14923.00 | 13724.00 | 3619.00 | 6371.00 | 12601.00 | 356888.00 |
| कैम्प उपस्कर | 0.00 | 4392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4392.0 |
| विद्युत स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सोफ्टवेयर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **उप –कुल** | **43645219.00** | **20476975.00** | **10026142.00** | **17429498.00** | **21519723.00** | **14608828.00** | **127706385.00** |
| **ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| **उप कुल** | | | | | | | |
| **कुल योग** | **43645219.00** | **20476975.00** | **10026142.00** | **17429498.00** | **21519723.00** | **14608828.00** | **127706385.00** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–8 : नियत परिसंपति विवरण (स्तंभ : 3 वर्ष के दौरान जमा) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | ळैदराबाद | पटना | कुल |
| **क.नियत परिसंपत्तियां** | | | | | | | |
| भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| औजार तथा संयंत्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7227.00 | 0.00 | 0.00 | 7227.00 |
| मोटर वाहन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48298.00 | 0.00 | 0.00 | 48298.00 |
| फर्नीचर तथा जुड़नार | 6634816.00 | 171728.00 | 191431.00 | 195977.00 | 434017.00 | 337124.00 | 7965093.00 |
| कार्यालय उपस्कर | 677844.00 | 92498.00 | 8190.00 | 1106320.00 | 311009.00 | 0.00 | 2195861.00 |
| कम्प्यूटर/अनुषंगी | 3862942.00 | 258157.00 | 767685.00 | 997511.00 | 500003.00 | 454156.00 | 6840454.00 |
| तकनीकी पुस्तकें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कैंप उपस्कर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| विद्युत स्थापना | 586064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586064.00 |
| सोफ्टवेयर | 99134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99134.00 |
| **उप कुल** | **11860800.00** | **522383.00** | **967306.00** | **2355333.00** | **1245029.00** | **791280.00** | **17742131.00** |
| **ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| **उप कुल** | | | | | | | |
| **कुल योग** | **11860800.00** | **522383.00** | **967306.00** | **2355333.00** | **1245029.00** | **791280.00** | **17742131.00** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

**अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 4 : वर्ष के दौरान कटौती)**

| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क.नियत परिसंपत्तियां** | | | | | | | |
| भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| औजार तथा संयंत्र | 0.00 | 600.00 | 108772.00 | 102400.00 | 112880.00 | 0.00 | 324652.00 |
| मोटर वाहन | 0.00 | 357149.00 | 394094.00 | 473210.00 | 0.00 | 0.00 | 1224453.00 |
| फर्नीचर तथा जुड़नार | 198748.00 | 34165.00 | 306922.00 | 54653.00 | 112253.00 | 134195.00 | 840936.00 |
| कार्यालय उपस्कर | 0.00 | 1799.00 | 73674.00 | 32950.00 | 67448.00 | 270723.00 | 446594.00 |
| कम्प्यूटर/अनुषंगी | 936672.00 | 84999.00 | 414602.00 | 99247.00 | 0.00 | 334192.00 | 1869712.00 |
| तकनीकी पुस्तकें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कैंप उपस्कर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| विद्युत स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सोफ्टवेयर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | **1135420.00** | **478712.00** | **1298064.00** | **762460.00** | **292581.00** | **739110.00** | **4706347.00** |
| **ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| **उप –कुल** | | | | | | | |
| **कुल** | **1135420.00** | **478712.00** | **1298064.00** | **762460.00** | **292581.00** | **739110.00** | **4706347.00** |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ – 5 – वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन)

राशि रूपये में

| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क.नियत परिसंपत्तियां** | | | | | | | |
| भवन | 5825436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5825436.00 |
| औजार तथा संयंत्र | 4708778.00 | 6178044.00 | 946177.00 | 4059491.00 | 1630612.00 | 1052280.00 | 18575382.00 |
| मोटर वाहन | 4719079.00 | 4031711.00 | 2866040.00 | 1832700.00 | 5784102.00 | 3160493.00 | 22394125.00 |
| फर्नीचर तथा जुड़नार | 16094073.00 | 3715530.00 | 2833590.00 | 3174450.00 | 4415930.00 | 5161068.00 | 35394641.00 |
| कार्यालय उपस्कर | 5119786.00 | 2826296.00 | 560722.00 | 3274570.00 | 2923220.00 | 1857481.00 | 16562075.00 |
| कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण | 16912599.00 | 3749750.00 | 2475131.00 | 6677541.00 | 7711936.00 | 3417075.00 | 40944032.00 |
| तकनीकी पुस्तकें | 305650.00 | 14923.00 | 13724.00 | 3619.00 | 6371.00 | 12601.00 | 356888.00 |
| कैंप उपस्कर | 0.00 | 4392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4392.00 |
| विद्युत स्थापना | 586064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586064.00 |
| सोफ्टवेयर | 99134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99134.00 |
| **उप कुल** | **54370599.00** | **20520646.00** | **9695384.00** | **19022371.00** | **22472171.00** | **14660998.00** | **140742169.00** |
| **ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| **उप –कुल** | | | | | | | |
| **कुल योग** | **54370599.00** | **20520646.00** | **9695384.00** | **19022371.00** | **22472171.00** | **14660998.00** | **140742169.00** |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 6 : वर्ष के आरंभ में ) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **मुख्यालय** | **ग्वालियर** | **भुवनेश्वर** | **वलसाड़** | **हैदराबाद** | **पटना** | **कुल** |
| **क.नियत परिसंपत्तियां** | | | | | | | |
| भवन | 5699900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5699900.0 |
| औजार तथा संयंत्र | 4624433.00 | 5933569.00 | 931243.00 | 3768976.00 | 1563395.00 | 95537 | 17776987.0 |
| मोटर वाहन | 2806676.00 | 2923210.00 | 2087729.00 | 1240362.00 | 3994859.00 | 187712 | 14929960.0 |
| फर्नीचर तथा जुड़नार | 3999717.00 | 1910075.00 | 1644461.00 | 1658190.00 | 2325729.00 | 260213 | 14140310.0 |
| कार्यालय उपस्कर | 2884344.00 | 1863349.00 | 222215.00 | 1603318.00 | 1739297.00 | 132508 | 9637603.0 |
| कम्प्यूटर/अनुषंगी | 11698323.00 | 3176791.00 | 1764047.00 | 4940350.00 | 6014909.00 | 274185 | 30336276.0 |
| तकनीकी पुस्तकें | 304730.00 | 14908.00 | 13706.00 | 3613.0 | 6360.0 | 1251 | 355831.0 |
| कैंप उपस्कर | 0.00 | 4377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4377.0 |
| विद्युत स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सोफ्टवेयर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **उप कुल** | **32018123.00** | **15826279.00** | **6663401.00** | **13214809.00** | **15644549.00** | **951408** | **92881244.0** |
| **ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| **उप –कुल** | | | | | | | |
| **कुल योग** | **32018123.00** | **15826279.00** | **6663401.00** | **13214809.00** | **15644549.00** | **951408** | **92881244.0** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 7 वर्ष के दौरान जमा पर) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल |
| क.नियत परिसंपत्तियां | | | | | | | |
| भवन | 12554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12554.00 |
| औजार तथा संयंत्र | 12652.00 | 36759.00 | 18395.00 | 56254.00 | 25548.00 | 15538.00 | 165146.00 |
| मोटर वाहन | 286860.00 | 217859.00 | 174334.00 | 193210.00 | 268387.00 | 207042.00 | 1347692.00 |
| फर्नीचर तथा जुड़नार | 896341.00 | 174013.00 | 134120.00 | 147920.00 | 209673.00 | 251042.00 | 1813109.00 |
| कार्यालय उपस्कर | 287747.00 | 137773.00 | 59645.00 | 172322.00 | 174443.00 | 100313.00 | 932243.00 |
| कम्प्यूटर/अनुषंगी | 1737537.00 | 211546.00 | 330836.00 | 535583.00 | 599888.00 | 247176.00 | 3662566.00 |
| तकनीकी पुस्तकें | 368.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 58.00 | 446.00 |
| कैंप उपस्कर | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| विद्युत स्थापना | 43955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43955.00 |
| सोफ्टवेयर | 14155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14155.00 |
| उप कुल | **3292169.00** | **777958.00** | **717337.00** | **1105291.00** | **1277944.00** | **821169.00** | **7991868.00** |
| ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| उप कुल | | | | | | | |
| कुल योग | **3292169.00** | **777958.00** | **717337.00** | **1105291.00** | **1277944.00** | **821169.00** | **7991868.00** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 8 : वर्ष में कटौती) | | | | | | | राशि रूपये में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **मुख्यालय** | **ग्वालियर** | **भुवनेश्वर** | **वलसाड़** | **हैदराबाद** | **पटना** | **कुल** |
| क.नियत परिसंपत्तियां | | | | | | | |
| भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| औजार तथा संयंत्र | 0.00 | 580.00 | 107697.00 | 84515.00 | 103087.00 | 0.00 | 295879.00 |
| मोटर वाहन | 0.00 | 343892.00 | 383914.00 | 453874.00 | 0.00 | 0.00 | 1181680.00 |
| फर्नीचर तथा जुड़नार | 184102.0 | 20541.00 | 247779.00 | 48977.00 | 98180.00 | 101780.00 | 701359.00 |
| कार्यालय उपस्कर | 0.00 | 1794.00 | 61022.00 | 30727.00 | 66316.00 | 242013.00 | 401872.00 |
| कम्प्यूटर/अनुषंगी | 931380.0 | 84984.00 | 410476.00 | 99148.00 | 0.00 | 329242.00 | 1855230.00 |
| तकनीकी पुस्तकें | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कैंप उपस्कर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| विद्युत स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सोफ्टवेयर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उप कुल | **1115482.0** | **451791.00** | **1210888.00** | **717241.00** | **267583.00** | **673035.00** | **4436020.00** |
| ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| उप कुल | | | | | | | |
| कुल योग | **1115482.0** | **451791.00** | **1210888.00** | **717241.00** | **267583.00** | **673035.00** | **4436020.00** |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 9 : वर्ष में ) | | | | | | | राशि रूपये में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल |
| क.नियत परिसंपत्तियां | | | | | | | |
| भवन | 5712454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5712454.00 |
| औजार तथा संयंत्र | 4637085.00 | 5969748.0 | 841941.00 | 3740715.00 | 1485856.0 | 970909.00 | 17646254.00 |
| मोटर वाहन | 3093536.00 | 2797177.0 | 1878149.00 | 979698.00 | 4263246.0 | 2084166.00 | 15095972.00 |
| फर्नीचर तथा जुड़नार | 4711957.00 | 2063547.0 | 1530802.00 | 1757133.00 | 2437222.0 | 2751400.00 | 15252061.00 |
| कार्यालय उपस्कर | 3172091.00 | 1999328.0 | 220838.00 | 1744913.00 | 1847424.0 | 1183380.00 | 10167974.00 |
| कम्प्यूटर/अनुषंगी | 12504480.00 | 3303353.0 | 1684407.00 | 5376785.00 | 6614797.0 | 2659790.00 | 32143612.00 |
| तकनीकी पुस्तकें | 305098.00 | 14914.0 | 13713.00 | 3615.00 | 6365. | 12572.0 | 356277.00 |
| कैंप उपस्कर | 0.00 | 4379.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4379.00 |
| विद्युत स्थापना | 43955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 43955.00 |
| सोफ्टवेयर | 14155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 14155.00 |
| उप कुल | **34194811.00** | **16152446.00** | **6169850.00** | **13602859.00** | **16654910.0** | **9662217.00** | **96437093.00** |
| ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| उप कुल | | | | | | | |
| कुल योग | **34194811.00** | **16152446.00** | **6169850.00** | **13602859.00** | **16654910.0** | **9662217.00** | **96437093.00** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 10 : चालू वर्ष की समाप्ति पर) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **मुख्यालय** | **ग्वालियर** | **भुवनेश्वर** | **वलसाड़** | **ळैदराबाद** | **पटना** | **कुल** |
| क.नियत परिसंपत्तियां | | | | | | | |
| भवन | 112982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112982.00 |
| औजार तथा संयंत्र | 71693.00 | 208296.00 | 104236.00 | 318776.00 | 144756.0 | 81371.0 | 929128.00 |
| मोटर वाहन | 1625543.00 | 1234534.00 | 987891.00 | 853002.00 | 1520856.00 | 1076327.0 | 7298153.00 |
| फर्नीचर तथा जुड़नार | 11382116.00 | 1651983.00 | 1302788.00 | 1417317.00 | 1978708.00 | 2409668.0 | 20142580.00 |
| कार्यालय उपस्कर | 1947695.00 | 826968.00 | 339884.00 | 1529657.00 | 1075796.00 | 674101.0 | 6394101.00 |
| कम्प्यूटर/अनुषंगी | 4408119.00 | 446397.00 | 790724.00 | 1300756.00 | 1097139.00 | 757285.0 | 8800420.00 |
| तकनीकी पुस्तकें | 552.00 | 9.00 | 11.0 | 4.00 | 6.00 | 29. | 611.0 |
| कैंप उपस्कर | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 |
| विद्युत स्थापना | 542109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542109.00 |
| सोफ्टवेयर | 84979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84979.0 |
| उप कुल | **20175788.00** | **4368200.00** | **3525534.00** | **5419512.00** | **5817261.00** | **4998781.0** | **44305076.00** |
| ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| उप कुल | | | | | | | |
| कुल योग | **20175788.00** | **4368200.00** | **3525534.00** | **5419512.00** | **5817261.00** | **4998781.0** | **44305076.00** |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 11 : पिछले वर्ष के अंत में ) | | | | | | राशि रूपये में | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **मुख्यालय** | **ग्वालियर** | **भुवनेश्वर** | **वलसाड़** | **हैदराबाद** | **पटना** | **कुल** |
| क.नियत परिसंपत्तियां | | | | | | | |
| भवन | 125536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125536.00 |
| औजार तथा संयंत्र | 84345.00 | 245075.00 | 123706.00 | 233244.00 | 332541.00 | 96909.00 | 1115820.00 |
| मोटर वाहन | 1912403.00 | 1465650.00 | 1172405.00 | 1028342.00 | 1778151.00 | 1283369.00 | 8640320.00 |
| फर्नीचर तथा जुड़नार | 5658288.00 | 1667892.00 | 1304620.00 | 1004105.00 | 2139268.00 | 2356001.00 | 14130174.00 |
| कार्यालय उपस्कर | 1557598.00 | 872248.00 | 403991.00 | 421186.00 | 1117058.00 | 803124.00 | 5175205.00 |
| कम्प्यूटर/अनुषंगी | 2288006.00 | 399801.00 | 358001.00 | 541243.00 | 1494708.00 | 555255.00 | 5637014.00 |
| तकनीकी पुस्तकें | 920.00 | 15.00 | 18.00 | 6.00 | 11.00 | 87.00 | 1057.00 |
| कैंप उपस्कर | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| विद्युत स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सोफ्टवेयर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **उप कुल** | **11627096.00** | **4650696.00** | **3362741.00** | **3228126.00** | **6861737.00** | **5094745.00** | **34825141.00** |
| **ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| **उप कुल** | | | | | | | |
| **कुल योग** | **11627096.00** | **4650696.00** | **3362741.00** | **3228126.00** | **6861737.00** | **5094745.00** | **34825141.00** |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

## 31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–9 : उद्दिष्ट / विन्यास निधियों से निवेश (सेवानिवृत्ति तथा ग्रैच्युटी निधि) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
| | | | | | | | | |
| उद्दिष्ट निधि से निवेश | | | | | | | | |
| सरकारी प्रतिभूतियों में | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| राष्ट्रीय बैंकों में बचत खाता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| नियत जमा | 8567409.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 8567409.0 | 140962568.00 |
| सेवा निवृत्ति (एफडीआर) निवेषों पर उद्भूत ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| **कुल योग** | **8567409.0** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.0** | **0.00** | **8567409.0** | **140962568.00** |

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
## 31 मार्च 2022 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपतियां, ऋण, अग्रिम आदि | | | | | | | राशि रूपये मे | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
| क वर्तमान परिसंपत्तियां | | | | | | | | |
| रोकड़ शेष | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| बचत बैंक खाते में शेष (वेतन खाते) | 9473524.00 | 4219402.00 | 4563805.00 | 4435061.0 | 7712500.00 | 5017862.00 | 35422154.0 | 104944871.00 |
| बचत बैंक खाते में शेष (सामान्य खाते) | 16525059.00 | 1037923.00 | 1074758.00 | 766145.0 | 558768.00 | 667772.00 | 20630425.0 | 6393506.00 |
| एसबीआई परामर्श पर नकद खाते | 180420229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180420229.0 | 118819585.00 |
| राजविअ ग्रेच्युटी खाते में नकद | 39866838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39866838.0 | 39782889 |
| नकद बैंक बैलेंस शेष | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54680.00 | 54680.0 | 1448206.00 |
| डाक टिकट शेष | 1355.00 | 1949.00 | 998.00 | 3511.0 | 4456.00 | 4158.00 | 16427.0 | 15771.00 |
| मार्गस्थ ड्राफ्ट | 0.00 | 1393526.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1393527.0 | 4283299.00 |
| रा.ज.वि.अ. सेवानिवृत्ति लाभ खाता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उप –कूल **(क)** | **246287006.00** | **6652800.00** | **5639561.00** | **5204717.0** | **8275725.00** | **5744472.00** | **277804281.0** | **275688128.00** |
| | | | | | | | | |
| **ख ऋण, अग्रिम तथा अन्य– परिसंपत्तियां** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ऋण तथा अग्रिमः | | | | | | | | |
| कर्मचारियो को | 176918.00 | 353049.00 | 174870.00 | 171200.0 | 987371.00 | 340905.00 | 2204313.0 | 2410028.00 |
| अन्य को | 12138686.00 | 2146998.00 | 12990.00 | 14890121.0 | 1054594.00 | 4467542.00 | 34710931.0 | 19352887.00 |
| परामर्शी सेवाओं को | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482680.00 | 0.00 | 482680.0 | 11763036.00 |
| **उप –कूल (ख)** | **12315604.00** | **2500047.00** | **187860.00** | **15061321.0** | **2524645.00** | **4808447.00** | **37397924.0** | **33525951.00** |
| | | | | | | | | |
| **ग वसूली योग्य दावे** | | | | | | | | |
| पूर्वदत्त व्यय | 24647.00 | 10556.00 | 0.00 | 11998.0 | 102080.00 | 21591.00 | 170872.0 | 0.00 |
| वसूली योग्य अवकाश वेतन | 746687.00 | 89218.00 | 280347.00 | 711822.0 | 574173.00 | 721533.00 | 3123780.0 | 3077403.00 |
| प्रतिभूति जमा | 0.00 | 28500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28500.0 | 28500.00 |
| नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| वेतन अवकाश एवं पेंशन योगदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7558.00 | 0.00 | 7558.0 | 0.00 |
| नोटिस अवधि में प्राप्त वेतन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22996.00 | 0.00 | 22996.0 | 0.00 |
| सी.पी.एफ. | 11619117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11619117.0 | 0.00 |
| टीडीएस | 3624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3624.0 | 0.00 |
| निविष्ट जमा कर (जीएसटी ) | 9438032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9438032.0 | 0.00 |
| संपत्ति की बिक्री पर प्राप्त राशि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उद्भूत ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **उप –कूल (ख)** | **21832107.00** | **128274.00** | **280347.00** | **723820.0** | **706807.00** | **743124.00** | **24414479.0** | **3105903.00** |
| **कूल (क +ख+ग)** | **280434717.00** | **9281121.00** | **6107768.00** | **20989858.0** | **11507177.00** | **11296043.00** | **339616684.0** | **312319981.00** |
| अन्य सर्किलों को परिसंपत्तियों का अंतरण | **0.00** | **0.00** | | | | | | **22619056.00** |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2022 को अवधि/वर्ष के अंत में सर्किलवार आय और व्यय को दर्शाने वाली अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची 12– बिक्री/सेवाओं से आय | | | | | | | | राशि रूपये मे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
| 1– बिक्री से आय | | | | | | | | |
| क) तैयार माल की बिक्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ख) कच्चे माल की बिक्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ग) कबाड़ की बिक्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 2– सेवाओं से आय | | | | | | | | |
| क) श्रम और प्रकिया शुल्क | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं | 142721395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142721395.00 | 92582000.00 |
| ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण /संपत्ति) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ड.) अन्य (निर्दिष्ट करें) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| **कुल** | **142721395.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **142721395.00** | **92582000.00** |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

**अनुसूची–13 : अनुदान/सब्सिडी ( गैर वसूली योग्य अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी)**

| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सहायता अनुदान (केन्द्रं सरकार) | 105080353.00 | 98952013.00 | 59797946.00 | 64148159.00 | 126925283.00 | 58708870.00 | 513612624.00 | 650103284.00 |
| सीपीएफ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीएसएलआईएस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| नई पेंशन स्कीम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| घटाः वर्ष के दौरान क्रय की गई | -4484141.00 | 0.00 | -967306.00 | -2299808.00 | -1245029.00 | -791280.00 | -9787564.00 | 6730998.00 |
| 2 सातवॉ वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्याापार सातवॉ वाइब्रेंट गुजरात | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ग्लोबल ट्रेड शो के लिए अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल | **100596212.00** | **98952013.00** | **58830640.00** | **61848351.00** | **125680254.00** | **57917590.00** | **503825060.00** | **643372286.00** |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
| (क) बचत खाता पर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2563247.00 |
| (ख). ऋण और अग्रिम | 143698.00 | 17970.00 | 0.00 | -8769.00 | 0.00 | 5132.00 | 158031.00 | 596956.00 |
| (ग) अन्य | 4406542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4406542.00 | 3345356.00 |
| | | | | | | | | |
| कुल | **4550240.00** | **17970.00** | **0.00** | **-8769.00** | **0.00** | **5132.00** | **4564573.00** | **6505559.00** |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

**अनुसूची-18- अन्य आय** राशि रूपये में

| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| परिसंपत्तियों का निपटान | | | | | | | | |
| परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि | 3812.0 | 5859.00 | 0.00 | 41447.00 | 8894.00 | 0.00 | | -74655.00 |
| विविध आय | 61428.0 | 2410.00 | 123000.00 | 700.00 | 0.00 | 3807.00 | | 3832.00 |
| हिन्दी संसदीय समिति के व्यय की वापिसी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| नोटिस अवधि वेतन | 0.00 | 41202.00 | 0.00 | 0.00 | 22996.00 | 0.00 | | 51030.00 |
| निविदा फार्म आदि की ब्रिकी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13031.00 |
| विविध आय + पैनल ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 95515.00 |
| पुराने समाचार पत्र की बिक्री | 0.00 | 0.00 | 462.00 | 0.00 | 5982.00 | 740.00 | | 15780.00 |
| अन्य प्राप्तियां (जी.एस.टी.) | 19357532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| कुल | **19422772.00** | **49471.00** | **123462.00** | **42147.00** | **38632.00** | **4547.00** | | **104533.00** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची

**अनुसूची–20 स्थापना व्यय**

| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | ळैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क वेतन तथा पगार (वेतन) | 64075723.00 | 26672839.00 | 31996265.00 | 33736262.00 | 58425261.00 | 29036969.00 | 243943319.00 | 272533493.00 |
| ख भत्ते तथा बोनस | 45851799.00 | 16293919.00 | 20369494.00 | 16706166.00 | 39324427.00 | 19012215.00 | 157558020.00 | 137305515.00 |
| ग भविष्य निधि में सरकारी अंशदान (सी.पी.एफ.) और | -1664274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1664274.00 | 31568579.00 |
| सी.पी.एफ. पर ब्याज | | | | | | | | |
| घ जी.एस.एल.आई.एस. को भुगतान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ड कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ पर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (सेवानिवृत्ति एवं गेच्युटी निधि) | | | | | | | | |
| च नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान | 11315574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11315574.00 | 3793475.00 |
| छ अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1869077.00 |
| ज नई पेंशन योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| झ अन्य (स्पष्ट करें) एल एस व पी सी चार्ज | 1863966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691302.00 | 0.00 | 2555268.00 | 637037.00 |
| **कुल** | **123251834.00** | **43040801.00** | **52470451.00** | **50633565.00** | **99327440.00** | **48049184.00** | **416773275.00** | **447707176.00** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

**अनुसूची–20 क : प्रशासनिक व्यय**

राशि रूपये में

| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क वेतन तथा भत्ते** (व्यय.) | 65047606.00 | 26852797.00 | 32102929.00 | 34273228.00 | 59462393.00 | 29196556.00 | 246935509.00 | 275516039.00 |
| **ख भत्ते व बोनस** | 45192383.00 | 15791306.00 | 19649217.00 | 16414300.00 | 39072018.00 | 18578381.00 | 154697605.00 | 136746374.00 |
| ग. भविष्य निधि में अंशदान (सी.पी.एफ.) तथा | -1664274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1664274.00 | 31568579.00 |
| ख. सी.पी.एफ. पर ब्याज | | | | | | | | |
| घ . जीएसएलआईएस के लिए भुगतान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| च.कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ पर व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ (सेवानिवृत्ति एवं गेच्युटी निधि) | | | 0.00 | | | | | |
| छ. अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान | 10198437.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10198437.00 | 3793475.00 |
| ज. अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1869077.00 |
| झ. नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ड. अन्य (स्पष्ट करें) एल एस एवं पी सी अधिभार | 1863966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691302.00 | 0.00 | 2555268.00 | 637037.00 |
| **कुल** | **120638118.00** | **42644103.00** | **51752146.00** | **50687528.00** | **99225713.00** | **47774937.00** | **412722545.00** | **450130581.00** |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

## 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–21 अन्य प्रशासनिक व्यय | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
| **क यात्रा व्यय** | **2174536.00** | **1183764.00** | **2030519.00** | **2060334.00** | **1845287.00** | **1867287.00** | **11161727.00** | **8425378.00** |
| **ख कार्यालय व्यय** | | | | | | | | |
| विद्युत प्रभार | 2294860.00 | 356044.00 | 200969.00 | 201705.00 | 1074313.00 | 472625.00 | 4600516.00 | 3772045.00 |
| दूरभाष व्यय | 661631.00 | 152194.00 | 118061.00 | 44732.00 | 93047.00 | 186730.00 | 1256395.00 | 1128046.00 |
| प्रकाशन, पत्रिका तथा पुस्तक | 170943.00 | 89226.00 | 83405.00 | 122519.00 | 209047.00 | 100966.00 | 776106.00 | 771842.00 |
| जल प्रभार | 107167.00 | 54232.00 | 36843.00 | 34200.00 | 66963.00 | 86095.00 | 385500.00 | 351100.00 |
| स्टेशनरी तथा मुद्रण | 121775.00 | 26108.00 | 70908.00 | 44803.00 | 9220.00 | 32447.00 | 305261.00 | 260562.00 |
| वाहन | 0.00 | 2176.00 | 1044.00 | 6940.00 | 4253.00 | 3600.00 | 18013.00 | 10371.00 |
| वर्दी | 55000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 70000.00 |
| टेलीग्राम, टेलेक्स तथा फैक्स | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| डाक टिकट | 79285.00 | 41755.00 | 34496.00 | 44170.00 | 75476.00 | 40585.00 | 315767.00 | 286958.00 |
| रबड़ स्टैंप | 6714.00 | 1043.00 | 3725.00 | 1500.00 | 3300.00 | 2584.00 | 18866.00 | 14236.00 |
| कार्यालय की साइकिलों की मरम्मत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बैंक प्रभार | 0.00 | 590.00 | 818.00 | 306.00 | 2119.00 | 1724.00 | 5557.00 | 17928.00 |
| विविध व्यय | 134034.00 | 182590.00 | 145341.00 | 252112.00 | 284474.00 | 72530.00 | 1071081.00 | 1249695.00 |
| वकील का शुल्क/विधि प्रभार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आतिथ्य | 607013.00 | 92226.00 | 182259.00 | 156078.00 | 252880.00 | 154205.00 | 1444661.00 | 1421941.00 |
| विज्ञापन | 308515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 408515.00 | 92247.00 |
| लेखा परीक्षा शुल्क | 39805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39805.00 | 0.00 |
| इंटरनेट अधिभार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ई टी डी एस भरने का शुल्क | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 203992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203992.00 | 141997.00 |
| अन्य शुल्क | 90323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90323.00 | 0.00 |
| कल्याणकारी व्यय (सेनानिवृत्ति) | 44500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44500.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आकस्मिक गैर आवर्ती | 0.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6950.00 | 26200.00 | 18250.00 |
| **ग किराया, दर व कर** | 12237448.00 | 2094047.00 | 953704.00 | 3257811.00 | 16445951.00 | 2644482.00 | 37633443.00 | 36744040.00 |
| **घ मरम्मत तथा रखरखाव** | 3796008.00 | 799042.00 | 836093.00 | 624314.00 | 1142010.00 | 1079110.00 | 8276577.00 | 8200622.00 |
| **परिसम्पतियों के निपटान पर नुकसान** | 0.00 | 0.00 | 23507.00 | 0.00 | 0.00 | 45075.00 | 68582.00 | 0.00 |
| **उप कुल** | **23133549.00** | **5099287.00** | **4721692.00** | **6851524.00** | **21508340.00** | **6896995.00** | **68211387.00** | **62977258.00** |
| **(ड)(1) पूर्व अवधि कार्यालय व्यय** | 116806.00 | 41431.00 | 29476.00 | 135873.00 | 120774.00 | 20078.00 | 464438.00 | 0.00 |
| **(2) पूर्व अवधि यातायात व्यय** | 148221.00 | 0.00 | 37295.00 | 0.00 | 68585.00 | 0.00 | 254101.00 | 0.00 |
| **(3) पूर्व किराया दरें एवं कर खर्च** | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 |
| **(4) पूर्व अवधि मरमम्त एवं रख रखाव पर व्यय** | 5325.00 | 0.00 | 136735.00 | 0.00 | 46391.00 | 18456.00 | 206907.00 | 0.00 |
| **उप योग** | **295352.00** | **41431.00** | **203506.00** | **135873.00** | **235750.00** | **38534.00** | **950446.00** | **0.00** |
| **(च) निर्माण कार्य** | 31282403.00 | 56216063.00 | 6393659.00 | 7073070.00 | 13840840.00 | 7996273.00 | 122802308.00 | 119648948.00 |
| **निर्माण कार्य–आई डब्ल्यू डब्ल्यू 2021** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2464219.00 |
| **उप योग** | **31282403.00** | **56216063.00** | **6393659.00** | **7073070.00** | **13840840.00** | **7996273.00** | **122802308.00** | **122113167.00** |
| **(छ) पूर्व अवधि निर्माण कार्य पर व्यय** | 720039.00 | 266165.00 | 371216.00 | 441708.00 | 715167.00 | 464694.00 | 2978989.00 | 0.00 |
| **उप योग** | **720039.00** | **266165.00** | **371216.00** | **441708.00** | **715167.00** | **464694.00** | **2978989.00** | **0.00** |
| **(झ) पीएमकेएसवाई** | 36115972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36115972.00 | 57322527.00 |
| **(ण) विशेष समिति/प्रकोष्ठ–आईएलआर** | 12731779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12731779.00 | 15158382.00 |
| **उप कुल** | **48847751.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **48847751.00** | **194594076.00** |
| **कुल** | **104279094.00** | **61622946.00** | **11690073.00** | **14502175.00** | **36300097.00** | **15396496.00** | **243790881.00** | **257571334.00** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

**अनुसूची–21 : क अन्य प्रशासनिक व्यय**

राशि रूपये में

| विवरण | मुख्यालय | ग्वालियर | भुवनेश्वर | वलसाड़ | हैदराबाद | पटना | कुल | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क यात्रा व्यय** | **2174510.00** | **1183764.00** | **2033476.00** | **2060334.00** | **1911442.00** | **1867287.00** | **11230813.00** | **8282813.00** |
| **ख कार्यालय व्यय** | | | | | | | | |
| विद्युत प्रभार | 2234525.00 | 355888.00 | 200733.00 | 209475.00 | 894201.00 | 460277.00 | 4355099.00 | 3771095.00 |
| दूरभाष व्यय | 661176.00 | 156068.00 | 120437.00 | 44174.00 | 95964.00 | 166493.00 | 1244312.00 | 1128046.00 |
| प्रकाशन, पत्रिका तथा पुस्तक | 143542.00 | 90726.00 | 83405.00 | 122519.00 | 211733.00 | 101214.00 | 753139.00 | 771842.00 |
| जल प्रभार | 107167.00 | 52607.00 | 45339.00 | 36430.00 | 73740.00 | 86095.00 | 401378.00 | 351100.00 |
| स्टेशनरी तथा मुद्रण | 121775.00 | 26108.00 | 68628.00 | 44803.00 | 10170.00 | 32447.00 | 303931.00 | 260562.00 |
| वाहन | 0.00 | 3054.00 | 1044.00 | 6940.00 | 4253.00 | 3600.00 | 18891.00 | 10371.00 |
| वर्दी | 55000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 70000.00 |
| टेलीग्राम, टेलेक्स तथा फैक्स | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| डाक टिकट | 78524.00 | 41755.00 | 34496.00 | 30345.00 | 75476.00 | 40585.00 | 301181.00 | 286958.00 |
| रबड़ स्टैंप | 6714.00 | 1043.00 | 3725.00 | 14105.00 | 3300.00 | 2584.00 | 31471.00 | 14236.00 |
| कार्यालय की साइकिलों की मरम्मत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बैंक प्रभार | 0.00 | 590.00 | 818.00 | 1526.00 | 2137.00 | 1724.00 | 6795.00 | 17928.00 |
| विविध व्यय | 134034.00 | 182590.00 | 145341.00 | 252112.00 | 276579.00 | 72680.00 | 106333600 | 1242328.00 |
| वकील का शुल्क/विधि प्रभार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| आतिथ्य | 591740.00 | 91678.00 | 182259.00 | 156078.00 | 250650.00 | 156425.00 | 1428830.00 | 1415941.00 |
| विज्ञापन | 283395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283395.00 | 92247.00 |
| लेखा परीक्षा शुल्क | 402420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402420.00 | 0.00 |
| इंटरनेट अधिभार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ई टी डी एस भरने का शुल्क | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 200992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200992.00 | 141997.00 |
| अन्य शुल्क | 90323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90323.00 | 0.00 |
| कल्याणकारी व्यय (सेनानिवृत्ति) | 44500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44500.00 | 0.00 |
| आकस्मिक गैर आवर्ती | 0.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6950.00 | 26200.00 | 11500.00 |
| **ग किराया, दर व कर** | **12237872.00** | **2045914.00** | **951704.00** | **3224773.00** | **17200344.00** | **2750276.00** | **38410883.00** | 37061602.00 |
| | | | | | | | | |
| **घ मरम्मत और रखरखाव** | **3701574.00** | **822766.00** | **899612.00** | **721023.00** | **1200644.00** | **1086618.00** | **8432237.00** | 8192976.00 |
| | | | | | | | | |
| **उप कुल** | **23269783.00** | **5078801.00** | **4771017.00** | **6924637.00** | **22210633.00** | **6835255.00** | **69090126.00** | **63123542.00** |
| | | | | | | | | |
| **नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति / प्रकोष्ठ** | 12731779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12731779.00 | 15158382.00 |
| **निमार्ण कार्य** | 30803677.00 | 57658140.00 | 6478714.00 | 9490240.00 | 13803750.00 | 8093426.00 | 126327947.00 | 99173749.00 |
| **पी.एम.के.एस.वाई** | 24372994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24372994.00 | 57322527.00 |
| **निमार्ण कार्य (भा.ज.स–2021)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2464219.00 |
| **उप कुल** | **67908450.00** | **57658140.00** | **6478714.00** | **9490240.00** | **13803750.00** | **8093426.00** | **163432720.00** | **174118877.00** |
| | | | | | | | | |
| **कुल** | **91178233.00** | **62736941.00** | **11249731.00** | **16414877.00** | **36014383.00** | **14928681.00** | **232522846.00** | **237242419.00** |
| | | | | | | | | |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

अंशदायी भविष्य निधि
ट्रायल शेष
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022

| | राजविअ का अंशदायी भविष्य निधि | |
|---|---|---|
| विवरण | 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक | |
| | अंतिम शेष | |
| | नामे | जमा |
| बैंक प्रभार | 0 | |
| सी. पी. एफ. अग्रिम | 6431000 | |
| सी. पी. एफ. अंतिम भुगतान | 241641248 | |
| सी. पी. एफ. आहरण | 47168000 | |
| कर्मचारी अंशदान | | 591068908 |
| कर्मचारी का बिना दावे वाला अंशदान | | 122694 |
| नियोक्ता का अंशदान | | 398119825 |
| नियत जमा | 30000000 | |
| कर्मचारी अंशदान खाते पर ब्याज | | 31324063 |
| नियोक्ता के अंशदान खाते पर ब्याज | | 21878258 |
| राजविअ खाते | | 11619117 |
| राजविअ सी.पी.एफ. पी. एन. बी. खाते | 63972944 | |
| राजविअ सी.पी.एफ. एस. बी. आई. खाते | 51558064 | |
| प्रोमिसरी नोट (सरकारी प्रतिभूतियां) | 573050000 | |
| विशेष जमा योजना | 40311609 | |
| कुल योगः | 1054132865 | 1054132865 |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च, 2022 को तुलनपत्र

| विवरण | सूची | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| पूंजीगत निधि तथा देयताएं | | | |
| कॉपर्स / पूंजीगत निधि | 1 | | |
| अधिशेष पर रिजर्व | 2 | | |
| उद्दिष्ट /विन्यास निधि | 3 | | |
| सुरक्षित ऋण तथा उधार | 4 | | |
| असुरक्षित ऋण तथा उधार | 5 | | |
| आस्थगित जमा देयताएं | 6 | 10305669 | 21324995 |
| चालू देयताएं तथा प्रावधान | 7 | 758892617 | 887772415 |
| | | | |
| कुल | | **769198286** | **909097410** |
| परिसंपत्तियां | | | |
| | | | |
| नियत परिसंपत्तियां | 8 | | |
| निवेश–उद्दिष्ट–विन्यामय निधियों से | 9 | | |
| निवेश–अन्य | 10 | 653667278 | 836586604 |
| चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 11 | 115531008 | 72510806 |
| विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने या समायोजित नही करने की सीमा तक) | | | |
| | | | |
| कुल | | **769198286** | **909097410** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
## अंशदायी भविष्य निधि
## 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रूपये में)

| व्यय | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | आय | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| सरकारी अंशदान | 19429880 | 22999118 | एफ.डी.आर पर ब्याज | 25551240 | 3506139 |
| सरकारी अंशदान पर ब्याज | 21878258 | 24419944 | सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज | 49936180 | 47935640 |
| कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज | 31324063 | 34318149 | बचत बैंक खाते पर ब्याज | 2924082 | 2519849 |
| बैंक प्रभार | 1062 | 1068 | एस.डी.एस. खाते पर ब्याज | 2862124 | 2950368 |
| सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद पर अधिक राशि का भुगतान | 76089 | 6742296 | सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए प्राप्त छूट | 0 | 0 |
| अधिशेष | 8564274 | 0 | कमी | 0 | 31568579 |
| कुल | 81273626 | 88480575 | कुल | 81273626 | 88480575 |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
## अंशदायी भविष्य निधि
## 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि रूपये में)

| प्राप्ति | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | भुगतान | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| आदि शेष | | | अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम | 6,431,000.00 | 4,762,520.00 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 53,365,388.00 | 58,774,125.00 | पूरा एवं अंतिम भुगतान | 241,641,248.00 | 159,620,311.00 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 13,141,374.00 | 87,498,303.00 | अंतिम आहरण | 47,168,000.00 | 28,738,448.00 |
| राजविअ | 98,068,019.00 | 140,386,981.00 | | | |
| सरकारी प्रतिभूतियां की परिपक्वता | - | - | सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश | 20,076,089.00 | 63,942,296.00 |
| एफ डी आर की परिपक्वता | 215,000,000.00 | 34,000,000.00 | एफ.डी.आर. में निवेश | 30,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| एस.डी.खाते पर ब्याज | 2,924,082.00 | 2,519,849.00 | बैंक प्रभार | 1,062.00 | 1,068.00 |
| एस.डी.एस. खाते पर ब्याज | 2,862,124.00 | 2,950,368.00 | नई पेंशन योजना कर्मचारी अंशदान | - | - |
| सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज | 49,936,180.00 | 47,935,640.00 | रा.ज.वि.अ. के पूर्ण वर्ष की राशि खाते पर बैंक जमा | - | - |
| नियत जमाओं पर ब्याज | 25,551,240.00 | 3,506,139.00 | पंजाब नेशनल बैंक | 51,558,064.00 | 53,365,388.00 |
| कर्मचारी का अशंदान, कर्मचारी तथा नियोक्ता तथा सरकारी अशंदान | - | - | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 63,972,944.00 | 13,141,374.00 |
| | | | | | |
| **कुल** | 460,848,407.00 | 377,571,405.00 | **कुल** | 460,848,407.00 | 377,571,405.00 |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2022)

| | | राशि रूपये में |
|---|---|---|
| अनुसूची'–6 आस्थगित ऋण देयताएं | | |
| विवरण | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| निवेश पर उद्भूत ब्याज | 10305669 | 21324995 |
| | | |
| कुल | **10305669** | **21324995** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
## अंशदायी भविष्य निधि
## (31.03.2022)

| अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान | | | (राशि रूपये में) | |
|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | | **चालू वर्ष** | | **पिछला वर्ष** |
| **कर्मचारियों का अंशदान** | | 508959776 | | 509044503 |
| आदि शेष | | | | |
| वर्ष के दौरान जमा | | | | |
| कर्मचारियों का अंशदान | 75641243 | | 94314369 | |
| अग्रिमों की वापसी | 6467889 | | 6820402 | |
| सदस्यों के खातों में जमा ब्याज | 31324063 | 113433195 | 34318149 | 135452920 |
| | | **622392971** | | **644497423** |
| **वर्ष के दौरान घटाएं** | | | | |
| **वर्ष के दौरान जोड़े** | 144955054 | | 102036679 | |
| अंतिम भुगतान | 47168000 | | 28738448 | |
| अंतिम आहरण | 6431000 | | 4762520 | |
| सदस्यों को ऋण/अग्रिम | 0 | | 0 | |
| नई पेंशन योजना धारक निधि में अंतरित | 0 | **198554054** | 0 | **135537647** |
| बिना दावे वाले अंशदान का अंतरण | | 122694 | | 122694 |
| उपकुल | | **423961611** | | **509082470** |
| **नियोक्ता का अंशदान** | | | | |
| आदि शेष | | 378689945 | | 388854515 |
| **वर्ष के दौरान जमा** | | | 0 | |
| नियोक्ता का अंशदान | 19429880 | | 22999118 | |
| सदस्यों के खातों में जमा ब्याज | 21878258 | 41308138 | 24419944 | 47419062 |
| | | **419998083** | | **436273577** |
| **वर्ष के दौरान घटाएं** | | | | |
| अंतिम भुगतान | | 96686194 | | 57583632 |
| नई पेंशन योजना धारक निधि में अंतरित | | 0 | | 0 |
| कुल | | **323311889** | | **378689945** |
| रा.ज.वि.अ. खाता | | **11619117** | | **0** |
| **कुल** | | **758892617** | | **887772415** |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2022)

**अनुसूची–10 : निवेश –अन्य**

**राशि रूपये में**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **चालू वर्ष** | | | **पिछला वर्ष** |
| नियत जमा | 30000000 | | 215000000 | |
| जमा–प्रोद्दभूत ब्याज | 1176627 | **31176627** | 12879041 | **227879041** |
| | | | | |
| प्रोमिसरी नोट (सरकारी प्रतिभूतियां) | 573050000 | | 559950000 | |
| जमा–प्रोद्दभूत ब्याज | 8413511 | **581463511** | 7977128 | **567927128** |
| | | | | |
| विशेष जमा योजना | 40311609 | | 40311609 | |
| जमा–प्रोद्दभूत ब्याज | **715531** | **41027140** | **468826** | **40780435** |
| | | | | |
| **कुल** | **653667278** | | | **836586604** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
अंशदायी भविष्य निधि अभिदान का माहवार विवरण
(कर्मचारी अंशदान) तथा वर्ष 2021–2022 के लिए अग्रिम की वापसी

| अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम आदि | | | राशि रूपये में | |
|---|---|---|---|---|
| विवरण | चालू वर्ष | | पिछला वर्ष | |
| | | | | |
| राजविअ से प्राप्य | 0 | | 6004044 | |
| राजविअ | | | | |
| बैंक शेष | | | | |
| भारतीय स्टेट बैंक | 51558064 | | 53365388 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली | 63972944 | | 13141374 | |
| | | | | |
| **कुल** | **115531008** | | **72510806** | |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नियत जमा अनुसूची को दिखाने वाली विवरणिका

राशि रूपये में

| माह | अंशदान (कर्मचारी अंशदान) | अग्रिमों की वापसी | कुल |
|---|---|---|---|
| अप्रैल, 2021 | 7021029 | 524304 | 7545333 |
| मई, 2021 | 6879729 | 511400 | 7391129 |
| जून, 2021 | 6796588 | 571400 | 7367988 |
| जुलाई, 2021 | 6607189 | 583315 | 7190504 |
| अगस्त, 2021 | 6496809 | 636315 | 7133124 |
| सितम्बर, 2021 | 6457809 | 600465 | 7058274 |
| अक्टूबर, 2021 | 6082209 | 548465 | 6630674 |
| नवम्बर, 2021 | 6055309 | 513365 | 6568674 |
| दिसम्बर, 2021 | 5923252 | 496945 | 6420197 |
| जनवरी, 2022 | 5848352 | 509945 | 6358297 |
| फरवरी, 2022 | 5823826 | 499445 | 6323271 |
| मार्च, 2022 | 5599142 | 472525 | 6071667 |
| मार्च, 2022 | 50000 | 0 | 50000 |
| **कुल** | 75641243 | 6467889 | 82109132 |

# सी.पी.एफ. अंतिम भुगतान का विवरण

| नाम | कर्मचारी | नियोक्ता योगदान | अंतिम भुगतान |
|---|---|---|---|
| | | | |
| आर.के. शर्मा | 5041216 | 2490636 | 7531852 |
| आर. गौमती | 3600 | 0 | 3600 |
| के. वल्सराजन | 2580 | 0 | 2580 |
| वी.एस.ए. मोहम्मद | 3600 | 0 | 3600 |
| ग्यानी राम | 307084 | 1246692 | 1553776 |
| पी.सी. गुप्ता | 4195421 | 2252637 | 6448058 |
| एन.डी. शुक्ला | 1348313 | 1644565 | 2992878 |
| थोमस जियोर्ज | 224830 | 911784 | 1136614 |
| दाल बहादुर | 222465 | 877091 | 1099556 |
| के.के. अली | 455234 | 1806799 | 2262033 |
| रविन्द्र सेठ्ठी | 1966304 | 1298974 | 3265278 |
| बी.एन. इन्द्रानी | 2154000 | 961685 | 3115685 |
| शेक जहांगीर | 1260153 | 1143394 | 2403547 |
| आर. श्यामला | 281230 | 525331 | 806561 |
| सुमिता पत्नि स्व. नानक चन्द | 457036 | 1014554 | 1471590 |
| एच. के. पाण्डे | 3398401 | 2254304 | 5652705 |
| नीतु निगम पत्नि स्व. राजीव निगम | 1761297 | 1128648 | 2889945 |
| गणेश प्रसाद बेहुरिया | 1027145 | 1096606 | 2123751 |
| एन.के. सक्शेना | 1881108 | 1185981 | 3067089 |
| नरेन्द्र कुमार | 7040018 | 1520845 | 8560863 |
| अरूण क. रंजर | 1466565 | 1933106 | 3399671 |
| पी.वी. रामा राजू | 151639 | 2599417 | 2751056 |
| टी.आर. श्यामले | 4263833 | 1101635 | 5365468 |
| डी. जनाना प्रसुना | 508483 | 1680510 | 2188993 |
| बिजय लक्ष्मण नायक | 2197769 | 1183611 | 3381380 |
| रंजन कुमार साहू | 2440557 | 1433950 | 3874507 |
| एस.एस. सिंह | 1043502 | 841954 | 1885456 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ो.एन. मुरली | 126955 | 901476 | 1028431 |
| आर.एम. सयद | 1584023 | 1712704 | 3296727 |
| शर्मा सरोज बाला | 1948572 | 1184238 | 3132810 |
| ए.सी. पटेल | 695374 | 1140434 | 1835808 |
| मुजफ़्फर अहमद | 2127995 | 3177106 | 5305101 |
| लैलामा नीनन | 4783001 | 1328647 | 6111648 |
| एस. सुलोचना | 4404640 | 1709924 | 6114564 |
| आर.के. खरबन्दा | 8474115 | 2764140 | 11238255 |
| आर.एन. जाधव | 419881 | 899024 | 1318905 |
| एम.के. उदागटी | 3042912 | 1789297 | 4832209 |
| उर्मीला रानी | 2401091 | 1474530 | 3875621 |
| अशोक नायक | 3663768 | 1128500 | 4792268 |
| वी.पी. नीमा | 4653440 | 1877293 | 6530733 |
| एन. अदीशेशु | 121448 | 1383783 | 1505231 |
| शीवा बरन सिंह | 16530 | 15812 | 32342 |
| एन.जे. सरोदे | 2313504 | 1547966 | 3861470 |
| देवी प्रसाद | 623582 | 1175136 | 1798718 |
| पी. अंदालू | 4348765 | 1770198 | 6118963 |
| डी. जीवामलीन | 3641090 | 1237761 | 4878851 |
| पी.सी.एम. राव | 640862 | 2136494 | 2777356 |
| सुनील कुमार बालासाहेब | 261130 | 1146820 | 1407950 |
| ज्योती राजवेदी | 421554 | 1769468 | 2191022 |
| दलीप सिंह | 2748892 | 1558568 | 4307460 |
| एस.सी. मंगल | 4070027 | 2248542 | 6318569 |
| एम. श्री निवास | 272710 | 1310553 | 1583263 |
| के. आदिविष्नुवु | 48666 | 984711 | 1033377 |
| भीकू भाई के टंडल | 1948222 | 1940638 | 3888860 |
| आरीफ हुसैन | 446740 | 807112 | 1253852 |
| शरीफ अब्दुल रहीम | 416382 | 1281545 | 1697927 |
| भुदैष | 83223 | 1002252 | 1085475 |
| राजवैन्द्रा लाल करण | 2931061 | 1382172 | 4313233 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| अनिल कुमार मेहता | 537345 | 1275927 | 1813272 |
| के.के. श्रीवास्तव | 4369411 | 2888998 | 7258409 |
| देवेन्द्र बली | 5909283 | 2482418 | 8391701 |
| डी.के. गोयल | 11009716 | 2271114 | 13280830 |
| नागेश महाजन | 6303062 | 2532567 | 8835629 |
| अर्चना गुप्ता | 4225505 | 2376526 | 6602031 |
| मिस्त्री सतीश कुमार | 1459898 | 1566261 | 3026159 |
| सी. श्रीलथा शुप्दत | 2357296 | 1370830 | 3728126 |
| | | | |
| कुल | **144955054** | **96686194** | **241641248** |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2021 को प्रोमिसरी नोट/सरकारी प्रतिभूतियां को दिखाने वाली विवरणिका

(राशि रूपये में)

| क्र.सं. | नियत जमा संख्या (एफ.डी.आर) | राशि | ब्याज की दर (%) | पूर्णता की तिथि | पूर्णता राशि | जिससे एफ.डी.आर कय की गइ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर, साकेत, नई दिल्ली |
| 1 | के एफ | 10000000 | 5 | 24.06.2022 | 10509453 | एसबीआई |
| 2 | के एफ | 10000000 | 5 | 24.06.2022 | 10509453 | एसबीआई |
| 3 | के एफ | 10000000 | 5 | 24.06.2022 | 10509453 | एसबीआई |
| | | **30000000** | | | | |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

## अंशदायी भविष्य निधि

## 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार वचन पत्रों/सरकारी प्रतिभूतियों का विवरण दर्शाने वाला विवरण

| क.सं. | वचन पत्र संख्या | खरीदने की तारीख | अंकित मूल्य | समाप्ति की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.20% जी.एस. 2024 | 12.08.2010 | 620000 | 15.09.2024 |
| 2 | 8.20% जी.एस. 2024 | 23.12.2010 | 1395000 | 15.09.2024 |
| 3 | 8.20% जी.एस. 2023 | 25.05.2011 | 720000 | 10.11.2023 |
| 4 | 8.08% जी.एस. 2022 | 02.08.2011 | 550000 | 02.08.2022 |
| 5 | 8.28% जी.एस. 2027 | 07.03.2012 | 1480000 | 21.09.2027 |
| 6 | 8.28% जी.एस. 2027 | 19.06.2012 | 1580000 | 21.09.2027 |
| 7 | 8.33% जी.एस. 2026 | 30.10.2012 | 1520000 | 09.07.2026 |
| 8 | 8.35% जी.एस. 2024 | 07.06.2013 | 2560000 | 27.03.2024 |
| 9 | 8.20% जी.एस. 2025 | 25.11.2013 | 910000 | 25.09.2025 |
| 10 | 8.28% जी.एस. 2027 | 13.02.2014 | 1230000 | 21.09.2027 |
| 11 | 7.16% जी.एस. 2023 | 27.03.2014 | 760000 | 20.05.2023 |
| 12 | 6.90% जी.एस. 2026 | 17.07.2014 | 1100000 | 04.02.2026 |
| 13 | 8.20% जी.एस. 2025 | 15.09.2014 | 670000 | 24.09.2025 |
| 14 | 8.35% जी.एस. 2024 | 03.02.2015 | 2060000 | 27.03.2024 |
| 15 | 8.35% जी.एस. 2024 | 16.04.2015 | 2900000 | 27.03.2024 |
| 16 | 7.16% जी.एस. 2023 | 04.08.2015 | 1240000 | 20.05.2023 |
| 17 | 7.68% जी.एस. 2023 | 21.01.2016 | 2770000 | 15.12.2023 |
| 18 | 8.40% जी.ओ.आई. 2024 | 26.04.2016 | 1100000 | 24.07.2024 |
| 19 | 7.95% जी.ओ.आई. 2026 | 03.08.2016 | 1480000 | 18.02.2026 |
| 20 | 7.73% जी.ओ.आई. 2034 | 24.03.2017 | 900000 | 19.12.2034 |
| 21 | 8.32% जी.ओ.आई. 2032 | 24.03.2017 | 750000 | 02.08.2032 |
| 22 | 6.79% जी.ओ.आई. 2027 | 07.03.2018 | 5800000 | 15.05.2027 |
| 23 | 7.59% जी.ओ.आई. 2026 | 29.06.2018 | 5140000 | 11.01.2026 |
| 24 | 6.79% जी.ओ.आई. 2027 | 23.04.2019 | 10350000 | 27.05.2027 |
| 25 | 6.97% जी.ओ.आई. 2026 | 30.07.2020 | 5000000 | 06.09.2026 |
| 26 | 8.26% जी.ओ.आई. 2027 | 30.07.2020 | 720000 | 02.08.2027 |
| 27 | 6.64% जी.ओ.आई. 2035 | 02.07.2021 | 2000000 | 16.06.2035 |
| | कुल | | **57305000** | |

| | राजविअ, आईडब्ल्यूडब्ल्यू | | |
|---|---|---|---|
| | परीक्षण तुलन | | |
| | 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 | | |
| क.सं. | विवरण | जमा | उधार |
| 1 | विज्ञापन ई एस्टेट विज्ञान भवन के लिए अग्रिम | 1663993.00 | |
| 2 | आईजीएनसीए के लिए अग्रिम | 705640.00 | |
| 3 | मैसर्स इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड को अग्रिम | 2320085.00 | |
| 4 | डीएआईसी के लिए विज्ञापन | 195880.00 | |
| 5 | बैंक ब्याज खाता | | 227145.00 |
| 6 | निरंतर विविध व्यय खाता | 4895.00 | |
| 7 | समग्र/पूंजीगत निधि | | 9086787.00 |
| 8 | बयाना राशि/प्रतिभूति जमा | | 2500.00 |
| 9 | कार्यक्रम प्रचार व्यय | 175378.00 | |
| 10 | आतिथ्य व्यय | 5187.00 | |
| 11 | गौण निर्माण खाता | 360863.00 | |
| 12 | प्रदर्शन गारंटी जमा | | 109990.00 |
| 13 | आईडब्ल्यूडब्ल्यू 2016 | | 860207.00 |
| 14 | आर एंड एम कंप्यूटर व्यय | 990.00 | |
| 15 | एफएफ और फिटिंग के आर एंड एम | 6860.00 | |
| 16 | प्रतिभूति जमा | 13495.00 | |
| 17 | टीडीएस खाता | | |
| 18 | वेबसाइट व्यय खाता | 324500.00 | |
| 19 | आईटी निर्माण व्यय | 180423.00 | |
| 20 | राजविअ आईडब्ल्यूडब्ल्यू एचडीएफसी | 1492294.00 | |
| 21 | राजविअ आईडब्ल्यूडब्ल्यू एसबीआई | 2836146.00 | |
| | कुल योग | **10286629.00** | **10286629.00** |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## भारत जल सप्ताह – 31 मार्च, 2022 को 2021 और 2022 का तुलन पत्र

| | | राशि रूपये में |
|---|---|---|
| **विवरण** | **अनुसूची** | **पिछला वर्ष** |
| **पूंजीगत निधि तथा देयताएं** | | |
| समग्र निधि /पूंजीगत निधि | **1** | 8254836 |
| सुरक्षित पर अधिशेष | **2** | 0 |
| उद्दिष्ट /विन्यास निधि | **3** | 0 |
| सुरक्षित ऋण तथा उधार | **4** | 0 |
| असुरक्षित ऋण तथा उधार | **5** | 0 |
| आस्थगित जमा देयताएं | **6** | 0 |
| चालू देयताएं तथा प्रावधान | **7** | 972697 |
| | | |
| **कुल** | | **9227533** |
| | | |
| **परिसंपत्तियां** | | |
| | | |
| नियत परिसंपत्तियां | **8** | 0 |
| निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से | **9** | 0 |
| निवेश–अन्य | **10** | 0 |
| चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | **11** | 9227533 |
| विविध व्यय<br>बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक | | |
| **कुल** | | **9227533** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2022 को भारत जल सप्ताह 2021–22 के तुलन पत्र की अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि | राशि रूपये में |
|---|---|
| **विवरण** | **भारत जल सप्ताह 2021–22** |
| | |
| **वर्ष के प्रारंभ के दौरान में शेष** | 9086787 |
| | |
| **उप कुल (क)** | **9086787** |
| | |
| बट्टे खाते में डाले गए पूंजीगत निवेश | |
| | |
| निवला आय का जोड़/घटा | -831951 |
| आय और व्यय खाते से स्थानांतरित व्यय | |
| | |
| | |
| **उप कुल (ख)** | |
| | |
| **वर्ष के अन्त में शेष** | **8254836** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
## (जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
## 31.03.2022 को भारत जल सप्ताह 2021–22 का आय तथा व्यय लेखा

राशि रूपये में

| व्यय | अनुसूची | भारत जल सप्ताह 2021–22 | आय | अनुसूची | भारत जल सप्ताह 2021–22 |
|---|---|---|---|---|---|
| स्थापना व्यय | | | विक्रय/सेवा से आय | | 0 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय आदि | 21 | 1059096 | अनुदान/सहायिकी | 13 | 0 |
| अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय | | | (प्राप्त अप्रत्याादेय अनुदान एवं सहायिकी) | | |
| ब्याज | | | शुल्क/सब्सक्रिप्शन | 14 | 0 |
| रा.ज.वि.अ. को भुगतान | | | निवेश से आय (उदिदृष्ट /अक्षय निधियों में निवेश से आय/निधियों से निधियों में | | 0 |
| | | | | | |
| | | | किया गया अंतरण) | | 0 |
| | | | रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय | 17 | 227145 |
| | | | अर्जित ब्याज | | 0 |
| | | | अन्य आय | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **कुल (क)** | | **1059096** | **कुल (क)** | | **227145** |

व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष

विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें) **-831951**

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31.03.2022 को भारत जल सप्ताह 2021 और 2022 का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

| भारत जल सप्ताह | | | (राशि रूपये में) |
|---|---|---|---|
| **आदि शेष प्राप्तियां** | **भारत जल सप्ताह 2021 - 2022** | **भुगतान** | **भारत जल सप्ताह 2021 और 2022** |
| 1 क. रोकड़ शेष | | क. स्थापना व्यय | |
| ख. बैंक शेष | | (अनुसूची 20 के तद्नुरूप) | 0 |
| बचत खातों में | | ख. प्रशासनिक व्यय | |
| i. एस.बी.आई. | 5980525 | (अनुसूची 21ए के तद्नुरूप) | 1059096 |
| ii.एच.डी.एफ.सी. | 1389961 | | |
| भाजस 2016 से राशि का अंतरण | | शुल्क/सदस्यता | 0 |
| | | | |
| **2 प्राप्त अनुदान** | | **2 विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए निवेश के लिए भुगतान** | |
| क. भारत सरकार से | 0 | लिंक नहर परियोजना | 0 |
| ख. राज्य सरकार से | 0 | **3 नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय** | |
| | | क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय | 0 |
| **3 निवेश पर आय** | | ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय | 0 |
| **क उद्दिष्ट/विन्यास निधि** | 0 | | |
| **ख अपनी निधि (निवेश पर)** | 0 | | |
| | | **4 नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय** | |
| **4 प्राप्त ब्याज** | | अग्रिम (स्टाफ) | 0 |
| **क. बैंक जमाओं पर** | 227145 | अग्रिम (अन्य) | 2320085 |
| ख. ऋण तथा अग्रिम आदि | 0 | | |
| | | **5 ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5 अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)** | | पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय | |
| निविदा शुल्क | 0 | | |
| प्रायोजन शुल्क | 0 | **6 वित्त प्रभार (ब्याज)** | |
| प्रदर्शन शुल्क | 0 | **7 अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)** | |
| आईटीपीओ बुकिंग राशि रिफंड | 0 | **रा.ज.वि.अ.** | |
| प्रतिनिधि शुल्क भा.ज.ल. | 0 | ईएमडी/निष्पादन गारंटी | 0 |
| | | बयाना | |
| | | सुरक्षा जमा | 0 |
| **6 उधार ली गई राशि–राजवअि** | 0 | टी.डी.एस. | |
| **7 कोई अन्य रसीदें (दिए गए विवरण)** | | **अंतिम शेष** | |
| साथी देश भारतीय यूरोपीय संघ | | क. रोकड़ शेष | |
| यूनियन | 0 | ख. बैंक शेष | |
| अग्रिम (स्टाफ) | 0 | बचत खाते | |
| अग्रिम (अन्य) | 0 | 1 एस. बी. आई. | 2836146 |
| ईएमडी/प्रदर्शन गारंटी | 109990 | 2 एच.डी.एफ.सी. | 1492294 |
| **कुल** | **7707621** | **कुल** | **7707621** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2022 को भारत जल सप्ताह 2021–22 के तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

| राशि रूपये में | |
|---|---|
| **अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान** | |
| **विवरण** | **भारत जल सप्ताह 2021–22** |
| **क वर्तमान देयताएं** | |
| **अन्य. वर्तमान देयताएं** | |
| बकाया व्यय | 0 |
| वेतन तथा भत्ते | 0 |
| किराया, दर तथा कर | 0 |
| प्रेषणा | 0 |
| पुराने चैक | 0 |
| अंशदायी भविष्य निधि | 0 |
| **भारत जल सप्ताह 2016 खाता** | 860207 |
| धरोहर राशि/ सुरक्षित जमा | 2500 |
| निष्पादन गारंटी जमा | 109990 |
| सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि | |
| टी.डी.एस. | 0 |
| | |
| **उप कुल (क)** | **972697** |
| | |
| **प्रावधान** | 0 |
| लेखापरीक्षा शुल्क | 0 |
| सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि | 0 |
| | |
| **उपकुल (ख):** | 0 |
| | |
| **कुल** | **972697** |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31.03.2022 को भारत जल सप्ताह 2021–22 के तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

| **अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम आदि** | **राशि रूपये में** |
|---|---|
| **विवरण** | **राशि** |
| **क वर्तमान परिसंपत्तियां** | |
| आदि शेष | 0 |
| बचत बैंक खाता एस.बी.बी.जे | 2836146 |
| एचडीएफसी | 1492294 |
| डाक टिकट शेष | 0 |
| मार्गस्थ ड्राफ्ट | 0 |
| **उप कुल (क)** | **4328440** |
| | |
| **ख ऋण अग्रिम एवं अन्य् परिसंपत्तियां** | |
| ऋण एवं अग्रिम | |
| कर्मचारियों को | |
| अन्य को | 4885598 |
| | |
| **उप कुल (ख)** | **4885598** |
| | |
| **ग प्राप्य दावे** | 0 |
| सुरक्षा जमा खाते | 13495 |
| **उप कुल ग.** | 13495 |
| **कुल** | **9227533** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

## वर्ष 2021–22 के लिए भारत जल सप्ताह 2021–22 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–13 : अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सहायिकी) | राशि रूपये में |
|---|---|
| **विवरण** | **भारत जल सप्ताह 2021–22** |
| | |
| **भारत जल सप्ताह 2017 के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त निधि** | 0 |
| | |
| | |
| **कुल** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| ह/- | ह/- | ह/- |
| (दीपक वर्मा) | (सुब्रत हलदर) | (भोपाल सिंह) |
| लेखाधिकारी | निदेशक (वित्त) | महानिदेशक |

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2022 को भारत जल सप्ताह 2021–22 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–14 : शुल्क / सब्सक्रिप्शन | राशि रूपये में |
|---|---|
| विवरण | भारत जल सप्ताह 2021–2022 |
| **भारत जल सप्ताह** | |
| 1 पंजीकरण / प्रतिनिधि शुल्क | 0 |
| | |
| 2 वार्षिक शुल्क / सब्सक्रिप्शन | 0 |
| 3 सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क | 0 |
| 4 प्रायोजक शुल्क | 0 |
| 5 प्रदर्शनी शुल्क | 0 |
| 6 सहयोगी देश भारतीय यूरोपीय संघ | 0 |
| 7 निविदा शुल्क | 0 |
| **कुल** | **0** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2021–22 के लिए भारत जल सप्ताह – 2021 और 2022 आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

| अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज | राशि रूपये में |
|---|---|
| विवरण | भारत जल सप्ताह 2021–2022 |
| क बचत बैंक खातों पर | 227145 |
| | |
| ख ऋण एवं अग्रिमों पर | 0 |
| | |
| ग अन्य | 0 |
| कुल | **227145** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

वर्ष 2021–22 के लिये भारत जल सप्ताह 2021–22 के आय एवं व्यय की अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची 18– अन्य आय | राशि रूपये में |
|---|---|
| विवरण | भारत जल सप्ताह 2021–2022 |
| | 0 |
| | 0 |
| कुल | **0** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
भारत जल सप्ताह – 2021 और 2022 अनुसूची वर्ष 2021–22 के लिए आय और व्यय का हिस्सा है

| अनुसूची –21– अन्य प्रशासनिक व्यय | राशि रूपये में |
|---|---|
| **विवरण** | **भारत जल सप्ताह 2021–22** |
| स्तत विविध व्यय | 4895 |
| गौण कार्य | 360863 |
| आर एण्ड एम कम्प्यूटर व्यय | 990 |
| आर एण्ड एम फर्नीचर एवं जुड़नार व्यय | 6860 |
| आई टी कार्य व्यय | 180423 |
| कार्यक्रम प्रचार पर व्यय | 175378 |
| आतिथ्य व्यय | 5187 |
| वेबसाईट व्यय | 324500 |
| **कुल** | **1059096** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

**राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण**
**(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)**
**भारत जल सप्ताह – 2021 और 2022 अनुसूची वर्ष 2021–22 के लिए आय और व्यय का हिस्सा है**

| **अनुसूची –21 क– अन्य प्रशासनिक व्यय** | **राशि रूपये में** |
|---|---|
| **विवरण** | **भारत जल सप्ताह 2021–22** |
| स्तत विविध व्यय | 4895 |
| गौण कार्य | 360863 |
| आर एण्ड एम कम्प्यूटर व्यय | 990 |
| आर एण्ड एम फर्नीचर एवं जुड़नार व्यय | 6860 |
| आई टी कार्य व्यय | 180423 |
| कार्यक्रम प्रचार पर व्यय | 175378 |
| आतिथ्य व्यय | 5187 |
| वेबसाईट व्यय | 324500 |
| | |
| **कुल** | **1059096** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

| | | |
|---|---|---|
| | | अनुलग्नक –। |
| | | |
| रा.ज.वि.अ. आईडब्ल्यूडब्ल्यू | | |
| ऋण और अग्रिम | | |
| समूह सारांश | | |
| 1–अप्रैल–2021 से 31–मार्च–2022 | | |
| | ऋण और अग्रिम (परिसंपत्ति) | |
| | रा.ज.वि.अ. आईडब्ल्यूडब्ल्यू | |
| विवरण | 1–अप्रैल–2021 से 31–मार्च–2022 | |
| | क्लोजिंग बैलेंस | |
| | जमा | उधार |
| विज्ञापन ई एस्टेट विज्ञान भवन के लिए अग्रिम | 1663993.00 | |
| आईजीएनसीए के लिए अग्रिम | 705640.00 | |
| मैसर्स इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड को अग्रिम | 2320085.00 | |
| डीएआईसी को अग्रिम | 195880.00 | |
| कुल | **4885598.00** | |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

| रा.ज.वि.अ. जल मंथन | | | |
|---|---|---|---|
| परीक्षण संतुलन | | | |
| 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 | | | |
| | विवरण | जमा | उधार |
| 1 | आईटीडीसी को अग्रिम | 14101.00 | |
| 2 | बैंक ब्याज खाता | | 15597.00 |
| 3 | समग्र निधि/पूंजीगत निधि | | 647774.00 |
| 4 | अग्रिम राशि/ प्रतिभूति जमा | | 0.00 |
| 5 | प्रतिभूति जमा | 61850.00 | |
| 6 | जल मंथन (एसबीआई) | 587420.00 | |
| | कुल योग | **663371.00** | **663371.00** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
जल मंथन – 31 मार्च, 2022 तक तुलन पत्र

| | | राशि रूपये में |
|---|---|---|
| **विवरण** | अनुसूची | पिछला वर्ष |
| **पूंजीगत निधि तथा देयताएं** | | |
| समग्र निधि /पूंजीगत निधि | **1** | 663371 |
| सुरक्षित पर अधिशेष | **2** | 0 |
| उद्दिष्ट /विन्यास निधि | **3** | 0 |
| सुरक्षित ऋण तथा उधार | **4** | 0 |
| असुरक्षित ऋण तथा उधार | **5** | 0 |
| आस्थगित जमा देयताएं | **6** | 0 |
| चालू देयताएं तथा प्रावधान | **7** | 0 |
| | | |
| **कुल** | | **663371** |
| | | |
| **परिसंपत्तियां** | | |
| | | |
| नियत परिसंपत्तियां | **8** | 0 |
| निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से | **9** | 0 |
| निवेश–अन्य | **10** | 0 |
| चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | **11** | 663371 |
| विविध व्यय<br>बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक | | |
| **कुल** | | **663371** |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31.03.2022 को जल मंथन के तुलन पत्र की अनुसूची बनाने वाला भाग

| **अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि** | **राशि रूपये में** |
|---|---|
| **विवरण** | **भारत जल सप्ताह 2021–22** |
| | |
| **वर्ष के प्रारंभ के दौरान में शेष** | **647774** |
| | |
| **उप कुल (क)** | **647774** |
| | |
| बट्टे खाते में डाले गए पूंजीगत निवेश | **0** |
| | |
| निवला आय का जोड़/घटा | 15597 |
| आय और व्यय खाते से स्थानांतरित व्यय | |
| | |
| | |
| **उप कुल (ख)** | |
| | |
| **वर्ष के अन्त में शेष** | **663371** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
## (जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
## 31.03.2022 को जल मंथन का आय तथा व्यय लेखा

राशि रूपये में

| व्यय | अनुसूची | 2021–22 | आय | अनुसूची | 2021–22 |
|---|---|---|---|---|---|
| स्थापना व्यय | | | विक्रय/सेवा से आय | | 0 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय आदि | 21 | 0 | अनुदान/सहायिकी | 13 | 0 |
| अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय | | | (प्राप्त अप्रत्याादेय अनुदान एवं सहायिकी) | | |
| ब्याज | | | शुल्क/सब्सक्रिप्शन | 14 | 0 |
| रा.ज.वि.अ. को भुगतान | | | निवेश से आय (उदिदृष्ट /अक्षय निधियों में निवेश से आय/निधियों से निधियों में किया गया अंतरण) | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय | 17 | 15597 |
| | | | अर्जित ब्याज | | 0 |
| | | | अन्य आय | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **कुल (क)** | | **0** | **कुल (क)** | | **15597** |

व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क–ख)

विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें) **15597**

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31.03.2022 को जल मंथन का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

राशि रूपये में)

| प्राप्ति | 2021–22 | भुगतान | 2021–22 |
|---|---|---|---|
| **आदि शेष प्राप्तियां** | | 1. व्यय | |
| 1 क. रोकड़ शेष | 0 | क. स्थापना व्यय | |
| ख. बैंक शेष | | (अनुसूची 20 के तद्नुरूप) | 0 |
| बचत खातों में | | ख. प्रशासनिक व्यय | |
| i. एस.बी.आई. | 571823 | (अनुसूची 21ए के तद्नुरूप) | 0 |
| | | | |
| | | **2 विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए निवेश के लिए भुगतान** | |
| **2 प्राप्त अनुदान** | | लिंक नहर परियोजना | 0 |
| क. भारत सरकार से | 0 | **3 नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय** | |
| ख. राज्य सरकार से | 0 | क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय | 0 |
| | | ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय | 0 |
| **3 निवेश पर आय** | | | |
| **क उद्दिष्ट/विन्यास निधि** | 0 | **4 नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय** | |
| **ख अपनी निधि (निवेश पर)** | 0 | अग्रिम (स्टाफ) | 0 |
| | | अग्रिम (अन्य) | 0 |
| **4 प्राप्त ब्याज** | | | |
| **क. बैंक जमाओं पर** | 15597 | 5 **ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी** | |
| ख. ऋण तथा अग्रिम आदि | 0 | ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5 अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)** | | **6 वित्त प्रभार (ब्याज)** | |
| | | **7 अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)** | |
| **6 उधार ली गई राशि–राजवअि** | 0 | **रा.ज.वि.अ.** | 0 |
| **7 कोई अन्य रसीदें (दिए गए विवरण)** | | **अंतिम शेष** | |
| | | क. रोकड़ शेष | 0 |
| | | ख. बैंक शेष | |
| | | बचत खाते | |
| | | 1 एस. बी. आई. | 587420 |
| | | | |
| **कुल** | 587420 | **कुल** | 587420 |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31.03.2022 को जल मंथन के तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

| | राशि रूपये में |
|---|---|
| **अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान** | |
| **विवरण** | **जल मंथन 2021–22** |
| **क वर्तमान देयताएं** | |
| **अन्य. वर्तमान देयताएं** | |
| बकाया व्यय | 0 |
| वेतन तथा भत्ते | 0 |
| किराया, दर तथा कर | 0 |
| प्रेषणा | 0 |
| पुराने चैक | 0 |
| रा.ज.वि.अ. | 0 |
| अंशदायी भविष्य निधि | 0 |
| **भारत जल सप्ताह 2016 खाता** | 0 |
| धरोहर राशि/ सुरक्षित जमा | 0 |
| निष्पादन गारंटी जमा | 0 |
| सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि | |
| टी.डी.एस. | 0 |
| | |
| **उप कुल (क)** | **0** |
| | |
| **प्रावधान** | 0 |
| लेखापरीक्षा शुल्क | 0 |
| सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि | 0 |
| | |
| **उपकुल (ख):** | 0 |
| | |
| **कुल** | **0** |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## 31.03.2022 को जल मंथन के तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम आदि | राशि रूपये में |
|---|---|
| **विवरण** | **राशि** |
| **क वर्तमान परिसंपत्तियां** | |
| आदि शेष | 0 |
| बचत बैंक खाता | 587420 |
| | |
| डाक टिकट शेष | 0 |
| मार्गस्थ ड्राफ्ट | 0 |
| **उप कुल (क)** | **587420** |
| | |
| **ख ऋण अग्रिम एवं अन्य् परिसंपत्तियां** | |
| ऋण एवं अग्रिम | |
| कर्मचारियों को | |
| अन्य को | 14101 |
| रा.ज.वि.अ. | 0 |
| **उप कुल (ख)** | **14101** |
| | |
| **ग प्राप्य दावे** | 0 |
| सुरक्षा जमा खाते | 61850 |
| **उप कुल ग.** | 61850 |
| **कुल** | **663371** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

## वर्ष 2021–22 के लिए जल मंथन के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–13 : अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सहायिकी) | राशि रूपये में |
|---|---|
| **विवरण** | **2021–22** |
| | |
| **जल मंथन 2022 के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त निधि** | 0 |
| | |
| | |
| **कुल** | **0** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## वर्ष 2021–22 को जल मंथन के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची–14 : शुल्क/सब्सक्रिप्शन | राशि रूपये में |
|---|---|
| **विवरण** | **2021–2022** |
| **जल मंथन** | |
| 1 पंजीकरण/प्रतिनिधि शुल्क | 0 |
| | |
| 2 वार्षिक शुल्क/ सब्सक्रिप्शन | 0 |
| 3 सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क | 0 |
| 4 प्रायोजक शुल्क | 0 |
| 5 प्रदर्शनी शुल्क | |
| 6 सहयोगी देश भारतीय यूरोपीय संघ | 0 |
| 7 निविदा शुल्क | 0 |
| **कुल** | **0** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2021–22 के लिए जल मंथन – आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

| अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज | राशि रूपये में |
|---|---|
| विवरण | 2021–2022 |
| क बचत बैंक खातों पर | 15597 |
| ख ऋण एवं अग्रिमों पर | 0 |
| | |
| ग अन्य | 0 |
| कुल | **15597** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2021–22 के लिये जल मंथन के आय एवं व्यय की अनुसूची बनाने वाला भाग

| अनुसूची 18– अन्य आय | राशि रूपये में |
|---|---|
| विवरण | 2021–2022 |
| | 0 |
| | 0 |
| कुल | **0** |

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी नई दिल्ली
(जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार)
जल मंथन अनुसूची वर्ष 2021–22 के लिए आय और व्यय का हिस्सा है

अनुसूची 21– अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपये में)

| विवरण | |
|---|---|
| यातायात व्यय | 0 |
| मुद्रण और स्टेशनरी व्यय | 0 |
| अन्य कार्य | 0 |
| आतिथ्य व्यय | 0 |
| डाक व्यय | 0 |
| बैंक शुल्क | 0 |
| पुष्प सजावट | 0 |
| किराया | 0 |
| पंजीकरण सामग्री व्यय | 0 |
| किताबें और फेरिकल्स | 0 |
| दूरभाष | 0 |
| विज्ञापन | 0 |
| टीए/डीए यय | 0 |
| टीए व्यय | 0 |
| स्मृति चिह्न व्यय | 0 |
| प्रतिनिधि किट व्यय | 0 |
| लॉजिस्टिक समझौता | 0 |
| विविध व्यय | 0 |
| कुल | **0** |

**राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी नई दिल्ली**
**(जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार)**
**जल मंथन अनुसूची वर्ष 2021–22 के लिए आय और व्यय का हिस्सा है**

**अनुसूची 21 क– अन्य प्रशासनिक व्यय**

**(राशि रूपये में)**

| विवरण | |
|---|---|
| यातायात व्यय | 0 |
| मुद्रण और स्टेशनरी व्यय | 0 |
| अन्य कार्य | 0 |
| आतिथ्य व्यय | 0 |
| डाक व्यय | 0 |
| बैंक शुल्क | 0 |
| पुष्प सजावट | 0 |
| किराया | 0 |
| पंजीकरण सामग्री व्यय | 0 |
| किताबें और फेरिकल्स | 0 |
| दूरभाष | 0 |
| विज्ञापन | 0 |
| टीए/डीए यय | 0 |
| टीए व्यय | 0 |
| स्मृति चिह्न व्यय | 0 |
| प्रतिनिधि किट व्यय | 0 |
| लॉजिस्टिक समझौता | 0 |
| विविध व्यय | 0 |
| कुल | **0** |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## वर्ष 2021–22 के लिए पीएमकेएसवाई योजना के अधीन दीर्घावधि सिंचाई कोष–प्राप्तियां और भुगतान खाता

राशि रूपये में

| | प्राप्तियां | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | | भुगतान | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **I.** | प्रारंभिक शेष | | | **I** | खर्च | | |
| | क.) आदिशेष | 0 | 0 | | क.) स्थापना व्यय (अनुसूची 20ए के अनुरूप) | 0 | 0 |
| | ख.) बैंक शेष | | | | | | |
| | i चालू खातों में | 0 | 0 | | ख.) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21क के अनुरूप) | 0 | 0 |
| | ii मार्गस्थ चेक/ड्राफ्ट | 0 | 0 | | | | |
| **II.** | **प्राप्त अनुदान** | | | **II** | विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान। | | |
| | क.) भारत सरकार से | **3735,99,94,600** | **2983,31,05,087** | | पीएमकेएसवाई योजना के एलटीआईएफ के तहत राज्य को जारी केंद्रीय सहायता (सीए): | | |
| | | | | | | | |
| | ख.) राज्य सरकार से | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| **III.** | निवेश पर आय | | | | आंध्र प्रदेश | 0 | 0 |
| | क.) उदि्दष्ट / विन्यास निधि | 0 | 0 | | बिहार | 0 | 14,12,00,000 |
| | ख.) स्वयं का कोष (निवेश पर) | 0 | 0 | | छत्तीसगढ | 0 | 6,44,96,000 |
| | | | | | गुजरात | 0 | 177,95,66,000 |
| **IV.** | प्राप्त ब्याज | | | | झारखंड | 0 | 0.00 |
| | क.) बैंक जमा पर | 0 | 0 | | कर्नाटक | 0 | 242,56,00,000 |
| | | | | | मध्य प्रदेश | 0 | 63,28,00,000 |
| **V.** | अन्य आय (निर्दिष्ट करें) | 0 | 0 | | मणिपुर | 0 | 23,51,00,000 |
| | | | | | महाराष्ट्र | 0 | 348,07,68,000 |
| **VI.** | **उधार ली गई राशि** | | | | ओडिशा | 0 | 110,85,70,000 |
| | पीएमकेएसवाई योजना के एलटीआईएफ के तहत नाबार्ड से ऋण | **751,80,00,000** | **4156,30,00,000** | | पंजाब | 0 | 165,53,00,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | गोआ | 0 | 3,84,00,000 |
| **VII.** | कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें) | | | | राजस्थान | 0 | 124,87,00,000 |
| | | | | | तेलंगाना | 0 | 162,82,00,000 |
| | | | | | केरल | 0 | 2,69,00,000 |
| | | | | | उत्तर प्रदेश | 0 | 397,84,00,000 |
| | | | | | पोलावरम परियोजना प्राधिकरण | 751,80,00,000 | 2234,20,00,000 |
| | | | | | असम | 0 | 4,00,00,000 |
| | | | | | जम्मू और कश्मीर | 0 | 11,37,00,000 |
| | | | | | केंद्र शासित प्रदेश– लद्दाख | 0 | 81,00,000 |
| | | | | | उत्तर कोइल जलाशय | 0 | 61,52,00,000 |
| | | | | **III.** | **निवेश और जमा** | 0 | 0 |
| | | | | **IV.** | **अचल और पूंजी पर व्यय** | 0 | 0 |
| | | | | | **कार्य प्रगति पर है** | 0 | 0 |
| | | | | **V.** | **ब्याज और दीर्घकालिक अग्रिम की वापसी** | 0 | 0 |
| | | | | **VI.** | वित्त प्रभार (ब्याज) | | |
| | | | | | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ऋण पर दिया गया ब्याज | **836,94,10,742** | **867,82,73,288** |
| | | | | | ईबीआर . पर | **1446,03,13,682** | **1179,83,30,170** |
| | | | | | ब्याज सबवेंशन | **510,00,00,000** | **464,49,63,294** |
| | | | | **VII.** | मूलधन चुकौती | **943,02,70,176** | **471,15,38,335** |
| | | | | **VIII.** | **अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)** | | |
| | | | | **IX.** | अंतिम शेष | | |
| | | | | | क.) नकद शेष | | |
| | | | | | ख.) बैंक शेष | | |
| | | | | | i.) चालू खातों में | | |
| | **कुल** | **4487,79,94,600** | **7139,61,05,087** | | | **4487,79,94,600** | **7139,61,05,087** |

## राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
## (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
## वर्ष 2021–22 के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण प्राप्तियां और भुगतान खाता

| | | | | | | | राशि ₹ में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **प्राप्तियां** | **चालू वर्ष** | **पिछला वर्ष** | | **भुगतान** | **वर्तमान वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
| | | | | | | | |
| **I.** | प्रारंभिक शेष | | | **I.** | **खर्चे** | | |
| | क.) आदिशेष | 0 | 0 | | क.) स्थापना व्यय (अनुसूची 20ए के अनुरूप) | 0 | 0 |
| | ख.) बैंक शेष | | | | ख.) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21क के अनुरूप) | 0 | 0 |
| | i चालू खातों में | 0 | 0 | | | | |
| | ii मार्गस्थ चेक/ड्राफ्ट | 0 | 0 | | | | |
| **II.** | **प्राप्त अनुदान** | | | **II.** | विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान। | | |
| | क.) भारत सरकार से | **46,420,313,000.00** | **0.00** | | दौधन बांध परियोजना के लिये कैम्पा फंड मध्यप्रदेश | **36,263,000,000.00** | |
| | | | | | के.बी.एल.पी–चरण । दौधन बांध | **2,038,600,000.00** | |
| | ख.) राज्य सरकार से | 0 | 0 | | के.बी.एल.पी–चरण ।। मध्यप्रदेश | **8,043,000,000.00** | |
| | | | | | | | |
| **III.** | निवेश पर आय | | | **III.** | **निवेश और जमा** | 0 | 0 |
| | क.) उद्दिष्ट / विन्यास निधि | 0 | 0 | **IV.** | **अचल और पूंजी पर व्यय** | 0 | 0 |
| | ख.) स्वयं का कोष (निवेश पर) | 0 | 0 | | **कार्य प्रगति पर है** | 0 | 0 |
| | | | | **V.** | **ब्याज और दीर्घकालिक अग्रिम की वापसी** | 0 | 0 |
| **IV.** | प्राप्त ब्याज | | | **VI.** | वित्त प्रभार (ब्याज) | 0 | |
| | क.) बैंक जमा पर | 0 | 0 | | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ऋण पर दिया गया ब्याज | **0** | **0** |
| | | | | | | **0** | **0** |
| **V.** | अन्य आय (निर्दिष्ट करें) | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | ईबीआर . पर | | |
| **VI.** | **उधार ली गई राशि** | | | | ब्याज सबवेंशन | **0** | **0** |
| | पीएमकेएसवाई योजना के एलटीआईएफ के तहत नाबार्ड से ऋण | **0** | **0** | **VII.** | ग्रांट रिर्टन लेप्स | **75,713,000.00** | **0** |
| | | | | **VIII.** | **अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VII.** | कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें) | | | **IX.** | अंतिम शेष | | |
| | | | | | क.) नकद शेष | | |
| | | | | | ख.) बैंक शेष | | |
| | | | | | i.) चालू खातों में | 0 | |
| | कुल | **46420313000.00** | **0.00** | | | **46420313000.00** | **0.00** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## वर्ष 2021–21 के दौरान अन्य महत्तवपूर्ण बैठकें/गतिविधियां

- महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) ने दिनांक 07.04.2021 को केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अधिकारियों के साथ केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) की तीन परियोजनाओं नामतः लोअर ऑर, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति की समीक्षा की।
- महानिदेशक, राजविअ ने 16.04.2021 को सीडब्ल्यूसी, सेवा भवन, नई दिल्ली में पार्वती–काली–सिंध (पी–के–एस) लिंक परियोजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के एकीकरण के संबंध में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी की समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ), मध्य प्रदेश सरकार से दिनांक 19.04.2021 के पत्र के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण के लिए वन विभाग को हस्तांतरण के लिए राजस्व भूमि के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने और केबीएलपी के त्वरित कार्यान्वयन के लिए चरण– ।। वन स्वीकृति प्रदान करने के लिए पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।
- मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ ने 28.04.2021 को राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा आयोजित भारत में जल संसाधन क्षेत्र के अवलोकन पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला के दौरान ''नदियों के मुद्दों और चुनौतियों को आपस में जोड़ने'' पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति प्रस्तुत की।
- महानिदेशक, राजविअ ने 03.06.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7वें भारत जल सप्ताह –2021 (आईडब्ल्यूडब्ल्यू–2021) की आयोजन समिति की तीसरी बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक राजविअ ने 08.06.2021 को राष्ट्रीय नदियों को जोड़ने के प्राधिकरण (एनआईआरए) के संबंध में अतिरिक्त सचिव के साथ बैठक की।
- महानिदेशक, राजविअ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 11.06.2021 को पोलावरम परियोजना प्राधिकरण द्वारा आयोजित मंत्रालय द्वारा आयोजित आंतरिक समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ ने 14.06.2021 को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के चैंबर में कोविड–19 महामारी पर विचार करते हुए 7वें आईडब्ल्यूडब्ल्यू–2021 के आयोजन की समीक्षा करने के संबंध में माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय (जल शक्ति मंत्रालय), (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि.) के साथ एक चर्चा की।
- महानिदेशक, राजविअ ने 16.06.2021 को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के चैंबर में माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई 'राष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा' के संबंध में बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ ने 21.06.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दक्षिण दिल्ली–03) के संबंध में बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ ने दिनांक 23.06.2021 को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के चैंबर में प्राथमिकता प्राप्त ''नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं को जोड़ने'' की समीक्षा के संबंध में माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ली गई बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ और मु. अ.(मुख्यालय) ने 06.07.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतःराज्यीय लिंक पर चर्चा करने के लिए सीडब्ल्यूसी, राजविअ और बिहार सरकार की एक संयुक्त बैठक में भाग लिया।
- मु. अ.(मुख्यालय), राजविअ ने 06.07.2021 को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के चैंबर में ''तमिलनाडु में नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) के संबंध में तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन मंत्री थिरू दुरईमुरुगन के साथ माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय की बैठक में भाग लिया।

- महानिदेशक, राजविअ और मु. अ.(मुख्यालय) ने 09.07.2021 को सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में पार्वती–काली–सिंध (पीकेसी) लिंक परियोजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के प्रस्तावित एकीकरण की स्थिति और मुद्दों की समीक्षा करने के लिए कार्य समूह की वर्चुअल रूप में आयोजित तीसरी बैठक में भाग लिया।
- मु. अ.(द.), राजविअ, हैदराबाद ने 10.07.2021 को बाढ़ के पानी से गोदावरी–कृष्णा लिंक के वैकल्पिक संरेखण की गुंजाइश के संबंध में पोलावरम परियोजना, पट्टीसीमा एलआई परियोजना, पोलावरम आरबीसी और एलबीसी संरेखण, दौलेश्वरम और प्रकाशम बैराजों का दौरा किया और पोलावरम परियोजनाओं के अधिकारियों के साथ चर्चा की।
- महानिदेशक, राजविअ और मु. अ.(मुख्यालय) ने 14.07.2021 को सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि., द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ और मु. अ.(मुख्यालय) ने राजविअ से संबंधित कार्यों के संबंध में 15.07.2021 को श्रम, शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली में समग्र जनादेश, परियोजनाओं और योजनाओं के संबंध में प्रस्तुति के लिए माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय की एक ब्रीफिंग बैठक में भाग लिया।
- वर्ष 2020–21 के लिए परियोजना की संशोधित लागत के साथ केबीएलपी के मूल्यांकन के लिए अद्यतन पीआईबी ज्ञापन 19.07.2021 को जल शक्ति मंत्रालय को भेजा गया है और फिर 30.07.2021 को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।
- मु. अ.(मुख्यालय), राजविअ ने 21.07.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ''जल उद्योग को बढ़ावा देने वाली क्षमताओं के डिजिटलीकरण'' पर जल संसाधन प्रबंधन पर वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ ने 22.07.2021 को नदी जोड परियोजनाओं के अंतर्गत अवसरों के संबंध में ''सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण'' पर एक वर्चुअल सम्मेलन में एक प्रमुख नोट सत्र में एक भाषण दिया।
- महानिदेशक, राजविअ और मु. अ.(दक्षिण) ने गुजरात सरकार के एनडब्ल्यूआरडब्ल्यूसी और कल्पसर विभाग के सचिव, विशेष सचिव, सौराष्ट्र, गुजरात सरकार, मुख्य अभियंता (सी.जी) और अपर सचिव, गुजरात सरकार और सीडीओ, गांधीनगर के साथ जल बंटवारे और दमनगंगा–पिंजाल, पार–तापी–नर्मदा की मंजूरी और गांधी नगर में डीसीसी लिंक परियोजना के बारे में सहमति के बारे में 26.07.2021 को गांधी नगर में चर्चा की।
- अन्वेषण सर्किल, राजविअ, भुवनेश्वर और पटना के अंतर्गत क्रमशः 09.08.2021 से 18.08.2021 और 23.08.2021 से 31.08.2021 तक एजी ऑडिट आयोजित किया गया है।
- सचिव, जल शक्ति मंत्रालय ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में राजविअ के शासी निकाय (जीबी) की अड़सठ वीं (68वीं) बैठक 17.08.2021 को आयोजित की गई थी।
- जीआरएमआई (गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट), गांधीनगर के अधिकारियों ने जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार और राजविअ के अधिकारियों के साथ 19.8.2021 को प्रस्तावित डीईजी परियोजना के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए चिह्नित प्रस्तावित भूमि का दौरा किया।
- महानिदेशक, राजविअ और मु. अ.(मुख्यालय) ने 24.08.2021 को 7वीं आईडब्ल्यूडब्ल्यू की वैज्ञानिक समिति की तीसरी बैठक में भाग लिया।
- ''सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन पर उप–समिति'' की 18वीं बैठक 25.08.2021 को आयोजित की गई।
- महानिदेशक, राजविअ और राजविअ के अन्य अधिकारियों ने 27.08.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार–तापी–नर्मदा लिंक के सिमुलेशन के संबंध में एक बैठक में भाग लिया।

- महानिदेशक, राजविअ और मु. अ.(मुख्यालय) ने 31.08.2021 को वित्त सचिव और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. की आरबीएम योजना के मूल्यांकन के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ ने पीटीएनएलपी में जल बंटवारे के मुद्दों पर माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 31.08.2021 को आयोजित एक समीक्षा बैठक में भाग लिया और दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजना और पीटीएनएलपी के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए।
- महानिदेशक, राजविअ और राजविअ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 03.09.2021 को भोपाल में मुख्य अभियंता, माननीय राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार के साथ ईआरसीपी के साथ पीकेसी लिंक के प्रस्तावित एकीकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा पानी के उपयोग के मुद्दे पर चर्चा की।
- माननीय राज्य मंत्री, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार डॉ. भागवत कराड ने कोंकण क्षेत्र से सूखा प्रवण मराठवाड़ा क्षेत्र में पानी को मोड़ने के लिए नदी जोड़ परियोजनाओं के संबंध में 06.09.2021 को औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में एक बैठक की। मु.अ., राजविअ, वलसाड सहित राजविअ के अन्य अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।
- महाराष्ट्र की दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी और दमनगंगा (वई/वाघ) – वैतरणा–गोदावरी (कड़वा देव) अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करना जारी रहा। उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र के मुख्य अभियंता (जल संसाधन विभाग) डॉ. संजय एम. बेलसरे ने नासिक में राजविअ के अधिकारियों के साथ 07.09.2021 को इन दोनों लिंकों की कार्य प्रगति की समीक्षा की।
- महानिदेशक, राजविअ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10.09.2021 को केबीएलपी के संदर्भ में पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर), मध्य प्रदेश के लिए डब्ल्यूआईआई, देहरादून द्वारा तैयार की जा रही एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन योजना के मसौदे की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई।
- महानिदेशक, राजविअ ने दिनांक 13.09.2021 को केबीएलपी चरण–I की वन भूमि के पथातंरण की चरण–I मंजूरी के संबंध में एडीजी (वन) एमओईएफ और सीसी नई दिल्ली के साथ बैठक में भाग लिया।
- राजविअ के महानिदेशक ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) परियोजनाओं, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. की निगरानी के लिए अंतर–मंत्रालयी स्तरीय संचालन समिति (आईएमसीसी) की तीसरी बैठक में भाग लिया।
- मु. अ.(उत्तर), राजविअ, लखनऊ और राजविअ के अन्य अधिकारियों ने मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित लोअर ऑर सिंचाई परियोजना और केबीएलपी के सिंचाई योजना पहलू के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 24.09.2021 को मुख्य अभियंता, आईएमओ, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली की अध्यक्षता में बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ और मु. अ.(मुख्यालय) के ने दिनांक 24.09.2021 को राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण (एनआईआरए) के गठन पर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. द्वारा सचिव, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के कक्ष में आयोजित बैठक में भाग लिया।
- नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल (टीएफआईएलआर) की 14 वीं बैठक 29.09.2021 को टीएफआईएलआर के अध्यक्ष और सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में श्री श्रीराम वेदिरे की अध्यक्षता में बुलाई गई थी।
- महानिदेशक, राजविअ और राजविअ के अन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30.09.2021 को केबीएलपी के चरण–I वन मंजूरी में मुद्दों पर चर्चा करने और हल करने के लिए सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ ने एफआरईएससओ (कमरा नंबर 169–डी), वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय में और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में सार्वजनिक निवेश बोर्ड

(पीआईबी) की एक बैठक में भाग लिया और 01.10.2021 को जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. के कक्ष में केबीएलपी पर विचार करने के लिए पीआईबी की बैठक के लिए एक ब्रीफिंग भी आयोजित की गई।

- माननीय मंत्री, श्री जयंत पाटिल, जल संसाधन और कमान क्षेत्र विकास, महाराष्ट्र सरकार ने नासिक क्षेत्र में विभिन्न जल पथातंरण योजनाओं की समीक्षा के लिए 02.10.2021 को नासिक में एक बैठक आयोजित की। उन्होंने राजविअ द्वारा किए जा रहे डीईजी और डीवीजी लिंक के डीपीआर कार्यों की समीक्षा की।
- महानिदेशक, राजविअ ने 7वीं आईडब्ल्यू के दौरान प्रदान किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की संरचना और श्रेणी को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति की पहली और दूसरी बैठकों में क्रमशः 04.10.2021 और 27.10.2021 को अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, सेवा भवन, नई दिल्ली के कक्ष में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ और मु. अ.(एन) ने 11.10.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में आयोजित केबीएलपी चरण– ।। के डीपीआर के मूल्यांकन से संबंधित प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक में भाग लिया।
- टीएफआईएलआर की 15वीं बैठक 22.10.2021 को हाइब्रिड मोड में टीएफआईएलआर के अध्यक्ष और सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय श्री श्रीराम वेदिरे की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।
- श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में डीपी और पीटीएन लिंक के कार्यान्वयन के लिए पीटीएन और मसौदा एमओए में जल बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए 26.10.2021 को मुख्य सचिव स्तर की बैठक बुलाई गई है।
- महानिदेशक, राजविअ ने दिनांक 26.10.2021 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में नाबार्ड के बारे में आईएलआर के बारे में चर्चा करने के लिए अपने कक्ष में सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय श्री श्रीराम वेदीरे द्वारा अपने कक्ष में की गई बैठक में भाग लिया।
- गोदावरी–कावेरी लिंक परियोजना के लिए पार्टी राज्यों के बीच परामर्श के लिए दूसरी बैठक 29.10.2021 को हैदराबाद में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई।
- माननीय केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 12.11.2021 को राजविअ सोसायटी की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) और नदियों को आपस में जोड़ने पर विशेष समिति (एससीआईएलआर) की 19वीं बैठक आयोजित की गई।
- 16से 17 नवंबर 2021 तक ब्रिक्स जल मंच और 18 नवंबर 2021 को ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई।
- ''सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन पर उप–समिति'' की 19वीं बैठक 26 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी।
- महानिदेशक, राजविअ ने दिनांक 06.12.2021 को आयोजित सचिव, जल शक्ति मंत्रालय ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की तेरहवीं (13 वीं) बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक राजविअ ने 06.12.2021 को नई दिल्ली में गुजरात के अधिकारियों के साथ पीटीएन और डीपी लिंक के विभिन्न मुद्दों और दमनगंगा–साबरमती–चोरवाड़ लिंक की डीपीआर पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की।
- केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए प्रारंभिक कार्य नामतः राजपत्र अधिसूचनाएं, भूमि अधिग्रहण, प्रतिपूरक वनीकरण और एनपीवी के लिए निधियां प्रदान करना, केबीएलपीए के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक वित्त की नियुक्ति, निर्माण प्रयोजन के लिए कार्यशील डीपीआर तैयार करना, परियोजनाओं के निष्पादन के लिए गतिविधि–वार योजना को अंतिम रूप देना आदि परियोजनाओं को 8 सालों के निर्धारित समय में कार्यान्वित करने के लिए शुरू/योजनाबद्ध किया गया है।

- महानिदेशक राजविअ ने दिनांक 09.12.2021 को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय को ईआरसीपी और पीकेसी लिंक के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न व्यवहार्य विकल्पों पर प्रस्तुति दी और चर्चा की।
- महानिदेशक राजविअ ने 14.12.2021 को सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. के कक्ष में डेनमार्क की प्रधान मंत्री महामहिम सुश्री मेट फ्रेडरिकसेन की भारत यात्रा के लिए कार्य बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए सचिव, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में बैठक में भाग लिया।
- राजविअ के महानिदेशक ने 15.12.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन–बेतवा नदी लिंक परियोजना पर चर्चा करने के लिए संसद टीवी, भारत की संसद के कार्यक्रम में भाग लिया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18.12.2021 को केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए केबीएलपी के कार्यान्वयन और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) नामतः केबीएलपीए की स्थापना के लिए 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 44,605 करोड़ रुपये (2020–21 मूल्य स्तर) की कुल अनुमानित लागत के साथ एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में केबीएलपी के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
- महानिदेशक, राजविअ ने राज्य से संबंधित विभिन्न आईएलआर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 23.12.2021 को नई दिल्ली में केरल सरकार के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता श्री बीजू डी के साथ बैठक में भाग लिया।
- जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार और राजविअ अधिकारियों के बीच 23.12.2021 को झारखंड की तीन अंतरराज्यीय लिंक परियोजनाओं नामतः बराकर–दामोदर सुवर्णरेखा लिंक, सांख–दक्षिण–कोयल लिंक और दक्षिण कोयल सुबररेखा लिंक परियोजनाओं के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।
- मु. अ.(उत्तर) ने ओडिशा राज्य में जल शक्ति मंत्रालय की सभी चल रही और भविष्य की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए 24.12.2021 को माननीय राज्य मंत्री श्री बी टुडू, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी है।
- एनआईआरए के गठन पर मसौदा कैबिनेट नोट को जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. की टिप्पणियों और मंत्रालय को प्रस्तुत संशोधित मसौदे के अनुसार संशोधित किया गया।
- महानिदेशक, राजविअ ने दिनांक 06–01–2022 को सचिव, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. जल शक्ति मंत्रालय के साथ ईआरसीपी पर चर्चा करने के लिए बैठक की।
- महानिदेशक, मु. अ.(मुख्यालय), राजविअ और मु. अ.(उत्तर) के ने 17.01.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना पर ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति की 148 वीं बैठक में भाग लिया। मु. अ.(उत्तर) ने बैठक में केबीएलपी चरण– ।। परियोजना (लोअर ऑर, बीना कॉम्प्लेक्स और कोठा बैराज) के संबंध में प्रस्तुति दी।
- दिनांक 19.01.2022 को राजविअ के जीबी की उन्हत्तरवीं (69वीं) बैठक सचिव, जल शक्ति मंत्रालय ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी।
- राजविअ के महानिदेशक ने 27.01.2022 को सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. द्वारा बुलाई गई जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ पार्वती–कालीसिंध चंबल (पीकेसी) लिंक और ईआरसीपी के प्रस्तावित एकीकरण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक और मु. अ.(मुख्यालय), राजविअ ने दिनांक 04.02.2022 को केबीएलपी के 3 डी मॉडल पर राजविअ और ईएसआरआई डेमो के क्षेत्रीय कार्यालयों

में ई–कार्यालय शुरू करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित की।

- केबीएलपी के लिए छतरपुर जिले की बिजावर तहसील के 14 गांवों के भूमि अधिग्रहण के लिए आर–आर अधिनियम–2013 की धारा 11 (आई) के अंतर्गत राजपत्रित अधिसूचना 11.02.2022 को प्रकाशित की गई है।
- मु. अ.(द.), राजविअ, हैदराबाद ने अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, बेंगलुरु के अधिकारियों के साथ सचिव, तुंगभद्रा बोर्ड के साथ 11.02.2022 और 12.02.2022 को कृष्णा (अलमाटी) – पेन्नार लिंक परियोजना संरेखण का दौरा किया।
- महानिदेशक, राजविअ और राजविअ के अन्य अधिकारियों ने 11.02.2022 को नदी जोड़ परियोजनाओं में ड्रोन सर्वेक्षण की उपयोगिता पर एक बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ ने श्री टीडी शर्मा, एसजेसी, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. के साथ 15.02.2022 को पीटीआर, मध्य प्रदेश के लिए डब्ल्यूआईआई, देहरादून द्वारा तैयार की जा रही एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में डब्ल्यूआईआई, देहरादून का दौरा किया।
- महानिदेशक, राजविअ ने 16.02.2022 को सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. के कक्ष में एनआईआरए के संविधान पर परामर्श बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक, राजविअ ने वर्चुअल मोड के माध्यम से 18.2.2022 को राजविअ की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर समीक्षा बैठक आयोजित की।
- महानिदेशक, राजविअ ने 22.02.2022 को सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. द्वारा की गई बजट उपयोग पर बैठक में भाग लिया।
- मु. अ.(द.), राजविअ, हैदराबाद ने अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, चेन्नई के अधिकारियों के साथ माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री के लक्ष्मीनारायणनय श्री वी सत्यमूर्ति, मु. अ., लोक निर्माण विभाग और श्री के राजशेखरन, अधी.अभि., पीडब्ल्यूडी, पुडुचेरी सरकार के साथ दिनांक 26.02.2022 को गोदावरी–कावेरी (जी–सी) लिंक परियोजना पर मुद्दों के संबंध में चर्चा की।
- मु. अ.(द.), राजविअ, हैदराबाद ने 24.03.2022 से 26.03.2022 तक माही और नर्मदा नहर के दमनगंगा–साबरमती–चोरवाड़ (डी–एस–सी) लिंक परियोजना स्थलों का दौरा किया और डी–एस–सी लिंक परियोजना के बारे में गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की।
- ''सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन पर उप–समिति की 20 वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25–03–2022 को आयोजित की गई थी।